राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक ३] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का १०वां दिवस [संख्या ८

बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विधि, शिक्षा, समाज-कल्याण, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, गृह, एवं जनस्वास्थ्य विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न राजवी श्री रूपसिंह !

न्याय सेवा के निलम्बित अधिकारी

१७६. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान न्याय सेवा के कितने अधिकारी निलम्बित हैं और कब से ?

(२) निलम्बित किस ऑथोरिटी ने किया और निलम्बित करने की शक्ति किस ऑथोरिटी में निहित है ? क्या मुख्य न्यायाधीश को आर० जे० एस० अधिकारियों को निलम्बित करने का अधिकार है ?

(३) निलम्बित अधिकारियों को सब्सिस्टेन्स अलाउन्स कितना दिया जा रहा है ?

(४) क्या निलम्बित करने के आदेशों पर २ साल की अवधि के बाद डिसिप्लीनरी ऑथोरिटी ने कोई पुनः विचार किया ?

(५) क्या निलम्बित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच मुख्य न्यायाधीश के आदेश से प्रारम्भ हुई और क्या मुख्य न्यायाधीश विभागीय जांच के आदेश देने के लिये सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो जांच की कार्यवाही क्यों इतने दिनों तक चल रही है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) केवल एक, दिनांक ९-७-६३ से।

(२) मुख्य न्यायाधीश की आज्ञा से निलम्बित किया गया था। आर० जे० एस० अधिकारियों को निलम्बित करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश में निहित है।

(३) उनके वेतन का २५ प्रतिशत और सामान्य महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

(४) जी हां। निलम्बित अधिकारी द्वारा की गई रिट पिटीशन के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार किया था।

Page No. 2

(उप-मंत्री, विधि)

(५) जी हां। मुख्य न्यायाधीश विभागीय जांच के आदेश देने के लिये सक्षम हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंन्ट के बाद यह तय हो चुका है कि जुडिशियल ऑफिसर को सस्पेन्ड करने के चीफ जस्टिस को अधिकार नहीं हैं बल्कि पूरे हाई कोर्ट के अधिकार में हैं और जो शिवदत्त को सस्पेन्ड किया था वह गलत ऑर्डर है? उस गलत ऑर्डर को अभी तक केरी आउट कर रहे हैं।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इश्यू रखे गये थे उनमें दो इश्यू यह भी थे कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो हैं वह कम्पीटेन्ट हैं सस्पेन्ड करने के और क्या चीफ जस्टिस ही इस पर इन्क्वायरी के ऑर्डर दे सकते हैं? यह रिट पिटीशन जब बैंच के सामने गई तो फैसला देते वक्त यह कहा कि इन इश्यू पर फैसला नहीं दे रहे हैं और दोनों मामले हाई कोर्ट को रेफर कर दिये गये। जब उनको रेफर कर दिये गये तो दोनों— सस्पेंशन का मामला और जो ऑर्डर दिया गया— वह वेलिड मान लिया गया।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि गलत जजमेन्ट को हाई कोर्ट को भी सेट एसाइड करने के कानूनी अधिकार नहीं हैं, फिर भी गलत ऑर्डर को सेट एसाइड करने की कोशिश में हैं? यह कार्यवाही गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! दूसरा प्रश्न! नॉट एलाउड। श्री हरजीराम!

अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

१७७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला शिक्षणालय, नागौर के निरीक्षक ने कुछ अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर एक जगह से दूसरी जगहों पर लगाए थे? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कौन-कौन सी स्कूलों में से किन-किन अध्यापकों को कहां कहां पर कितने कितने समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि मौजूदा समय में भी कुछ अध्यापक कहीं पर प्रतिनियुक्ति पर लगाए हुए हैं? यदि हां तो किन-किन को कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि किन्हीं अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर जिला शिक्षणालय के कार्यालय में लगाने के सम्बन्ध में ऑडिटरों द्वारा एतराज किया गया था? यदि हां, तो कब और क्या एतराज किया गया और उन एतराजों की पूर्ति किस प्रकार की गई?

उप-मंत्री, शिक्षा (धीरसिंह) :(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 3

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश प्रसारित कर रखे हैं कि किसी भी अध्यापक को ऑफिस में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता ?

श्री धीरसिंह - ऐसे आदेश उस हालत में लागू होते हैं जब किसी बगैर कारण के प्रतिनियुक्ति की जाती है। आकस्मिक कारण से, कोई लाभ पर चला जाता है, या कोई ट्रेनिंग पर चला जाता है तो इमीजियेटली उस जगह को भरने के लिए, जिससे कि काम नहीं रुके, प्रतिनियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जब विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में एरियर बढ़ जाता है तो उसको निपटाने के लिये या और कोई विशेष काम आ जाता है तो उस कारण से यह प्रतिनियुक्ति की जाती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह नम्बर छः के बाद लाडनूं के चार अध्यापक है जिनका प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग होना बतलाया है लेकिन वहाँ के हाई स्कूल में इनको काम करते हुए बतलाया है, वह डेढ़-दो वर्ष से काम कर रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल का कौन काम कर रहा है ?

श्री धीरसिंह : जो सूची मांगी है वह सूची पेश कर दी गई है। इन अध्यापकों को किस कारण से प्रतिनियुक्ति पर लगाया— यह नहीं पूछा है। आपने सूची मांगी है कि किन-किन अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय निरीक्षक में लगाया गया या दूसरे स्कूलों में लगाया गया। इसकी सूची दे दी है। अब आप यह जानकारी चाहते हैं हर एक टीचर के बारे में कि क्यों प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है तो उसके लिए अलग से प्रश्न पूछें उसकी जानकारी दे दी जायगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अलग से प्रश्न कैसे है ? यह इसी प्रश्न से सम्बन्ध रखता है। एक गांव के चार अध्यापक हैं, उन चारों को प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग किया लेकिन उसके बाद में उनको इकट्ठा हाई स्कूल में डेपुटेशन पर लगा दिया गया जिसको एक साल होने को आया है। तो क्या वह आकस्मिक स्थिति अभी तक समाप्त नहीं हुई है ?

श्री धीरसिंह : मैंने जवाब दिया है कि यह जानकारी आपने नहीं मांगी है कि उनकी प्रतिनियुक्ति के क्या-क्या कारण हैं। अब यह लम्बी चौड़ी लिस्ट है तो हरएक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ! दूसरा प्रश्न !

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या यह सही है कि यह जो भी नियुक्तियां की जाती हैं यह सीनियोरिटी के हिसाब से की जाती हैं ? जिस अध्यापक ने पहले ट्रेनिंग की थी उसका नम्बर आना चाहिए लेकिन बाद में जिस टीचर ने ट्रेनिंग की है उसका नम्बर पहले आ जाता है, तो क्या नियुक्तियां सीनियोरिटी को मद्देनजर रखते हुए करते हैं ?

श्री धीरसिंह : यह प्रश्न दूसरा है। यह ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, यह डेपुटेशन के बारे में है। एक स्कूल से दूसरी जगह लगाने का प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क : डेपुटेशन पर कितने समय तक लगाया जा सकता है ?

श्री धीरसिंह : डेपुटेशन पर, मान लीजिये कि एरियर काम का था और उसको

Page No. 4

(श्री धीरसिंह)

निपटाने के लिए लगाया गया, तो जिन-जिन कामों के लिए लगाया गया, निरीक्षक कार्यालय के अन्दर जो एरियर है उसको जल्दी निपटाया जाय इसके लिए लगाया गया, या कोई आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई छुट्टी पर चला जाता है, तो ऐसे रीजन्स से प्रतिनियुक्ति की जाती है। परमानेन्ट किसी की नहीं होती है। अब एक-एक टीचर की प्रतिनियुक्ति के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके बारे में अलग से प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि यह प्रतिनियुक्ति की गई है यह किसी आकस्मिक कारण से, जैसा आपने बताया, नहीं की गई है, स्टाफ पूरा मौजूद होते हुए भी प्रतिनियुक्ति की गई है ?

श्री धीरसिंह : मैंने आपसे कहा कि आपने केवल सूची मांगी है, वह सूची लम्बी चौड़ी है। अब यदि प्रत्येक के रीजन्स चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछिये, वह बता दिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, साधारण बुद्धि की बात है, प्रतिनियुक्ति का जिक्र करते हुए प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से इसमें घोटाला है इसलिये यह प्रश्न पूछा है। पैसा लेकर और फेवरीटिज्म के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। यह माननीय सदस्य ने पूछा है और आप कहते हैं कि कारण नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री हरजीराम बुरड़क : १५ अध्यापकों की सूची है जिसमें से मौजूदा स्थिति में चार अध्यापक केवल एक स्कूल के हैं लाडनूं में जो प्राइमरी स्कूल है वहां से लेकर हाई स्कूल में लगाया गया और ६६ में लगाया है। तो क्या आज तक वही स्थिति बनी हुई है ?

श्री धीरसिंह : स्थिति के बारे में मैंने बता दिया कि आपका प्रश्न केवल इतना है कि सूची सदन की मेज पर रख दें। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अब सारे टीचर्स की परिस्थिति एक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण:- क्या इन आकस्मिक कारणों की ओर जो आपने स्थिति बताई है उस स्थिति के कारणों की जानकारी करके, अगर वह स्थिति नहीं हुई तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री धीरसिंह:- अगर प्रतिनियुक्ति गलत की गई है तो उसको सही कर देंगे और आप कारण जानना चाहते हैं तो कारण बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री हरजीराम बुरड़क : १५ अध्यापकों में से, जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, चार अध्यापक एक स्कूल के लगा रखे हैं तो क्या आप यह ठीक समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय इसको देख लें इसके रीजन्स को देख लेंगे, गलत प्रतिनियुक्तियां हैं तो ठीक कर देंगे।

प्रश्न संख्या १७८

श्री रतनलाल !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)
प्रोफेसर केदार !

Page No. 5

करौली में दुकानें खोलने का आदेश

१७९. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि करौली के वर्तमान बाट, नाप और शॉप इन्सपेक्टर ने बिना राज्य सरकार के उचित आदेश के दिनांक १२-११-६७ एवं ३१-१२-६७ को रविवार होते हुए भी दुकानें खोलने का जबानी आदेश दिया और इसके फलस्वरूप बाजार उक्त दोनों दिनों खुला ? यदि हां, तो उन दिनों बाजार क्यों खोला गया था ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन): जी नहीं/ प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ: इस अभद्र व्यवहार के बारे में राज्य सरकार के पास क्या कोई शिकायत आई है ?

श्री भीमसेन: वहां के व्यापारी मंडल ने विभाग के सामने मांग की थी कि उनको दुकानें खोलने की परमिशन दी जाय। इस तरह की व्यापारियों की तरफ से मांग आई थी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या १८०

श्री भगवानदास शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

अम्बावाड़ी, जयपुर में सैनिकों को प्लॉटों का अलॉटमेंट

१८१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) [**श्रीमती गौरी पूनियां** (डेगाना द्वारा पूछा गया]: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में अम्बावाड़ी स्कीम में सैनिकों को रिहायशी प्लॉट एलॉट किये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो हजार से नीचे की तनख्वाह पाने वालों को किस दर से जमीन दी गई और हजार से ऊंची पाने वालों को किस दर पर दी गई ?

(३) इस जमीन की रिजर्व्ड प्राइस क्या रखी गई और किस आधार पर ?

(४) क्या रिजर्व्ड प्राइस से अधिक दरों पर हजार से ऊपर तनख्वाह वालों को जमीन दी गई ?

(५) यदि हां, तो किन नियमों के तहत रिजर्व्ड प्राइस से अधिक कीमत लगाई गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज विन्द): (१) जी हां।

(२) सैनिकों को आवास भू-खण्ड अम्बावाड़ी योजना में निम्न दर से दिये गये हैं:—

२५० रुपयों से कम आय वालों को ३.००
४०० रुपये से कम आय वालों को ४.००
१००० रुपये से कम आय वालों को ९.००
१००० रुपये से अधिक आय वालों को १५.००

(३) इस योजना की आवास हेतु रिजर्व्ड ७.०० रु० प्रति वर्गगज रखी गई है। रिजर्व्ड प्राइस विकास खर्चे के आधार पर रखी गई है।

Page No. 6

(श्री मुल्कराज थिन्द)

(४) जी हां।

(५) चूंकि नगर न्यास, जयपुर द्वारा सैनिकों को भू-खण्ड आवंटन का आश्वासन दिया गया था, इसलिये १०००) रु० से अधिक आय वाले सैनिकों को योजना को बाजारी कीमत पर भू-खण्ड आवंटन किये गये।

श्रीमती गौरी पूनियां : सब प्लॉट अलग-अलग साइज के है या एक ही साइज के हैं ?

श्री मुल्कराज थिन्द : बी. श्रेणी के सब प्लॉट्स एक प्रकार के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वीसिंह !

आदिवासी छात्रावास, ग्राम नाणा

१८२. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव नाणा, तहसील बाली में आदिवासी छात्रावास का निर्माण किस वर्ष में किया गया तथा उसके निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(२) क्या उक्त छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो गया है ? अगर नहीं तो पूरा किये बिगैर ही छात्रावास में छात्रों को निवास क्यों करवा दिया गया है ?

(३) इस छात्रावास पर माहवार कितना रुपया व्यय किया जाता है और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ? कृपया ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : (१) नाणा में आदिवासी छात्रावास भवन का १९६०-६१ एवं १९६१-६२ में निर्माण किया गया। आदिवासी छात्रावास, नाणा के भवन-निर्माण के लिये कुल २२,८५७ रुपये का अनुदान विभाग द्वारा दिया गया था। संस्था ने अभी तक इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाणीकरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें से कितनी धनराशि व्यय हुई है।

(२) जी नहीं। २५ छात्रों के निवास लायक भवन बन जाने के कारण संस्था ने उस भवन में छात्रावास प्रारम्भ कर दिया है।

(३) छात्रावास को नियमानुसार मासिक अनुदान कक्षा ५ से ८ तक के छात्रों के लिये प्रति छात्र ४० रुपये और ९ से ११ के लिये ४५ रुपये के हिसाब से विभाग द्वारा दिया जाता है। इस छात्रावास में २५ छात्रों की संख्या स्वीकृत है। छात्रों को भोजन, कपड़े, स्कूल फीस, पुस्तकें व तैल, साबुन इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री पृथ्वीसिंह : पहला ऑब्जेक्शन तो यह है कि ब्योरा नहीं दिया गया है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : ब्योरा नहीं दिया गया।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सदन की मेज पर रख दिया है, भिजवा दूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या यह छात्रावास कम्प्लीट हो गया है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी, कम्प्लीट नहीं हुआ है।

श्री पृथ्वीसिंह : जो कम्प्लीट नहीं हुआ है तो उसमें छात्रों का आवास कैसे शुरू कर दिया है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : २५ छात्रों के रहने लायक कमरे बन गये हैं, इसलिये छात्रों का निवास शुरू कर दिया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या कमरे कम्प्लीट हो गये ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वे कमरे जिनमें छात्र रह रहे है पूरे हो गये हैं, पूरा भवन कम्प्लीट नहीं हुआ है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने देखा है, जिन कमरों में छात्र रहते हैं वे कम्प्लीट नहीं हैं, उनमें पानी चूता है, दीवारों पर घास ऊगी हुई है, छत पर घास ऊगी हुई है, अभी तक निवास के काबिल नही ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने फरमाया है, इसकी फौरन जांच करा ली जायगी। ठेकेदार को नोटिस दे दिया है संस्था ने। ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाया है। पी. डब्ल्यू. डी. से सर्टिफाई नहीं करा पाये। ठेकेदार जल्दी काम शुरू नहीं करता है तो वापिस विभाग को काम हाथ में लेने का ऑर्डर दे दिया गया है।

श्री पृथ्वीसिंह : ठेकेदार काम छोड़ कर चला गया, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : नोटिस दे दिया है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमने नहीं दिया है, संस्था ने दिया है।

श्री पृथ्वीसिंह : उसको कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : संस्था ने निर्माण करवाया, १९०८१ रु० ९३ पैसे का उसको भुगतान किया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या १९ हजार का काम हो चुका है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पी. डब्ल्यू. डी. का सर्टिफिकेट आया नहीं, इसलिये नहीं कह सकता।

श्री पृथ्वीसिंह : तो फिर कैसे अधूरे काम पर भुगतान कर दिया १९ हजार का ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सरकार ने नहीं किया है, संस्था के प्रधान कार्यालय ने किया है।

श्री पृथ्वीसिंह : जिस संस्था ने अनियमितता से ठेकेदार को पेमेंट कर दिया तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके साथ अब नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री पृथ्वीसिंह : ६१-६२ में पेमेन्ट हुआ, अब ६८ में उस संस्था के साथ कार्यवाही करेंगे तो क्या इतने दिन सो रहे थे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इतने दिनों इन्तजार किया जाता रहा कि वह काम पूरा करा दे।

Page No. 8

श्री पृथ्वीसिंह : इन्तजार किसका किया गया ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : शुरू करने का।

श्री पृथ्वीसिंह : ६१-६२ में ठेकेदार भाग गया, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की, यह बड़ी शर्म की बात है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय स्वयं अच्छे वकील हैं, आप जानते हैं कि स्पेसिफिक परफोरमेंस की मयाद कितनी है...

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं कानून के ज्ञाता हैं।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८३

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८४

श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

ट्रॉलीमेन की मृत्यु

१८५. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर रेल्वे स्टेशन के ट्रॉलीमेन श्री हीरालाल की मृत्यु कब हुई और किस कारण से हुई ?

(२) क्या उसे किसी रेल्वे सामान की चोरी के सम्बन्ध में पुलिस हिरासत में लिया गया था ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या यह सही है कि उसे तीन दिन तक लगातार थाने में बैठाये रखा और मारपीट की गई ?

(३) क्या यह सही है कि श्री हीरालाल ने कई अधिकारियों की बेईमानी और सामान चुराने की शिकायत पहले कर रखी थी ?

(४) रेल्वे के जिस सामान की चोरी के सम्बन्ध में श्री हीरालाल को पुलिस ने तीन दिन तक अपनी हिरासत में रखा और पूछताछ की उस सामान के गायब करने की शिकायत रेल्वे कर्मचारी यूनियन या किसी संगठन अथवा व्यक्ति ने किसी आई. ओ. डब्ल्यू. को की थी ?

(५) क्या यह सही है कि श्री हीरालाल से पुलिस थानेदार ने पांच सौ रुपये मांगे थे और वह अपनी मां से डेढ़ सौ रुपये ही प्राप्त करके दे सका इस कारण उसे बहुत पीटा गया और जलील किया गया ? यही उसकी मृत्यु का कारण हुआ ?

(६) क्या इस हीरालाल की मृत्यु के सम्बन्ध में एस. पी., कलेक्टर अथवा राज्य सरकार के पास शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो वे क्या थीं और उन पर राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

(७) क्या बीकानेर के और राज्य के अन्य अनेक पत्रों में भी हीरालाल की मृत्यु के सम्बन्ध में सनसनीखेज समाचार प्रकाशित हुए थे ? इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) श्री हीरालाल, ट्रॉलीमैन बीकानेर रेल्वे स्टेशन की मृत्यु दिनांक १-२-६८ को १.३० पी. एम. पर हुई। उसने रेलगाड़ी से कट कर आत्महत्या की थी।

(२) यह सत्य नहीं है कि उसे पुलिस हिरासत में लिया गया हो। उसे सिर्फ मुकदमा नं० ३ धारा ३८० भा. द. सं. रेल्वे पुलिस थाना, बीकानेर की तफतीश के लिये तीन दिन बुलाया गया था। यह सही नहीं है कि उसके साथ मार-पीट की गई।

(३) यह सत्य नहीं है। पुलिस मे हीरालाल ने इस विषय में कोई रिपोर्ट नहीं की थी।

(४) यह सत्य नहीं है। न तो उक्त मुकदमे में हीरालाल को पुलिस हिरासत में लिया गया और न इस सामान की चोरी के बारे में रेल्वे कर्मचारी यूनियन या अन्य संगठन अथवा व्यक्ति ने किसी आई. ओ. डब्ल्यू. को रिपोर्ट की।

(५) यह सत्य नहीं है। हीरालाल से पुलिस का कोई रिश्वत मांगना और उसे पीटा जाना अथवा जलील किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ।

(६) जी नहीं। कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(७) इस सम्बन्ध में 'रेल क्रान्ति' तथा 'कलम' अखबारों में दिनांक १५-२-६८ को सूचना प्रकाशित हुई थी जिस पर एस. एन. श्री. जी. आर. पी., बीकानेर ने जांच की और जांच पर अखबारों में छपी सूचना सत्य नहीं पाई गई।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, हीरालालजी का जवाब देने वाले भी हीरालाल जी हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये सारे तथ्य नहीं हैं। तथ्य यह है। मैं खुद बीकानेर गया था, जिस समय उनको मारा था, उस समय यूनियन के लोग मिलने आये थे, उनसे पूछा, दूसरों से भी पूछा तो सारे वातावरण में यह बात अच्छी तरह से व्याप्त थी कि इस आदमी को चोरी के सिलसिले में पुलिस ने बुलाया, तीन दिन तक इसको पीटा और पीटने से आतंकित हो कर उसने आत्महत्या करली। यह भी सुनने मे आया कि कई अधिकारियों का इसने पहले शिकायतें कर रखी थीं इसलिये वे अधिकारी इससे लगते थे और इसलिये पुलिस पकड़वा कर इसके साथ मारपीट करवाई। तीसरी बात यह भी सुनी कि इस व्यक्ति से पैसे मांगे गये, इसने १५० रुपये अपनी मां से प्राप्त कर के पुलिस वालों को दिये, पुलिस ने इससे ५००) रु० मांगे थे वह नहीं दे सका, इस कारण बराबर बार-बार पीटा और अब आप कहते हैं जी नहीं। यह इन्सान के खून का मामला है, तफसील से आप जानकारी करें तो उचित होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने फरमाया कि आप वहां पधारे थे। मैंने तो जांच के आधार पर ही निवेदन किया है। उसकी मृत्यु हुई है यह सही है। एफ. आई. आर. में स्टेशन इन्चार्ज ने बताया कि रेल से कट कर मरा है। अखबारों में जो खबरें छपीं उससे वह बात सही साबित नहीं हुई।

श्री दौलतराम सारण : जांच किससे कराई गयी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस का सैक्शन ऑफिसर होता है रेल्वे पुलिस का उनसे जांच करायी।

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों ने संवाद छापा था और यूनियन वालों ने शिकायत की थी उनसे पूछताछ की थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सब से पूछताछ की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यह ज्ञात हुआ है कि उसकी रेल से कट कर ही मृत्यु हुई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, हीरालाल की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री विट्ठल भाई !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति मेरे निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विट्ठल भाई !

श्री विट्ठल भाई : प्रश्न संख्या १८६।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का रहने वाला है। बहुत ही गरीब आदमी था। रेल्वे का कर्मचारी था। उसकी मां छत्रगढ़ में रसोई का काम कर रही थी। पुलिस के द्वारा हीरालाल को पीटा गया। उस पर झूठा चोरी का केस दायर किया गया कोई रेल्वे का मामूली सामान झूठा बरामद करके उसके साथ मारपीट की गयी। और पुलिस की कस्टडी में ही उसको ऐसा मारा गया कि पुलिस के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो गयी और उसकी हत्या करने के बाद रेल्वे लाइन्स पर उसकी लाश को डाल दिया गया और कहा कि उसने आत्महत्या कर ली।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या राजस्थान सरकार स्पेशल इन्वीटेशन देकर चोर, गुण्डे और बदमाशों को राजस्थान में लायी है और ला रही है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय मंत्री महोदय !

आदिवासी छात्रावास, पीपलखूंट

१८९. **श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट)** : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में इस साल कहीं आदिवासी छात्रावास खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन पंचायत समितियों में ?

(२) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति पीपलखूंट में अभी तक कोई छात्रावास नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्या इस साल सरकार का कोई छात्रावास वहां खोलने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : (१) जी नहीं।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
बांसवाड़ा जिले में इस वर्ष कोई नया छात्रावास नहीं खोला गया है।

(२) जी हां। प्रावधान के प्रभाव के कारण पंचायत समिति, पीपलखूंट मे इस वर्ष कोई छात्रावास नहीं खोला जा सकेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल एक अनुसूचित जन-जाति राजकीय छात्रावास का ही प्रावधान है।

श्री विट्ठलभाई : मंत्री महोदय ने, अध्यक्ष महोदय, कहा कि पीपलखूंट में छात्रावास खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्या समाज-कल्याण विभाग की ओर से पीपलखूंट क्षेत्र सर्वे में नहीं आता है कि वहां खोलना चाहिए?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैंने आपसे निवेदन किया कि २३२ पंचायत समितियों में केवल हमारे पास वित्तीय प्रावधान एक ही जन-जाति के छात्रावास के लिये था और सम्भवतः डूंगरपुर जिले में एक छात्रावास के लिये सेन्क्शन दी जा चुकी है। दूसरे के लिये प्रावधान नही था। अब जो माननीय सदस्य ने कहा तो बजट के समय इसको देख लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : पीपलखूंट पंचायत समिति में कोई आदिवासी छात्रावास है और यदि है तो कितने?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तालिका जिले की है। पीपलखूंट में...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : ब्रेक अप नहीं है आपके पास? पीपलखूंट में कोई छात्रावास आदिवासियों का है?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पीपलखूंट में नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्यों नहीं है? क्या सरकार की योजना यह नहीं होनी चाहिये कि एक पंचायत समिति में जहां आदिवासियों का बाहुल्य हो वहां कम से कम एक छात्रावास अनिवार्यरूपेण आवश्यक है?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वित्तीय सीमाओं के कारण ही यहां नहीं हो पाया है। वित्तीय प्रावधान होने पर पीपलखूंट के लिये विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप यह नहीं समझते कि आपकी यह व्यवस्था दूषित है और पक्षपातपूर्ण है?

श्री अध्यक्ष : यस, श्री रामकिशन!

श्री रामकिशन (वैर) : अनुसूचित जन-जाति के ब्लॉक्स खोलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित किया था कि कम से कम एक छात्रावास एक ब्लॉक में होगा। (मंत्री महोदय के अन्य से परामर्श करने पर) आप उनसे पूछ कर मत कहिये। मंत्रीजी आप जवाब देंगे और वह सरकारी होगा। कभी-कभी विवेक को भी काम में ले लिया करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में पीपलखूंट का बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, ट्राइबल इन्स्टीट्यूट्स खोलने के लिये गाईडिंग प्रिन्सिपल्स हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पीपलखूंट को क्यों छोड़ा गया जब कि वहां आदिवासियों का बाहुल्य है और दूसरे कैसे आ गये? मेरिट का क्या आधार है?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपका यह फरमाना है कि हर एक ट्राइबल ब्लॉक्समें एक-दो तो होने चाहियें। यह इसलिये सही नहीं है कि यह धनराशि भारत सरकार से आती है और ट्राइबल डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत

Page No. 12

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

होस्टल नहीं खोले जाते हैं। पीपलखूंट का जहां तक सवाल है...

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सी० डी० ब्लॉक्स हैं। ट्राइबल डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स में छात्रावास का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेरी ओर देखिये।

श्री रामकिशन : यह आपकी तरफ नहीं देखते हैं चौ तरफ देखते हैं।

श्री विट्ठलभाई : जो जवाब देते हैं वह पक्षपात का देते हैं। ९९ प्रतिशत जहां पर आदिवासी हैं. पीपलखूंट में रहते हैं और जोशीजी कहते हैं कि आदिवासियों का यह लम्बा-चौड़ा क्षेत्र नहीं है। जब तक जोशीजी बांसवाड़ा में रहेंगे पीपलखूंट में छात्रावास नहीं खुलेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर प्लीज ! यह ठीक नहीं है।

श्री विट्ठलभाई : वर्षों का यह अनुभव है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पीपलखूंट में....

श्री विट्ठलभाई : यह बहुत जरूरी है। भले ही मत खोलो। हमें कोई उसकी चिन्ता नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को मंत्री महोदय पहले ही कहते हैं कि पीपलखूंट में आवश्यकता को देखते हुए विचार करेंगे...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : बागीडोरा और गढ़ी के बीच में पांच-सात मील के एरिया में छात्रावास हैं और पीपलखूंट का एरिया पचास मील का लम्बा-चौड़ा है और ९९ प्रतिशत आदिवासी जहां पर रहते हैं जब कि गढ़ी प्रतापगढ़ में ६० पर्सेन्ट आदिवासी है क्या उनको प्राथमिकता देते हुए ९९ प्रतिशत आदिवासियों के लिये पहले व्यवस्था होगी या ६० प्रतिशत वालों के लिये पहले होगी ?

श्री अध्यक्ष : उनकी सहानुभूति जाग्रत हो गयी है। नेक्स्ट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न है।

क्या सरकार पीपलखूंट की भौगोलिक स्थिति देखते हुए निष्पक्ष रूप से इस समस्या पर ध्यान देते हुए यह उचित नहीं समझती है कि पीपलखूंट में छात्रावास खोला जाय ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब खोला जाय ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बेसिकली मैं इस प्रकार का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आई वान्ट ए करेक्ट एन्ड केटेगोरिकल आन्सर, नहीं तो बैठ जाइये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह भिन्न प्रश्न है। इल्युसिडेशन के लिये आवश्यक नहीं है। सप्लीमेन्ट्री की तारीफ में भी नहीं आता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सम्बन्धित प्रश्न है और सम्बन्धित सप्लीमेन्ट्री है या नहीं ? कैसे नहीं ? नहीं तो आप मेज पालियामेन्टरी प्रेक्टिस से ही अनभिज्ञ हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर देने दीजिये कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्षजी, हाउस के रूल्स ऑफ बिजनिस के तहत...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय मंत्री ! ऑर्डर प्लीज। वह ज्ञान मुझे मत कराइये। वह मैं समझा हुआ हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सप्लीमेन्ट्री पूछा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं कि जैसी माननीय सदस्यों की भावना है, पीपलखूंट की आबादी ज्यादा है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है, आपने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है उस सहानुभूति के अनुसार चल भी रहे हैं या नहीं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : निश्चित रूप से चल रहे हैं। मैंने उसको दोहराया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना !

बाली की नल योजना

१८७. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाली में जल योजना का उद्घाटन गत आम चुनावों के पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय के हाथों हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि बाली में सड़कों के किनारे कुछ पाइप आये हुए पड़े हैं ?

(३) नल योजना लागू हो कर जनता को पानी कब तक दिया जायेगा ? देरी होने के क्या कारण हैं ?

राज्य-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (**श्रीमती सुमित्रा**) : (१) जल योजना का शिलान्यास दिनांक २९-१२-६६ को माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था।

(२) जी हां।

(३) यह योजना सन् ६६-६७ में बीमा निगम से मिलने वाले ऋण से लागू की जाने वाली थी किन्तु उस वर्ष ऋण प्राप्त नहीं हो सका। अब इस ऋण के इस वर्ष शीघ्र ही स्वीकृत होने की सम्भावना है। ज्योंही ऋण स्वीकृत होकर प्राप्त हो जावेगा निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा। साधारणतया एक योजना को पूर्ण करने में धन व सामग्री की उपलब्धि पर ३ वर्ष की अवधि लग जाती है।

श्री फूलचन्द बाफना : अधिकतम कितना लगेगा, यह बता सकेंगी ?

Page No. 14

श्रीमती सुमित्रा : धन के उपलब्ध होने पर। लगभग तीन साल का समय एक योजना को पूर्ण करने में लगता है।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : मुख्य मंत्री को शिलान्यास करते समय क्या यह पता नहीं था कि इस योजना के पूर्ण होने के लिए धन का प्रावधान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ?

श्री जुझारसिंह : मुख्य मंत्री ने जगह-जगह, गांव-गांव में जल-योजना का शिलान्यास किया चुनावों के पूर्व और लोगों को धोखे में डाला ? लोगों को यह बताने के लिये कि सरकार काम कर रही है। क्या इस बारे में उन्हें पता नहीं था कि पैसा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) **:** क्या यह किसी राजनैतिक दल के हित के लिये नहीं किया गया था ? मन्त्री महोदया यह बता सकेंगी कि सरकार के पास इस मद में अभी कितना पैसा मौजूद है ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी तो इस योजना के लिये जीवन बीमा निगम ने एक लाख बीस हजार रुपया स्वीकृत किया है और चालीस हजार गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान ने। जैसे ही पैसा आयेगा, काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : जब सरकार के पास पैसा नहीं था योजना के लिये, पाइप कैसे पहुंचा दिये गये ? पाइप, नल कहां से खरीद लिये ?

श्रीमती सुमित्रा : मई, ६६ में इसकी प्राविधिक स्वीकृति आ गई थी। इन एन्टीसिपेशन जब योजना स्वीकृत हो जाती है, तो माल खरीद लिया जाता है इसलिये इन एन्टीसिपेशन माल खरीद कर वहां पहुंचा दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से नई जल-योजनाओं का काम शुरू कर दिया जाता है और पुरानी कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं क्या सरकार इन योजनाओं को पूरे किये बिना ही नया काम शुरू कर सकती है ? क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : इस वर्ष कोई नई योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ नहीं की गयी है। जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, पहले उन्हें पूरा करवाया जायेगा तब नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

श्री पृथ्वीसिंह : बाली की नल-योजना इसका प्रमाण है। दूसरी योजना का पैसा बाली नल योजना में लगाया गया है।

श्री जुझारसिंह : दिसम्बर, ६६ के बाद किस-किस स्थान पर नल योजना खुली है ?

श्री अध्यक्ष : अगल से प्रश्न है। नेक्स्ट श्री शेखावत !

हथियारों की बिक्री सम्बन्धी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

१८८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) **:** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सतर्कता आयोग द्वारा हथियारों के विक्रय में हुई अनियमितता की जांच रिपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अब तक इस सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या इन हथियारों को वापिस लिये जाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस-किसने कौन-कौनसे हथियार वापिस जमा कराये हैं ?

(३) सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच पर सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ? कृपया इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री भवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्रीजी से इस बात की जानकारी चाहूंगा कि जहां कहीं भी उन्होंने इस प्रकार के शिलान्यास किये हैं, वे क्या आज पेशाबघर बने हुए हैं ? क्या इस योजना के तहत....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ध्यान ग्रहण करें। गृह मन्त्री महोदय...

श्री भवणलाल : मुख्य मन्त्रीजी ने जहां-जहां शिलान्यास किये हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज!! गृह मन्त्री महोदय !

राज्य-मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) इस विषय में सतर्कता आयोग से जिलेवार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला दण्डनायकों को निम्नलिखित कार्यवाही करने के निमित्त लिखा गया है :—

(अ) सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों या उनकी पत्नियों को शस्त्र बहुत कम कीमत पर बेचे गये, उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जावे कि क्यों न उनसे वो शस्त्र वापिस ले लिये जावें और उनसे जो कीमत ली गई थी वो उन्हें वापिस कर दी जावे।

(ब) वर्जित बोर के शस्त्र जिन कर्मचारियों व अन्य लोगों ने मालखानों से खरीदे हैं, उनके अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण नहीं करना।

(स) मालखाने के शस्त्रों को बेचने के लिये नियुक्त कमेटी के जिन सदस्यों ने शस्त्र खरीदे हैं, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जावे कि उन्होंने कमेटी के सदस्य होते हुए स्वयं राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, शस्त्र क्यों खरीदे थे और अब उनसे इस प्रकार खरीदे शस्त्र क्यों न वापस ले लिये जावें ?

(द) जिन कर्मचारियों ने एक से अधिक शस्त्र खरीदे हैं, उनको यह शो-कॉज़ नोटिस दिया जावे कि क्यों न उनके पास केवल एक शस्त्र रहने दिया जावे तथा बाकी सारे शस्त्र कीमत लौटा कर वापिस क्यों न ले लिये जावें ?

(२) जैसा कि प्रश्न के भाग (१) के उपरोक्त उत्तर में अंकित है जिला दण्डनायकों को कार्यवाही के लिये लिखा गया है परन्तु अभी तक सिर्फ जिला दण्डनायक, सीकर ने सूचित किया है कि इस प्रकार के दो शस्त्र उनके जिले में वापिस जमा हुए हैं (१) श्री श्यामलाल ने डिफेन्स फन्ड में दान किया है व (२) श्री मोहम्मदबख्श ने इस

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बिना पर शस्त्र जमा कराया है कि उसे इस शस्त्र के कारतूस नहीं मिल रहे हैं। इन दोनों में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(३) इसका उत्तर प्रश्न २ के उत्तर में शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : यह शो कॉज नोटिस कब दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हर जिले में अलग-अलग रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग तारीखों में दिया है। तारीखें इस समय मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के अधिकारियों में क्या कलेक्टर्स भी शामिल हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें कलक्टर्स भी हैं या नहीं ? उनको शो कॉज नोटिस कौन देगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गवर्नमेन्ट से दे दिया जायेगा।

भैरोंसिंह : इसका मतलब कलेक्टर्स भी इसमें हैं। एस० पी० भी हैं। इनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा है, बहुत सी जगह जो कलेक्टर्स थे वे कलेक्टर्स अभी नहीं हैं। वहां से उनको नोटिस दे दिया जायगा। इसी प्रकार जिस जगह एस० पी० थे और वे वहां नहीं हैं, तो मौजूदा एस० पी० उनको नोटिस दे देगा। इस प्रकार की बात ध्यान में आयेगी तो उनको गवर्नमेन्ट से नोटिस दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : नोटिस आर्म्स एक्ट में दिये जा रहे हैं ? बाकी किसी कानून में नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सर्विस क्लासीफिकेशन रूल्स के अन्तर्गत राज्य सरकार की आज्ञा की अवहेलना, उसकी पालना नहीं करने पर दिये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सर्विस क्लासीफिकेशन रूल्स के अनुसार क्या एक सबोर्डिनेट अपने सीनियर ऑफिसर को भी शो कॉज नोटिस दे सकता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी ब नहीं है। हर जिले में जिला दण्डनायक हैं और उनकी मार्फत शो कॉज नोटिस भी दिये जा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिला दण्डनायक क्या डी० आई० जी० को, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को, सेक्रेटरियेट में बैठे हुए सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस देगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के चेयरमैन कलेक्टर थे। हथियार बेचने वाली कमेटी के चेयरमैन कलेक्टर थे। उनके आदेश से हथियार मिले हैं। इसलिये सेक्रेटरी, डी० आई० जी० साधारण श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी हैसियत से कमेटी से हथियार खरीदे थे। इसलिये कलेक्टर उनको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं। साधारण आदमी की हैसियत में आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो कलेक्टर कमेटी का चेयरमैन है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये, उसको नोटिस कलेक्टर कैसे देगा ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सतर्कता आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर ही यह कार्यवाही की जा रही है। उसमें यह साफ है कि जो हथियार जिन्होंने खरीदे हैं वे वापिस कर दें। जिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट ने ये हथियार खरीदे हैं, उनको नोटिस दिया जायेगा।

अगर उस नोटिस के जवाब में वापसी हथियार के आदेश की पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जायगा। कुछ इर्रेगुलेरिटीज हुई इसलिये सेल केन्सल करना आवश्यक है। वे चूंकि गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं इसलिये उनको मौका दिया गया है कि हथियार वापिस कर दें और कीमत वापिस ले लेवें। अगर नहीं कराते हैं तो कानूनी और डिसिप्लिनरी एक्शन जो होना चाहिये वह किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : केवल हथियार लेने की कार्यवाही चल रही हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाय वह कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले हथियार लेने की।

श्री भैरोंसिंह : हथियार लेने की जो सूचना दी है वह अवधि में दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अवधि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग है। शो कॉज नोटिस कलेक्टर ने दिया है। अवधि जरूर दी होगी। अभी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के नोटिस पहले भी दिये गये थे, पिछले सत्र में यह कहा गया था कि नोटिस दिये गये हैं और आज भी यही कहते हैं। इन दोनों के अन्दर क्या समझा जाय पहले सत्र में जो नोटिस दिये थे उनको ही समझा जाय या क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग रिपोर्ट अलग-अलग जिलों के लिये विजिलेन्स कमिश्नर से आई है। पिछले सत्र में उनके लिये कहा होगा जिनकी रिपोर्ट आ गई होगी। पूरे जिले की रिपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और उसी तरह से उनको नोटिस दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक-दो बात और पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ! पिछले साल में जिन जिलों के सम्बन्ध में यह सूचना दी थी कि अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं तो क्या यह समझा जाय कि उनके हथियार अभी तक जमा नहीं हुये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले सत्रों में क्या कहा था, उसके लिये मुझे मेरी याददाश्त ताजा करने की जरूरत है। मुझे याद नहीं पिछले सत्र में क्या कहा था।

श्री भैरोंसिंह : यह याददाश्त भी मैं ताजा करूंगा या अध्यक्ष महोदय आप करेंगे ? इस हाउस में जो कहा था गृह-मंत्रीजी को स्वयं को याद है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के पास यदि वह आश्वासन हो तो वह दिखा दिया जाय ताकि सदन को और माननीय मंत्रीजी को याददाश्त हो जाय।

Page No. 18

श्री भैरोंसिंह : मुझे मालूम होता तो मैं प्रोसीडिंग्स ले आता। माननीय मंत्रीजी को, अध्यक्ष महोदय, च्यवनप्राश खानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन के प्रश्न पर अगर कोई बात होती है तो आश्वासन का वह एक्सट्रेक्ट माननीय सदस्य के पास रहना चाहिये, ऐसा नियम भी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष-महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अर्ज करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि इस मामले की गम्भीरता को सरकार ने महसूस किया है। हम कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेंगे। अगर इसमें ढील होगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुद कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन के अध्यक्ष श्री टंडन को हटाने का कारण ही यह है कि इसमें कई आई० ए० एस० ऑफिसर्स और कई आर० पी० एस० ऑफिसर्स इन्वोल्व्ड हैं, जिन्होंने पांच-पांच हजार के हथियारों को ५-५ रुपये में खरीदा है यह उस जांच का परिणाम है। उसी नाराजगी को निकालने के लिये, कि इतने सारे ऑफिसर्स इन्वोल्व्ड हैं टंडनजी को वहां से हटाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। शिक्षा मंत्रीजी!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या ये जो नोटिसेज इश्यू हुए हैं उनके एक भी जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो जवाब दिया, उसको सुना नहीं। कलेक्टर को आदेश दिये हैं कि वह नोटिस इश्यू करे और नोटिस इस बात के किये जायं कि हथियार जमा करा दें। जैसा अभी माननीय राज्य मंत्रीजी ने कहा कि एक-दो जिलों में हथियार जमा हो चुके हैं बाकी की इत्तला हमारे पास नहीं आई है। मगर नोटिस बराबर दिये गये हैं और एज गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट उनकी पालना करना उनका फर्ज है। और अगर कोई नहीं पालना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८९

हायर सेकेन्डरी स्कूल, अराईमें विज्ञान विषय की पढ़ाई

१८९. **श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) :** क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़ के कस्बा अराई में हायर सेकन्डरी स्कूल में सिर्फ आर्ट्स की ही शिक्षा का प्रबन्ध है?

(२) क्या यह भी सही है कि निवासीगण की तरफ से उक्त स्कूल में विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध कराने की काफी समय से मांग की हुई है?

(३) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कदम उठाया व अब कब तक वहां पर विज्ञान की शिक्षा हेतु क्लास खुलवा दी जावेगी?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हां।

(राव श्री धीरसिंह)

(२) जी हां।

(३) पिछले सत्र में इस शाला की कक्षा ६ में छात्र संख्या केवल २७ थी और अन्य वैकल्पिक विषय प्रारम्भ करने का औचित्य नहीं है। इसके अलावा अराई इतना बड़ा कस्बा नहीं है जहां पर कि विज्ञान विषय का औचित्य हो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री दौलतराम सारण : औचित्य क्यों नहीं ? औचित्य के क्या आधार हैं ?

राव श्री धीरसिंह : छात्र संख्या कम से कम ३० होनी चाहिये। कक्षा ६ में केवल छात्र संख्या ही २७ है।

श्री दौलतराम सारण : क्या छात्र संख्या कम होने का कारण यह नहीं है कि वहां यह विषय नहीं होने के कारण बाहर चले जाते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): किस संख्या पर विज्ञान का विषय खोलते हैं ? ऐसी कोई नीति निर्धारित की है शिक्षा विभाग ने ?

राव श्री धीरसिंह : कम से कम ३० छात्र होने चाहियें। इस सारी क्लास में ही २७ छात्र हैं।

श्री विजयसिंह : ये मिनिस्टर तो ३६ हैं, इनको विज्ञान का विषय पढ़ाना कब शुरू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

१९०. श्री भवनलाल (हिण्डौन-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांधीनगर स्थित सरकारी क्वार्टरों की देखभाल के लिये कितना स्टाफ रखा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त कर्मचारियों के लिये दैनिक काम का क्या आउट-पुट निर्धारित किया हुआ है ?

(३) ये कर्मचारी प्रतिदिन निर्धारित काम पूरा करते हैं अथवा नहीं, यह देखने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की हुई है ?

(४) क्या प्रतिदिन कर्मचारियों को इन क्वार्टरों में काम करने के लिये भेजते समय किसी रजिस्टर में उसका इन्द्राज किया जाता है तथा वापिस आने पर किये गये कार्य का इन्द्राज किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) निर्धारित कार्य पूरा न करने पर कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

(६) पिछले छः महीनों में कितने ऐसे मामले पाये गये जिनमें निर्धारित काम पूरा न करने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(२) आउट-पुट निर्धारित नहीं है।

(३) सुपरवाइजरी स्टाफ काम की देख-रेख के लिये नियुक्त है।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री अध्यक्ष : वापिस सुना दें।

श्री माधोसिंह : (१) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(२) आउट-पुट निर्धारित नहीं है।

(३) सुपरवाइजरी स्टाफ काम की देख-रेख के लिये नियुक्त है।

(४) पंजिका में दर्ज किया जाता है।

(५) दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(६) दो मामले ऐसे हुए हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रवणलाल : कितने कमरे हैं इनकी संख्या क्या है? कितने क्वार्टर्स हैं और उनमें ए. श्रेणी के कितने, बी. श्रेणी के कितने और सी. श्रेणी के कितने हैं?

श्री माधोसिंह : कुल ७४८ बंगले हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि कुछ उच्चाधिकारियों के जो कमरे हैं उतने कमरों में ही अधिकतर वर्क करते रहते हैं और जो नीचे के अधिकारी हैं उनके यहां और जो वहां रहते हैं, उनके यहां वर्क नहीं होता है?

श्री माधोसिंह : यह बात गलत है। जैसा उचित होता है, किया जाता है।

श्री श्रवणलाल : दो मामलों में कार्यवाही चल रही है। इनकी किस बात पर शिकायत आई है। क्या आपने कोई जांच कराई है?

श्री माधोसिंह : उनसे एक्स्प्लेनेशन मांगा जा रहा है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि क्वार्टर्स की जो संख्या बताई और जो वहां हरिजन काम करने वाले हैं उनकी संख्या तीन के करीब है, क्या यह अपर्याप्त है?

श्री माधोसिंह : आवश्यकतानुसार रख लिये गये हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि क्वार्टर्स ज्यादा हैं और सफाई करने वाले कम हैं तो सफाई उस जगह की होती है जहां अधिकारी रहते हैं, कर्मचारियों के कमरों की देखभाल नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है?

श्री माधोसिंह : यह ठीक नहीं है। अगर आप जानकारी देंगे तो मैं और जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

प्रश्न संख्या १९१

कोटा में फर्टीलाइजर की फैक्ट्री

१९१. श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा में डी० सी० एम० द्वारा खोली जाने वाली फर्टीलाइजर फैक्ट्री कब तक बनकर तैयार हो जाने वाली है और इसमें कितना टन फर्टीलाइजर तैयार किया जावेगा?

(श्री झुझारसिंह)

(२) कोटा फर्टीलाइजर फैक्ट्री में तैयार किया जाने वाला फर्टीलाइजर का किस प्रकार का वितरण होगा और कितना पर्सेन्ट फर्टीलाइजर राजस्थान को मिलेगा ? क्या सरकार ने भाव व क्वान्टिटी के बाबत राजस्थान को क्या बेनीफिट्स मिलेंगे इस विषय में डी० सी० एम० से एग्रीमेन्ट किया है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) डी० सी० एम० फर्टीलाइजर फैक्ट्री बनाने हेतु सरकार ने डी० सी० एम० को कितनी जमीन किस भाव से दी है और यह भाव कोटा के प्रीविलेन्ट रेट से कितनी कम या ज्यादा है ? इस अन्तर का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) फर्टीलाइजर फैक्ट्री जनवरी, १९६९ तक बनकर तैयार हो जायगी तथा उत्पादन शुरू हो जावेगा। इसके प्रथम चरण में २,४०,००० टन यूरिया प्र० व० तथा पूरी क्षमता पर पहुँचने पर ४,६०,००० टन प्र० व० विविध प्रकार का खाद तैयार होगा।

(२) फर्टीलाइजर का वितरण भारत सरकार के आदेशानुसार होगा। राज्य सरकार ने इस विषय में किसी प्रकार का अनुभव नहीं किया है।

(३) पार्टी को ५८१.६९ एकड़ भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम १९५९ के अन्तर्गत निम्न भावों पर दी गई थी जो कोटा नगर के लिये निश्चित है :—

१. १,५०० रु० प्रति एकड़ की दर विकास शुल्क।

२. ३० रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से किराया (रेन्ट) प्रीविलेन्ट मार्केट रेट्स का उक्त रूप से दी जाने वाली भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री झुझारसिंह : किस रेट से दे रहे हैं ? १,५०० रु० एकड़ से दी गई है क्या ?

श्री भीमसेन : जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार दी गई है, स्पेशल कन्सेशन नहीं दिया गया है।

श्री झुझारसिंह : १,५०० रु० एकड़ से कम में दी है, डी० सी० एम० को ?

श्री भीमसेन : मेरे ख्याल से जब से ये नियम लागू हुए हैं तब से इन नियमों के अनुसार ही जमीन दी गई है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उन नियमों के लागू होने से पहले दी है या नहीं ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं।

श्री झुझारसिंह : फिर क्या रेट थी ?

श्री हरिदेव जोशी : १,५०० रु० शुल्क है और ३० रु० किराये के हैं, जो प्रश्न में बताया गया है।

श्री झुझारसिंह : डेवलपमेन्ट चार्जेज क्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रश्न में बताया गया है वही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल !

कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति

१६२. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग में दिनांक २८-६-६७ को किसी महिला को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त महिला पूर्व में इसी विभाग में कार्य करती थी ? अगर हां, तो कब से कब तक व किस पद पर ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त महिला लगभग १ वर्ष तक नौकरी काल में अनुपस्थित रही थी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त महिला की नौकरी में हुए ब्रेक को कन्डोन किया गया है ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्री बी० एन. जोशी): (१) जी नहीं। दिनांक २८-६-६७ से किसी महिला कनिष्ठ लिपिक की नई नियुक्ति नहीं की गई। बल्कि दिनांक ११-५-६६ से कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक २८-९-६७ की आज्ञा द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया।

(२) जी हां। उक्त महिला पूर्व में इसी विभाग में कार्य करती थी। यह दिनांक २९-३-५७ से ही कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्य कर रही है।

(३) जी हां। उक्त महिला १ वर्ष ४ महीने तथा १६ दिन बीमारी के कारण अवकाश पर अनुपस्थित रही थी।

(४) जी हां, दिनांक ११-९-६५ से १०-५-६६ तक बीमारी के कारण उपरोक्त महिला के सेवा-काल में ब्रेक को २६-८-६७ की आज्ञा द्वारा कन्डोन किया गया है। क्योंकि इतने समय के लिये असाधारण अवकाश देय नहीं होता था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उक्त एल० डी० सी० आपके डाइरेक्टोरेट में आने से पहले राज्य महिला सेवा सदन के अंदर एल० डी० सी थी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : संभवतः थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य महिला सेवा सदन को बिना सूचना के यह लगातार गैर-हाजिर हो गई ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह अलग प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अलग प्रश्न नहीं है। क्या यह सही है कि जो राज्य महिला सेवा सदन के अंदर एल० डी० सी० थी और जिसके बारे में आपने स्वीकार किया है कि एक साल से भी अधिक गैर-हाजिर रही, यह राज्य महिला सेवा सदन को बिना किसी सूचना के और पूर्व स्वीकृति के एकदम गैर-हाजिर हो गई थी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राज्य महिला सेवा सदन के पीरियड के संबंध में आपने कोई सवाल नहीं किया है इसलिए उसके लिए तैयार होकर आना मेरे लिए संभव नहीं था।

श्री कृष्णकुमार गोयल, यह महिला एबसेन्ट होने से पहले किस स्थान पर एल० डी० सी० की हैसियत से नियुक्त थी ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : २८-९-६७ से विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है। इस कार्यालय के आदेश संख्या ५७७/ नियुक्ति, दिनांक २३-३-५७ के द्वारा इस महिला को राज्य महिला सेवा सदन में एल० डी० सी० के पद पर नियुक्त किया गया था.........

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तो पाठ पढ़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि राज्य महिला सेवा सदन को बिना किसी सूचना दिए, बिना छुट्टी की पूर्व स्वीकृति के अचानक गैर-हाजिर हो गई थी और क्या यह सही है कि वह स्टार्म इन्चार्ज थी, उसका ऑडिट किया गया था और स्टोर के अन्दर शार्टेज पाई गई और उसको चार्ज-शीट दी गई थी ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने जो तथ्य बताए हैं, वे मेरी जानकारी में नहीं हैं। जिस पीरियड के लिए वह गैर-हाजिर रही उसके लिए मेडीकल सर्टिफिकेट पेश किया है और वह पीरियड नियमानुसार मेडीकल लीव ट्रीट किया गया है। इस पीरियड को आर० एस० आर० के नियम २१२ के तहत ब्रेक ऑफ सर्विस मानकर कन्डोन किया गया है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार यदि किसी अस्थाई नियुक्तियों के संबंध में कोई सर्विस में ब्रेक हो गया तो वह कन्डोन नहीं किया जा सकता ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी नहीं। आर० एस० आर० के नियम २१२ के तहत यदि किसी अस्थाई कर्मचारी की सेवा ५ वर्ष से अधिक है तो उसके सेवाकाल के ब्रेक को सरकार एक वर्ष तक के लिये कन्डोन कर सकती है जबकि इस केस में कन्डोन ७ माह व १९ दिन के लिए किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कन्डोन सिर्फ पेन्शन के लिए किया जा सकता है और अन्य पर्पजेज के लिए नहीं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मात्र पर्पजेज के लिए किया जा सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसे रूल के तहत ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : राजस्थान राज्य सेवा नियम, २१२ के अनुसार अनुपस्थिति के पीरियड को कन्डोन किया जा सकता है क्योंकि बीमारी किसी के हाथ की बात नहीं होती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य मंत्री नियम २१२ का हवाला दे रहे हैं, मैं वही पढ़कर सुनाता हूं, और उसके अनुसार केवल पेन्शन के लिए ही ब्रेक को कन्डोन कर सकते हैं, किसी अन्य पर्पज के लिए नहीं।

श्री अध्यक्ष : पढ़कर सुनाइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : "तथा पेन्शन के लिए पहले की कुछ योग्य सेवा को शुमार करने की इजाजत दिया जाना उचित समझा जाय"। केवल पेन्शन के लिए आप कन्डोन कर सकते हैं किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमने भी उसी पर्पज के लिए कन्डोन किया है। उस पीरियड की तनख्वाह थोड़े ही दे रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह जो मेडीकल सर्टिफिकेट दिया है वह मेडीकल जुरिस्ट का है या प्राइवेट डॉक्टर का है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : डिटेल्स मेरे पास नहीं लेकिन वह काम्पिटेन्ट मेडीकल ग्रॉथोरिटी का है।

श्री भैरोंसिंह : कौन है वह ? क्या यह सही है कि ग्रार० एस० ग्रार० के ग्रंतर्गत जब तक मेडीकल बोर्ड सर्टिफाई न करे कि ग्रमुक समय के ग्रन्दर ग्रमुक व्यक्ति बीमार रहा है, उस समय एक किसी मेडीकल प्रेक्टीशनर के सर्टिफिकेट को कन्डोनेशन के लिए कोई तरजीह नहीं दी जाती ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस बात की जानकारी कर ली जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ग्रध्यक्ष महोदय, यह महिला लगभग एक साल से ग्रधिक समय के लिए ग्रचानक गैर-हाजिर हुई। वह राज्य महिला सेवा सदन के ग्रंदर एल० डी० सी० थी, वहां उन्होंने गबन किया, जब जांच होने वाली थी तो बिना छुट्टी स्वीकृत कराए फरार हो गई। चार्ज-शीट दी गई, चाबी मंगाई तो चाबी नहीं दी गई, फिर इसके बाद ग्रचानक उसको ड्यूटी पर जोइन करना एलो कर दिया, उधर राज्य महिला सेवा सदन से उसके ट्रांसफर ग्रॉर्डर्स कर दिए ग्रौर डाइरेक्टोरेट के ग्रंदर रख लिया, वहां रखने के बाद उनकी सर्विसेज को ट्रांसफर किया। उसके बाद छुट्टियां विथ पे, विथ हाफ पे, विदाउट पे, सब छुट्टियां स्वीकार करने के बाद भी जब ब्रेक था सर्विस में तो उस ब्रेक को मानकर इस एल० डी० सी० को रीएपाइंट कर दिया। उसके बाद जो ब्रेक था उसको कन्डोन किया ग्रौर उसके बाद ग्राश्चर्य यह है कि उस एल० डी० सी० को कन्फर्म कर दिया No, she is a confirmed L. D. C.

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय ग्राप जांच कर लें।

स्थगित प्रश्न। श्री रामचंद्र ग्रार्य।

श्री रामचंद्र ग्रार्य : प्रश्न संख्या ४०।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न है ११३।

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों के बाद समय होगा तो ले लेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मेरा प्रश्न संख्या २०३ है।

श्री ग्रध्यक्ष : पहले स्थगित प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न बहुत गंभीर है। इसके ग्रन्दर जीपों ग्रौर कारों की चोरियों के बारे में...

श्री ग्रध्यक्ष : सब गंभीर प्रश्न हैं। मेरे सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो गंभीर नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार पहले चर्चा हो चुकी है जैसे श्री हरिदेव जोशी पर चार्ज लगाया था, वह ऐसा मसला है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ! शिक्षा मन्त्री !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं नम्र शब्दों में ग्रापसे निवेदन करूं कि जीपों का प्रश्न टाला जा रहा है....

श्री ग्रध्यक्ष : टालने का प्रश्न कहां है ? ग्रॉर्डर प्लीज !

स्थगित प्रश्न

(२८-८-६८)

अध्यापकों के वेतन भुगतान में विलम्ब

४०. **श्री रामचन्द्र प्रार्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर के अरबन प्राथमिक स्कूल व नोहर के मिडिल स्कूलों के अध्यापकों का वेतन निरीक्षक कार्यालय, श्री गंगानगर द्वारा हमेशा ही बहुत देरी से दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा संघ उप-शाखा नोहर द्वारा सम्बन्धित विभाग को बार-बार लिखा गया है लेकिन निरीक्षक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं ?

(३) उक्त निरीक्षक द्वारा किस-किस अध्यापक का किस-किस माह का वेतन रोका हुआ है और क्यों ?

(४) सरकार उन्हें यह वेतन कब तक दिलाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) प्राथमिक स्कूल रावतसर. विद्यालय निरीक्षक श्रीगंगानगर के अधीनस्थ नहीं है। जहां तक नोहर के मिडिल स्कूल के अध्यापकों को समय पर वेतन दिलाने का सम्बन्ध है, विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा वेतन आम तौर पर समय पर दिया जा रहा है हालांकि कुछ शालाओं को वेतन इस कारण से देर से मिला बताया जाता है कि उनके प्रधानाध्यापकों ने वेतन बिल उक्त कार्यालय में विलम्ब से भेजे हैं–जैसे राजकीय मिडिल स्कूल, टुन्डेला के वेतन बिल माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, १९६७ के क्रमशः दिनांक २६-७-६७, २३-८-६७, २३-९-६७ और २४-१०-६७ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अन्य कई शालाओं के वेतन बिल भी २० तारीख के बाद प्राप्त हुए हैं। कार्यालय द्वारा अध्यापकों को वेतन १० तारीख तक देने की कोशिश की जाती है। कई माध्यमिक शालायें गांवों में हैं जहां कि डाक देर से पहुँचती है इस कारण से भी कभी-कभी अध्यापकों को वेतन मिलने में देर हो जाती है।

(२) विद्यालय निरीक्षक, गंगानगर के कार्यालय की सूचना अनुसार राजस्थान शिक्षा संघ, नोहर द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त कार्यालय को नहीं लिखा गया है।

(३) सभी अध्यापकों को वेतन समय पर दिलाया जा रहा है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री रामचन्द्र प्रार्य : क्या यह सही है कि आपके पास जो रिपोर्ट आई है वह बिल्कुल असत्य है ? जिला निरीक्षक के खिलाफ बड़ी शिकायतें हैं। मेरे पास इश्तिहार है इसकी जांच करवाई जायगी इस पर आपको क्या कहना है ?

राव श्री धीरसिंह : जांच करवा लूंगा इश्तिहार के बारे में आप लिख कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र प्रार्य : यह जो रिपोर्ट आयी है बिल्कुल असत्य है। समय-समय पर अध्यापकों का वेतन रोका गया है, दो-दो

Page No. 26

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तीन-तीन महीने तक तनख्वाह उनको नहीं दी जा रही है। इस बारे में गंगानगर का निरीक्षक बड़ा माहिर है इसकी जांच करवाई जाय।

राव श्री धीरसिंह : बीस तारीख से पहले पेबिल्स आ जाना चाहिये, एक रीजन यह भी है कि इस तरह से बिल्स नहीं आये। दूसरा गांवों में डाक का और संचार साधन का अभाव है। इससे ट्रेजरी में बिल भेजने में भी देरी हो सकती है। बिल पास होकर मिडिल स्कूल के हैड मास्टर के पास जाता है इसमें निरीक्षक का सवाल नहीं। अगर जान-बूझ कर गंगानगर के निरीक्षक की देर से भेजने की बात है तो आप इश्तिहार के बारे में नोटिस देंगे तो जांच करवा ली जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : बिल देरी से पहुँचे हैं अगर यह रिपोर्ट है तो बिल्कुल असत्य है। समय पर बिल भेज दिये जाते हैं लेकिन निरीक्षक के कार्यालय में कुछ लिये-दिये बगैर बिल नहीं निकलते।

राव श्री धीरसिंह : आपकी शिकायत पर जांच करवा ली जायगी। जैसे कि कारण आपने बताये अगर वे हैं तो।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस निरीक्षक को निलम्बित कर जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : वे जांच कर लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन है उसको निलम्बित कर जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट! श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा!

स्थगित प्रश्न

(२८-८-६८)

अकलेरा हाई स्कूल के अध्यापक

४८. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अकलेरा हाई स्कूल में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो अकलेरा के ही निवासी हैं और एक लम्बे समय से यहां कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यहां के प्रधानाध्यापक साम्प्रदायिक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक सम्प्रदाय विशेष का ग्रूप बनाया हुआ है जिससे शिक्षण संस्था का वातावरण निरन्तर विषाक्त होता जा रहा है ?

(३) क्या विद्यार्थियों को इस बात के लिये बाध्य किया गया है वे ऐच्छिक विषयों में उर्दू को ही लेवें अन्यथा उन्हें फेल कर दिया जायेगा और विद्यार्थियों के इन्कार करने पर भी उन्हें उर्दू विषय दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस स्कूल में गुण्डागर्दी के कारण कई छात्राओं को पढ़ाई छोड़कर अपने घर पर बैठना पड़ा है ?

(५) क्या इस बाबत डिप्टी डाइरेक्टर, उदयपुर से शिक्षा मंत्री से किसी शिष्ट मंडल ने शिकायत कई बार की है किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(६) क्या पिछले दिनों विवेकानन्द स्मारक कोष के लिये एकत्रित किये जाने वाले कोष के चन्दे का यहां प्रधानाध्यापक ने खुल कर विरोध किया है और जिन विद्यार्थियों ने

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

कुछ चन्दा दिया था उनका पैसा वापिस लौटाने की उन्हें प्रेरणा दी है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) केवल एक स्थानीय अध्यापक है जो इस शाला में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है।

(२) प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण कर दिया गया है एवं जांच की जा रही है।

(३) इसकी जांच की जा रही है।

(४) इसकी जांच की जा रही है।

(५) जांच कर रहे हैं।

(६) इसकी जांच की जा रही है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : यह तो स्थगित प्रश्न है। जब, स्थगित प्रश्न पूछा जाता है तो जांच की जा रही है यह कहना कहां तक उचित है ? स्थगित प्रश्न पर तो पूरी जांच होकर जवाब आना चाहिये।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : सवाल के जवाब में जांच करने का नहीं कह रहे हैं बल्कि जिन फैक्ट का जिक्र आया है उनकी जांच कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : स्थगित प्रश्न means, you must come prepared.

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस प्रधानाध्यापक का तबादला करने पर भी वह वहीं पर है, बाहर नहीं गया है ?

राव श्री धीरसिंह : तबादला कर दिया गया, दूसरे को लगा दिया। वहां से उसका तबादला हुए काफी दिन हो गये वहां से नहीं जा रहा है तो जल्दी से भिजवा देंगे।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : राजनैतिक दबाव डालकर उसको वहीं रखने की चेष्टा की जा रही है।

राव श्री धीरसिंह : नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उसको जाना होगा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उसके खिलाफ लड़कियों से छेड़-छाड़ करने की भी शिकायत हैं ?

श्री अध्यक्ष : जांच की जा रही है। नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह

स्थगित प्रश्न

(२८-८-६८)

भारत सुरक्षा कानून और नियमों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

४२. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल-जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक कौन–कौन व्यक्ति भारत सुरक्षा कानून एवं नियमों के अन्तर्गत कब कब गिरफ्तार किये गये और उनको कब-कब मुक्त किया गया ? कृपया नाम पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) किन–किन व्यक्तियों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमें चलाये गये और उनके प्रत्येक का क्या परिणाम रहा ?

Page No. 28

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(३) उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदालती कार्यवाही के प्रतिरिक्त यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो किस–किस प्रकार की प्रोर किन-किन के ।

(४) इन व्यक्तियों में कौन कौन पाकिस्तान चले गये ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) राजस्थान के २० जिले जिनकी सूचना प्राप्त हो गई उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) प्राप्त सूचना के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(३) डी० आई० आर० के अनुसार अदालती कार्यवाही के अलावा जहां नियमानुसार डिपोर्टेशन किया जा सकता था किया गया है ।

(४) २० जिलों की जिलेवार सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

चोरी की कारों व जीपों की बरामदगी

१९१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील दौसा के क्षेत्र में राज्य की पुलिस ने छापा मारकर चोरी से सम्बन्धित कुछ कारें व जीपें मय अपराधी के पकड़ी हैं ?

(२) यदि हां, तो किस तारीख को किस स्थान से छापा मारकर क्या-क्या चीजें व किस-किस व्यक्ति को किस अपराध में पकड़ा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या यह सही है कि उक्त गिरोह ने कुछ जीपें व कारें तथा चीजें किसी राजकीय अधिकारी या उसके रिश्तेदारों को बेची है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को ?

(४) क्या यह सही है कि चोरी से उड़ाई गई जीप व कारों के यातायात सम्बन्धित कागजात फर्जी ढंग से राजस्थान में ही किसी सरकारी अधिकारी के कार्यालय से तैयार हुए हैं ? यदि हां, तो किस स्थान के किस विभाग के अधिकारी के कार्यालय से तैयार हुए और ये जीपें व कारें व अन्य सामान किस स्थान से चोरी गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(५) पुलिस ने अब तक इस सम्बन्ध में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी नहीं। वास्तविकता यह है कि चोरी सम्बन्धित ३ जीपें व २ कारें जयपुर में पकड़ी गई थीं जिनमें से एक जीप तो चन्दबाजी से आगे देहली रोड पर व बाकी सब गाड़ियां नगर जयपुर में ही पकड़ी गई हैं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं । यह बात सही नहीं है कि उपरोक्त मुल्जिमान ने इन जीपों व

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कारों को किसी राजकीय अधिकारी या उसके रिश्तेदारों को बेचा है।

वास्तविकता यह है कि इनमें से एक फियेट कार व रेडियो रामदयाल अभियुक्त ने श्री मुकुटबिहारी एस० डी० एम०, टोंक को इसलिये दिया था कि वह उससे बाद में आकर ले लेगा। श्री मुकुटबिहारी ने यह रेडियो पुलिस को स्वयं तारीख २०-७-६८ को पेश कर दिया था। श्री रामदयाल का मुकुटबिहारी से पूर्व परिचय था।

(४) यह पाया जाता है कि उक्त गाड़ियों में से ३ जीपों के बारे में फर्जी कागजात पेश करके बून्दी में एस० डी० एम० के ऑफिस से ट्रान्सफर कागजात बनवाये गये थे।

उपरोक्त मोटर गाड़ियां अनुसन्धान से बम्बई के मुकदमात से सम्बन्धित पाई गईं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इस सम्बन्ध में बम्बई पुलिस को सूचना भेजी गई जिस पर वहां से उपरोक्त दोनों थानाजात के अधिकारी जयपुर आये और पांचों गाड़ियों व अभियुक्त दीपक को जयपुर की अदालत मुताल्लिक से आदेश प्राप्त कर अपने मुकदमात के सम्बन्ध में बम्बई ले गये। बाकी मुल्जिमान जमानत पर होने से बम्बई पुलिस को उपलब्ध नहीं हो सके। मुकदमे का अनुसन्धान अभी प्रगति पर है। बम्बई पुलिस से लिखा पढ़ी चल रही है जिसके उत्तर के बाद भविष्य में कार्यवाही की जावेगी।

(५) पुलिस ने अब तक सर्वश्री प्रभुसिंह, तारासिंह, रामदयाल, जगदीशसिंह दीपक उर्फ काशीनाथ उर्फ हरिशचन्द्र उर्फ रमेश नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा इसके खिलाफ केस एफ० आई० आर० नं० ६४ तारीख १७-४-६८ धारा ४१४ आई० पी० सी० पंजीबद्ध किया है जो अभी जेर तफतीश है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि जिन राजकीय अधिकारियों ने ये जीपें खरीदी और जिनको उन्होंने बेची है क्या उनको बेचने का अधिकार था ? जिनके पास जीपों के सम्बन्ध में कागजात सही ढग से नहीं पाय गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने जवाब में कहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के पास ये जीपें नहीं मिलीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न भाग एक में आपने कहा है कि एक जज द्वारा जीप खरीदी गई। उसने किसी मिस्त्री को रिपेयरिंग के लिये दी। उसको पता चला कि यह चोरी की है तो उस जज ने ४२० करके जो खरीदी है वह किस आधार पर खरीदी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिनकी आप बात कर रहे हैं वे रिटायर्ड सिविल जज हैं। वे अब राजस्थान सरकार की नौकरी में नहीं हैं। एक फियेट कार का रेडियो जरूर इस अभियुक्त ने मुकुटबिहारी को दिया था कि वे वापिस आकर ले लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किस तारीख को कार खरीदी और किस तारीख को सूचना दी कि यह चोरी की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सूचना देने का प्रश्न ही नहीं होता। जब मिस्त्री को पता चला कि मशीन का नम्बर घिसा हुआ है तो उसको शक हो गया और इत्तला पुलिस को दे दी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल-जयपुर) : एक मुझे पूछना है। बूंदी में ट्रान्सफर सम्बन्ध कागजात तैयार करवाये तो क्या इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन करवाया कि सरकारी अधिकारियों का भी इसमें कोई हाथ था या नहीं, उनको नोलेज थी या नहीं कि ये गाड़ियां बम्बई से चुराई गई हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश से यह नहीं जाना गया, तफतीश अभी जारी है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय, या तो आपकी मार्फत जबाब आए।

श्री अध्यक्ष : आप तो बाला-बाला ही पूछ लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है कि जयपुर में ये गाड़ियां कब आ गई थीं और चौमू के उप-चुनाव में कितने दिन काम आईं और किस-किस नेता के पास कितने-कितने दिन रहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी वह सारी की गई। चोरी कब की गई यह भी मालूम किया है। बम्बई से ये चोरी से आई हैं। दीपक नामक व्यक्ति ने की है। इतनी जानकारी अभी हो सकी है। आगे जांच जारी है। आगे जो वाकयात सामने आवेंगे अगर आप पूछते रहेंगे तो बताये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के यह ध्यान में आया है कि इन चोरी की गाड़ियों को जयपुर के दो चुनावों में काम में लिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह एकदम गलत है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के नाम से इन गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया है पेट्रोल पंपों से ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कतई गलत है।

श्री भैरोंसिंह : दौसा के थाने में इनका इन्द्राज है क्या यह भी जानकारी में है आपके ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कतई जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ये गाड़ियां तो दौसा और चौमू के चुनावों में काम आई हैं और इन चोरी की गाड़ियों से कांग्रेस जीत सकी है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि इनमें से एक कार कांग्रेस के उम्मीदवार के पास थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बिलकुल नहीं।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने खरीदने का तै किया था ? फियेट कार थी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि यह फियेट कार दौलतरामजी के पास थी ?

श्री दौलतराम सारण : थी तो एन्क्वायरी करो यही तो हम कहते हैं। प्रश्न बड़ा गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि इन जीप कारों ने दौसा और चौमू क्षेत्र में जिस-जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया है वहां यह लिखा है कि कांग्रेस के चुनाव फन्ड से........

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया ! पूरा बोलने तो दीजिये, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया गया, और इसका उत्तर आ गया। आॅर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि पुलिस में यह रिकार्ड है कि जिस-जिस जीप और कार ने जैसे-जैसे पेट्रोल पम्प से पेट्रोल लिया है उसके अन्दर पेट्रोल पम्प वालों ने जीप का नाम आर. जे. आर. (अदृश्य) लिखा है और पुलिस ने उनको जब्त किया है तो यह जानकारी में कैसे नहीं आया ? यह बिलकुल सही बात है और माननीय राज्य-मन्त्रीजी यह टालना चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह हमारी जानकारी में नहीं आया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष : तो मैं क्या करूं ? उनको क्या फोर्स करूं ? नहीं आया, समाप्त हुआ प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मन्त्रीजी से जवाब दिलवाया जावे ऐसा था या नहीं, वे स्वयं इन्चार्ज थे वहां पर। जो जीपें और कारें चोरी होकर बम्बई से यहां आईं उनके बारे में यह बताने की कृपा करें कि उनके बारे में रामदयाल को गिरफ्तार किया गया डांगरवाड़े के सरपंच को और वह पी. सी. सी. का भी सदस्य है या नहीं– यह भी बतावें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रामदयाल पी. सी. सी. का सदस्य नहीं है। डांगरवाड़े का सरपंच था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पी. सी. सी. का रामदयाल सदस्य नहीं था यह गलत है। था, कांग्रेस ने इसके बाद निकाला है इसको गिरफ्तार होने के बाद। मन्त्रीजी झूठ बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह : १९५ की इजाजत दे दीजिये, इसका सप्लीमेन्टरी मैं नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये) —

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हरिजन छात्रावासों के भवन की समस्या

१७८. **श्री रतनलाल रोत** (चोरासी) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के कितने छात्रावास अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ?

(श्री रतनलाल रौत)

(२) क्या विभाग द्वारा समस्त राजस्थान में इस प्रकार की कोई जांच की गई है कि राज्य में कितने छात्रावास कम से कम चलाये जाने की नितान्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?.

(३) क्या राजस्थान में विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों के भवनों की समस्या हल हुई है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने छात्रावासों के भवन बनाने की आवश्यकता है ?

(४) क्या राज्य में अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के कन्या छात्रावास विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी जिलेवार संख्या क्या है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में अनुसूचित जन-जातियों के ४४ एवं अनुसूचित जातियों के ४२ राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं। विभागीय अनुदान से ५७ अनुसूचित जन-जातियों के एवं ४८ अनुसूचित जातियों के छात्रावास चलाये जा रहे हैं।

(२) विभाग द्वारा नियुक्त एक समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान छात्रावासों के अतिरिक्त बढ़ती हुई छात्र संख्या के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २०,००० छात्रों के लिये ४०० और अधिक छात्रावास खोले जाने चाहियें।

(३) जी नहीं। राजस्थान में १९ छात्रावासों के राजकीय भवन हैं, ८७ किराये पर चल रहे है, जिनके लिये भवन बनाने की आवश्यकता है।

(४) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

सोफिया कॉलेज, अजमेर के पीछे बहने वाले नाले की रोक

१८०. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर में सोफिया कॉलेज के पीछे से जो बड़ा नाला बहता है उसका कच्चा बांध टूट जाने से उसका पानी सिविल लाइन्स और पुलिस लाइन्स के क्षेत्र की इमारतों में भर जाता है जैसा कि जुलाई, १९६८ की बरसात में हुआ था ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस नाले की रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जिलाधीश अजमेर ने १०,०००) रु० की स्वीकृति रिटेनशन वाल निर्माण के लिये दे दी है कार्य प्रगति पर है।

भारत-पाक संघर्ष पर प्रकाशित पुस्तक

१८३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जोधपुर शहर में भारत-पाक संघर्ष के समय श्री नाहटा द्वारा एक किताब प्रकाशित की गई थी "पन्द्रह दिन की बम्बारी पर लेख" के नाम से ? यदि हां, तो उसकी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

पर लेख'' के से ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि उस किताब में देशद्रोही लेख लिया गया था, जिसको एक रुपया प्रति किताब जोधपुर शहर में बेचा गया था ? यदि हां, तो उक्त लेखक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) 'पन्द्रह दिन की बम्बारी पर लेख' नामक किताब कौनसे प्रेस में कितनी प्रतियां छपी थीं और उसमें से कितनी बिकीं व कितनी किसके पास हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। पुस्तक की अतिरिक्त प्रति उपलब्ध न होने से सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं हो सका।

(२) यह पुस्तक किसी आपत्तिजनक उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। अतः लेखक के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) इस पुस्तक की १००० प्रतियां साधना प्रेस, जोधपुर में छपना पाई जाती हैं। पुस्तक की कितनी प्रतियां बिकी व कितनी किसके पास हैं, इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

जुरहरा हाई स्कूल में विज्ञान एवं वाणिज्य वषय की पढ़ाई

श्री मजलिस खां (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जुरहरा हाई-स्कूल में विज्ञान तथा वाणिज्य की कक्षाएं नहीं चलाई जाती हैं और क्या यह भी सही है कि वहां की जनता ने उक्त कक्षाओं के लिये बार-बार विभाग से लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो वहां उक्त कक्षाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

(२) क्या राज्य सरकार उक्त हाई स्कूल में उक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यदि स्थानीय जनता विज्ञान कक्ष का निर्माण करे या कॉमर्स के लिये टाइप-राइटर खरीद कर देवे तो अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणावगुणों के आधार पर ऐसे प्रस्तावों के साथ विचार किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जौहरी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं

१९९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जौहरी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं को दिनांक २५ जुलाई, १९६६ को अधिग्रहण किया है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर तथा उनमें कार्य करने वाले स्टाफ आदि की क्या शर्तें तय कीं और अधिग्रहण करते समय इस विद्यालय की सम्पत्ति क्या थी और लेनदारी तथा देनदारी क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस विद्यालय को अधिग्रहण करते समय यह जानकारी नहीं की कि इस विद्यालय की लेनदारी तथा देनदारी क्या है ? यदि हां, तो इस विद्यालय से जिनको पैसा लेना है उनको अब सरकार पैसा कब तक किस प्रकार चुकायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के हैड मास्टर के साथ तत्कालीन मैनेजमेन्ट कमेटी ने कोई सेवा सम्बन्धी समझौता कर रखा था ? यदि हां, तो उक्त समझौता किस प्रकार का और क्या था तथा उसका पालन अब जब कि मैनेजमेन्ट के स्थान पर सरकार है किस प्रकार होगा ? उक्त समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस विद्यालय को सरकार ने किस व्यक्ति या कमेटी से लिया तथा लेने से पूर्व की जिम्मेदारी जिसको सरकार वहन करने में असमर्थ हो तो उसे किससे वहन करवायेगी तथा सरकार ने इस विद्यालय को लेते समय जो एग्रीमेन्ट किया है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह भी सत्य है कि इस संस्था को राज्य सरकार ने तथा केन्द्रीय सरकार ने काफी राशि अनुदान के रूप में दी है ? यदि हां, तो किस-किस साल में किस-किस मद में कितनी-कितनी सहायता किस-किस कार्य के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकार ने दी है तथा उसका उपयोग किस कार्य में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) हां, यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश संख्या १ (१२९) शिक्षा प्रकोष्ठ १/५७-१२१९, दिनांक २१-७-९६ के अनुसार जौहरी बहु. उ. मा. विद्यालय, लाडनूं को दिनांक २५-७-९६ से अधिग्रहण किया गया।

राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ. १/५७-१२१९, दिनांक २१-७-९६ द्वारा निश्चित की गई शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। शर्त सं० २ के अनुसार जो संस्था के कर्मचारी राज्य सेवा के योग्य पाये जावें, उनको राज्य सेवा में लिये जाने के बाबत प्रावधान था। विभाग की स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के अनुसार संस्था के समस्त कर्मचारी राज्य सेवा में लिये जाने के योग्य समझे गये तथा उनको राज्य सेवा में ले लिया गया। राज्य सेवा में लेने के दिनांक से संस्था के कर्मचारियों को उनकी निजी वेतन के आधार पर उनका वेतन स्थरीकरण किया जाकर वेतन एवं अवकाश आदि के राज्य कर्मचारियों के अनुसार समस्त लाभ दिये जा रहे हैं।

शर्तों के अनुसार विद्यालय की सारी चल व अचल सम्पत्ति राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर इकरारनामा लिख दिया जाना चाहिये था, मगर अभी तक व्यवस्थापक ने विभाग में अनेक बार कहने व लिखने के उपरान्त भी चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। हां, जो जो सामान विद्यालय में था उसे तो चार्ज में दे दिया गया। मगर इस सामान से सम्बन्धित पुराना रेकार्ड आदि न देने के कारण इसका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया जा सका है। सामान केवल सूचियां बना कर ही चार्ज में दिया गया था वैसे संस्था के अधिग्रहण के

Page No. 35

(श्री शिक्षा मंत्री)

समय एक लाख रुपये एण्डोमेन्ट फण्ड के रूप म इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में जमा थे।

शर्त संख्या ४ के अनुसार वर्त्तमान व्यवस्थापक समिति में किसी भी प्रकार के बकाया के लेन-देन की जिम्मेवारी राज्य सरकार ने नही ली है।

(२) शर्त संख्या ४ के अनुसार राज्य सरकार ने वर्तमान व्यवस्थापक समिति में किसी प्रकार की बकाया राशि आदि के भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है फिर भी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक बार लिखने के उपरान्त भी व्यवस्थापक समिति ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है लेकिन विद्यालय के कुछ अध्यापकों के पुराने बकाया वेतन के भुगतान करने के मामले ध्यान में लाये गये हैं।

इस विद्यालय को वित्तीय वर्ष १९६६-६७ अर्थात् माह अप्रेल, ६६ से जून ६६ तक के अनुदान का भुगतान गत वर्ष १९६५-६६ के स्वीकृत अनुदान के आधार पर किया जा चुका है। मगर वर्ष १९६६-६७ का अनुदान राज्य सरकार ने अभी तक स्वीकृत नही किया है। जब इसकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी तब उन अध्यापकों की बकाया भुगताने दिगर देनदारी के मामलों व रकम वसूलों की व्यवस्था की जा सकेगी।

(३) जौहरी ब. उ. मा. वि., लाडनूं के मन्त्री ने दिनांक ११-३-६४ को जिस पत्र से भू. पू. प्र. अ. श्री गोपीनाथ गौड़ के स्थान पर श्री विद्यानन्द शर्मा को प्र. अ. पद पर नियुक्ति देकर विभाग के अनुदान सम्बन्धी समस्त कागजों पर मन्त्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के अधिकार दिये थे लेकिन उसमें श्री शर्मा के प्र. अ. पद पर नियुक्ति देने में किये गये किसी समझौते का विवरण नहीं है। हां, श्री शर्मा ने अपने पत्र दिनांक १०-४-६७ से श्री नथमल, मन्त्री जौ. ब. उ. मा. वि., लाडनूं से अपनी बकाया वेतन आदि के भुगतान की मांग करते हुए एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को भी दी थी। उक्त पत्र के साथ श्री शर्मा ने एक ऐसे पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की थी जिसे वे अपना नियुक्ति-पत्र कहते हैं। मगर उक्त पत्र किसी राज्य पत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण कोई महत्त्व नहीं रखता है। प्रतिलिपि संलग्न है। इसके अतिरिक्त लेख है कि श्री शर्मा प्रिन्सिपल के पद से सेवा निवृत्त होने के बाद इस विद्यालय में नियुक्त किये गये थे चूंकि सेवा निवृत्ति के बाद नियुक्ति के लिये विभागीय स्वीकृति अनिवार्य है और समिति ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार को स्वीकृति नहीं ली थी। अतः सहायता अनुदान नियमों के अनुसार इस प्रकार की बिना स्वीकृति की नियुक्ति पर कोई अनुदान नही दिया जा सकता है। अतः यदि संस्था ने नियुक्ति के बारे में कोई समझौता किया भी होगा तो सारी जिम्मेवारी व्यवस्थापक समिति की है। वैसे विद्यालय को राज्याधीन लेने की शर्त सं० ४ के अनुसार विद्यालय की बकाया देनदारी की सारी जिम्मेवारी विद्यालय की व्यवस्थापक समिति की ही है।

(४) इस विद्यालय को जिस समय राज्य सरकार ने व्यवस्थापक समिति से राज्याधीन लिया था उस समय श्री नथमल कठोतिया समिति के मन्त्री तथा श्री विद्यानन्द शर्मा प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करते थे। तथा इस विद्यालय को राजकीय विद्यालय

(श्री शिक्षा मंत्री)

(रा. जी. ब. उ. मा. वि. लाडनूं) में विलीन करना था इसलिये प्र. अ. श्री ईश्वरीप्रसाद ने श्री विद्यानन्द शर्मा, प्र. अ. से इसका चार्ज लिया।

विद्यालय को राज्याधीन लेने से पूर्व की सारी जिम्मेवारी संस्था की व्यवस्थापक समिति की है। विद्यालय को राज्याधीन लेते समय व्यवस्थापक समिति ने किसी प्रकार का एग्रीमेन्ट लिख कर नहीं दिया था यद्यपि व्यवस्थापक को इस सम्बन्ध में कहा भी गया।

(५) विद्यालय को समय-समय पर दिये गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार से अंकित किया जाता है। आवर्त्तक अनुदान एवं अन्य छोटे-मोटे दैनिक व्यय में काम में ली जाती है।

वित्तीय वर्ष	राशि	विवरण
१९५६-५७	८८९३.००	आवर्त्तक
	१,४४,२५०.००	अनावर्त्तक अनुदान भवन के लिये।
१९५७-५८	३३,४२६.००	आवर्त्तक अनुदान
१९५७-५८	९९,३००.००	केन्द्रीय विज्ञान उपकरण आदि के क्रय के लिये।
	४,१५०.००	पुस्तकों आदि के क्रय के लिये।
१९५८-५९	—	
१९५८-५९	—	
१९५९-६०	२४,५३७.००	आवर्त्तक अनुदान
१९६०-६१	२४,९४६.००	„
१९६१-६२	२४,६५२.००	„

१९६२-६३	३३,२२९.००	आवर्त्तक
१९६३-६४	३१,१९४.००	„
१९६४-६५	३३,८५७.००	आवर्त्तक के लिए।
	३,९८०.००	अनावर्त्तक विज्ञान उपकरण क्रय करने के लिए।
१९६५-६६	३१,४९१.००	आवर्त्तक अनुदान
	१०००.००	अनावर्तक विज्ञान उपकरण एवं फर्नीचर।
१९६६-६७	७,८७२.००	आवर्त्तक।

नीम का थाना तथा कालाडेरा के कॉलेजों में सामान की खरीद

२००. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम का थाना और कालाडेरा में कॉलेज कब-कब खोले गए तथा खोलने के बाद अब तक इन कॉलेजों में किस-किस मद में कितने-कितने रुपये खर्च हुए? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उपरोक्त दोनों कॉलेजों में फर्नीचर खरीदा गया? यदि हां तो किस-किस फर्म से तथा किस-किस साल में कितने-कितने रुपयों का? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त कॉलेजों में जो फर्नीचर आज तक खरीदा है वह टेन्डर मांग कर खरीदा है या और किसी तरीके से? यदि टेन्डर मांगे गए हों तो जिन फर्मों ने टेन्डर दिए हैं उनकी सूची सालवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(४) उपरोक्त फर्नीचर की खरीद में जो भी टेन्डर स्वीकृत किए गया वे सभी नीची रेट के थे ? यदि नहीं तो ऊंची दर वाले टेन्डर स्वीकार करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(१) नीम का थाना कॉलेज तथा कालाडेरा कॉलेज नीचे लिखे हुये सत्र से खोले गये। इन कॉलेजों में जो प्रति वर्ष व्यय हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है:—

(१) नीम का थाना–११ जुलाई, ६६।

(२) कालाडेरा–जुलाई, ६७ में सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया ।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) नीम का थाना, कालाडेरा कॉलेज द्वारा जो फर्नीचर खरीदा गया है, टेण्डर-सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) (१) नीम का थाना कॉलेज में जो फर्नीचर खरीदा गया वह सब नीची रेट के टेण्डर से खरीदा गया है।

(२) कालाडेरा कॉलेज द्वारा भी प्रायः नीची रेट के टेण्डर पर फर्नीचर खरीदा गया कुछ फर्नीचर ऊंची रेट पर भी खरीदा गया परन्तु ऐसा करने के कारणों का पूर्ण विवरण आचार्य ने दिया है। यह विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर के शिक्षा निरीक्षक द्वारा नियुक्तियां

२०१. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जिला सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष १९६५ से १९६८ तक कब-कब किस-किस पद पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं ?

(२) उपरोक्त नियुक्तियों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने लोगों की नियुक्तियां की गई हैं ?

(३) क्या नियुक्तियां करते समय उक्त जातियों के लिये सुरक्षित प्रतिशत का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जिला सवाई माधोपुर द्वारा १९६५ से १९६८ तक निम्न प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं:—

पद का प्रकार	नियुक्ति संख्या		
	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
अध्यापक तृतीय श्रृंखला	१४७	२३९	२०४
कनिष्ठ लेखक	३	५	१६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	२६	११

१९६८-६९ में अब तक कोई न नियुक्ति नहीं की गई है। केवल जो तृतीय

(श्री शिक्षा मंत्री)

शृंखला के अध्यापकगत वर्ष टरमीनेट किए गए थे, उनकी पुनः नियुक्ति की गई है।

(२) उपरोक्त में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के निम्न संख्या में नियुक्तियां की गईं :—

पद का प्रकार	नियुक्त किए गए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
अध्यापक तृतीय शृंखला	१२	२७	२१
कनिष्ठ लेखक		२	३
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	४	१

(३) जी हां, उक्त नियुक्तियां करते समय उक्त जातियों के लिए सुरक्षित प्रतिशत का ध्यान रखा गया है।

माध्यमिक विद्यालय, भिडूसी के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

२०२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री किशनचन्द्र शर्मा, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, भिडूसी, तहसील तिजारा, जिला अलवर के विरुद्ध वहां की जनता ने शिक्षा निरीक्षक, अलवर के पास १३-७-६७ को कुछ शिकायतें लिखित रूप में पेश की थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध एक शिकायत यह थी कि उसने कुछ विद्यार्थियों की उम्र में गलत तौर पर घटा-बढ़ी की थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध यह भी शिकायत की गई थी कि उसने विद्यार्थियों से दाखिले के समय तथा स्कूल छोड़ने का सर्टीफिकेट देते समय अनुचित तौर पर पैसे वसूल किये थे ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों को जांच करने उप-शिक्षा निरीक्षक, अलवर गये लेकिन उन लोगों के बयान नहीं लिये गये जिन्होंने शिकायत की थी या जिनसे अनुचित तौर पर पैसा लेना लिखित दरख्वास्त में जाहिर किया गया था ?

(५) उक्त जांच का परिणाम क्या निकला ? क्या उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच करने के लिए उप-शिक्षा निरीक्षक अलवर भेजे गये थे, जिन्होंने शिकायतें की जांच की थी। जो व्यक्ति समय पर उपस्थित थे उनके बयान ले लिये गये थे।

(५) उक्त जांच के परिणाम में यह बात स्पष्ट हुई कि प्रधानाध्यापक ने बेजा तौर पर

(श्री शिक्षा मंत्री)

कोई पैसा छात्रों से या उनके अभिभावकों से नहीं लिया। अलबत्ता दो विद्यार्थियों की जन्म तिथि में परिवर्तन बिना कार्यालय की सक्षम स्वीकृति से होना पाया गया जिसकी जांच कर के उचित दण्ड प्रस्तावित कर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक शालाओं का शिक्षास्तर

२०३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई),

श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक शालायें जाने के बाद शिक्षास्तर में भारी गिरावट आई है और पाठशालायें राजनीति के केन्द्र बनती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा की गिरती हालत को देखते हुए पाठशालाओं को पंचायत समितियों से हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार की घोषित नीति अनुसार प्राथमिक शालाओं का नियंत्रण शिक्षा विभाग को सौंपने का विचार नहीं है।

हाई स्कूल, कुचामन सिटी के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत

२०४ श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कुचामन सिटी के हाई स्कूल के हैड मास्टर का स्थानान्तरण किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या उक्त हैड मास्टर के आचरण सम्बन्धी या और कोई शिकायत थी और क्या वे जांच द्वारा सिद्ध हो चुकी थीं ?

(३) क्या स्कूल का रिजल्ट खराब था ?

(४) क्या माह जनवरी, ६८ में छात्रों द्वारा हड़ताल की गई थी ? अगर हां, तो हड़ताल का क्या कारण था ?

(५) क्या प्रधानाध्यापक के अलावा भी ग्यारह मास्टरों का स्थानान्तरण किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) श्री एम० एन० नरयानी, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, कुचामन सिटी का स्थानान्तर उच्च विद्यालय, करड़ किया गया है क्योंकि कुचामन सिटी की जनता, छात्र एवं स्टाफ में काफी अर्से से प्रधानाध्यापक के प्रति तनाव चल रहा था। उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं अतः वातावरण को शान्त करने के लिये उन्हें वहां से स्थानान्तरण करना आवश्यक था।

(२) प्रधानाध्यापक के आचरण के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई उपलब्ध नहीं है। हां छात्र संसद, स्टाफ मेम्बर-तथा जनता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की गई और उनमें से कुछ शिकायतें सिद्ध हुई।

(३) शाला का परीक्षाफल संतोषजनक था।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(४) मास दिसम्बर, ६७ के अन्तिम सप्ताह तथा जनवरी, ६८ के प्रथम सप्ताह के कुछ दिनों के लिये उच्च विद्यालय के छात्रों ने छात्र संसद के प्रधान मंत्री श्री नाथूराम के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध हड़ताल की थी। प्रधानाध्यापक ने उक्त विद्यालय में एक सरकारी भंडार खोल रखा था, जिसमें भाग लेने के लिये छात्रों पर अनुचित दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाया गया था। छात्र इस भण्डार को बन्द करवाना चाहते थे, अध्यापकों तथा कर्मचारियों का सहयोग था।

(५) यह सही है। जांच के दौरान यह पाया गया कि स्कूल के वातावरण को बिगाड़ने तथा छात्रों को भड़काने में अध्यापकों तथा कर्मचारियों का भी हाथ था। यह आवश्यक अध्यापक पिछले कई वर्षों से शाला में थे तथा मनमानी ट्यूशन करते थे। शाला की परिस्थिति को अधिक न बिगड़ने देने के लिये अध्यापकों का स्थानान्तर किया गया।

स्टेट व नेशनल हाईवेज के अगल-बगल के पेड़ों का ठेका

२०५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हाईवेज व अन्य सड़कों के अगल-बगल पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा हरे पेड़ लगाये जाते हैं और फिर उन्हें नीलाम किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा इन पेड़ों का ठेका दिया जाता है ? यदि हां, तो राज्य के किन-किन हाईवेज पर और अन्य किन-किन सड़कों का ठेका गत तीन वर्षों में दिया गया है ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि ठेके देने के बाद इन पेड़ों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि हाईवेज व अन्य रोड्स पर कहीं हरियाली दिखाई ही नहीं देती, जिससे सुन्दरता नष्ट हो जाती है ?

(४) क्या सरकार कम से कम स्टेट व नेशनल हाईवेज के पेड़ों का ठेका नहीं देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) पेड़ लगाये जाते हैं, नीलाम नह किये जाते हैं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

निवाई-बौंली सड़क निर्माण कार्य

२०६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ता ने की कृपा करेंगे :—

(१) निवाई-बौंली सड़क का निर्माण कार्य कौनसी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था और आज तक हर साल कितने रुपये बजट में इस सड़क के निर्माण के लिये

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रखे गये और हर साल कितने खर्च किये गये ?

(२) क्या यह सच है कि जो काम अब तक इस सड़क पर हुआ है वह भी बरसात में बेकार हो गया है और अब वह आवागमन के योग्य नहीं है ?

(३) क्या यह भी सच है कि कई बार सरकार ने प्रश्नों के उत्तर में इस सड़क को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो अब इस सड़क को पूरा कराने का सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) सड़क निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था। बजट प्रावधान व खर्च की सूची (अ) संलग्न है।

(२) वर्षा में सड़क कहीं-कहीं खराब हो गई है किन्तु आवागमन योग्य है।

(३) इस विभाग को इस तरह के आश्वासन की जानकारी यदि नहीं होती। कार्य प्रगति पर है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

रवीन्द्र मंच, जयपुर

२०७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रवीन्द्र मंच, जयपुर का निर्माण कब किया गया और उस पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ? इसके निर्माण के पीछे सरकार की क्या भावना थी ?

(२) क्या यह सच है कि रवीन्द्र मंच का किराया बिना किसी आधार के सन् ६७-६८ में बढ़ाया गया है जिससे मनोरंजक कार्यक्रमों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(दिनांक ११-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, उमरैन क्षेत्र में सड़कों में अवाप्त की गई भूमि

२०८. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, उमरैन के ग्राम मालाखेड़ा से बीजवाड़ तथा मालाखेड़ा से पृथ्वीपुरा तक जो सड़कें बनी हैं अथवा बन रही हैं उनमें जिन किसानों की कृषि-भूमि अवाप्त की गई है, उनको आज तक उस भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही जारी है।

बानसूर-नारायणपुर सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

२०९. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६७ से अब तक अलवर जिले की किस-किस तहसील में सड़कों व पुलियाओं के निर्माण व मरम्मत के लिये कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि बानसूर-नारायणपुर सड़क की रोड़ियां उखड़ जाने के कारण सड़क चलने के काबिल नहीं है और इसी प्रकार इस तहसील की अन्य सड़कें भी मरम्मत के काबिल हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बानसूर-नारायणपुर सड़क पर ज्ञानपुरा के पास पुलिया बनाने के लिये करीब सात साल से पत्थर पड़े हुए हैं ?

(४) सरकार इन सड़कों की दुरुस्ती व पुलियाओं की तामीर के लिये कब तक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(२) सड़क की दशा संतोषप्रद नहीं है किन्तु यातायात में कठिनाई नहीं होती। जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जैसे-जैसे धनराशि प्राप्त होगी कार्य कराया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

सरकारी कार्यालयों के लिये किराये के मकान

२१०. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर नगर में सरकारी कार्यालयों के लिये कितने मकान प्राइवेट व्यक्तियों से किराये ले रखे हैं और यह मकानात किन-किन व्यक्तियों के हैं ? इनका मासिक किराया क्या-क्या है, और किस मकान में कौन-कौनसा कार्यालय चल रहा है ? सूची देने की कृपा करें।

उत्तर

सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाई-वे डिविजन कार्यालय के लिये १०० रु० प्रति माह पर ठाकुर मानधातासिंह का बंगला किराये पर लिया हुआ है। अन्य विभागों से संबंधित कार्यालयों का मासिक किराया व मालिक मकानात का ब्यौरा इस विभाग के कार्यालयों में नहीं रखा जाता है।

सड़कों का निर्माण

२११. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के निर्माण से आज तक कुल कितने मील डामर की सड़कों का निर्माण हो चुका है ?

(२) कंकरोट की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है ?

(३) जिलेवार इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान निर्माण से आज तक ३१-३-६७ तक ११,८५१ किलोमीटर लम्बी डामर सड़कों का निर्माण हुआ है।

(२) सीमेन्ट कंकरोट की सड़कों की लम्बाई ४२ किलोमीटर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(१) सूची (अ) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज लक्ष्य

२१२ श्री रामकिशन (वैर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना-कालों में खनिज उद्योग हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ?

(२) क्या उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई ?

(३) अगर नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि निर्धारित धन का योजना-कालों में पूर्ण उपयोग नहीं हो सका ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया पूरा ब्योरा दिया जावे।

उत्तर

(१) खनिज विकास योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं थी। द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्न योजनायें सम्मिलित की गई :—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना :

१. वेट माईका ग्राईण्डिग प्लान्ट की स्थापना।

२. क्वेरी इम्प्रूवमेन्ट स्कीम।

३. रिओर्गेनाइजेशन एण्ड एक्सपान्शन ऑफ दी डिपार्टमेन्ट।

४. खनिज सड़क-निर्माण।

५. प्रॉस्पेक्टिग इक्विपमेन्ट।

तृतीय पंचवर्षीय योजना :

१. खनिजों का गहन पूर्वेक्षण, खनिज सर्वेक्षण तथा खनिज एवं भू-गर्भ विभाग का पुनर्गठन एवं विकास।

२. खानों का विकास।

३. फ्लोराइड योजना।

४. खानों तक सड़क निर्माण।

५. छोटे पैमाने के खनिज पट्टाधिकारियों को ऋण।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) कुछ योजनाओं में पूरा खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि या तो योजनायें राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई या केन्द्रीय सरकार से स्कीम को क्रियान्वित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति बहुत देर से प्राप्त होने से नहीं किया जा सका।

मुल्तानी मिट्टी की खान का ठेका

२१३. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर में स्थित कोलायत मुल्तानी मिट्टी खान को गत २० वर्षों से किसी फर्म को लीज पर दे रखी है ?

(२) यदि हां, तो किस पार्टी को कितने रुपयों में प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर दे

Page No. 44

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रखी है ? और, यह लीज कितने साल के लिये दी जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि लीज पर खान का काम करने वाली फर्म मैसर्स गोविन्द-प्रसाद एन्ड सन्स, बीकानेर को सन् १९६४, दिसम्बर के बाद उक्त खान को ८७५०० रुपयों में डेड रेन्ट पर रिन्यूअल पर दी ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त फर्म पर खान का सरकारी लीज का रुपया बाकी है और क्या सरकार ने उक्त फर्म के विरुद्ध रकम वसूली की कार्यवाही एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत की गई थी ? यदि हां, तो किस तारीख को कितने रुपयों की वसूली की कार्यवाही की ?

(५) क्या सरकार ने उक्त कोलायत मुल्तानी मिट्टी खान के माल को सील लगा कर कुर्क किया था और उसको नीलाम करने की कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो किस तारीख को कार्यवाही की और उसका परिणाम क्या निकला ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार उक्त फर्म को माल सूख जाने के नाम पर छूट दे रही है ? यदि हां, तो कितने रुपयों की छूट किस कानून के तहत दे रही है ?

(७) क्या ऑडिट पार्टी ने सरकार की इस छूट दिये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट में आपत्ति की है ?

(८) क्या सरकार उक्त फर्म को ही उक्त खान को ७० हजार रुपयों में वापस लीज पर दे रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) निम्न प्रकार लीज दी गई :—

पार्टी का नाम	वार्षिक मृत भाटक	मयाद
सर्वश्री गोविन्द-प्रसाद एन्ड सन्स	५०,६२५) प्रति वर्ष	१-४-४६ से ३१-३-५१ तक।
,,	६४,०००) ,,	५ वर्ष दिनांक २६-१२-५४ से २६-१२-५६ तक।
,,	७०,०००) ,,	पांच वर्ष २०-१२-५६ से २६-१२-६४ तक। (प्रथम नवीनीकरण)।
,,	८७,५००) ,,	५ वर्ष दिनांक २०-१-६४ से १६-१२-६६ तक (द्वितीय नवीनीकरण)।

(३) जी हां।

(४) जी हां। पार्टी की ओर सरकारी राशि ६८,७७५ रु० मृत भाटक का बकाया थी जिसकी वसूली के लिये भू-राजस्व अधि-नियम के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक २७-२-६७ से शुरू की। पार्टी ने २१,००० रु० रोकड़ दिनांक २२-६-६७ को जमा करा दिये एवं बाकी राशि फिक्स्ड डिपोजिट रिसीप्ट्स जमा कराये। यह उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार है, जहां उन्होंने रिट याचिका पेश की हुई है।

(श्री खनिज मंत्री)

(५) यह सही है कि स्टेशन पर पड़े माल को कुर्क अतिरिक्त हसीलदार, खान, जोधपुर ने दिनांक १८-५-६७ को किया एवं नीलाम करने की कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि पार्टी ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका पेश कर दी थी, जिस पर रोक के आदेश प्राप्त हो गये थे।

(६) जी हां। राज्य सरकार ने १० प्रतिशत माल सूख जाने की छूट दी है। २०-१२-५६ से १६-१२-६४ तक ४५,३४३.२६ पैसे की राशि की छूट दी गई है।

(७) जी हां।

(८) जी नहीं। यह क्षेत्र अंतिम रूप से नीलाम हो कर दूसरी पार्टी को रु० ६७०० में पांच वर्ष के लिये लाज पर दे दिया गया है।

श्री गंगानगर में राजकीय उद्योग

२१४. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में सरकार की तरफ से उद्योग नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं तो कौनसे नये उद्योग गंगानगर जिले में लगाये हैं ? ऐसे उद्योगों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी नहीं। जिला गंगानगर में राजकीय क्षेत्र में गंगानगर शुगर मिल्स एवं डिस्टीलरी काम कर रही है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) नये उद्योगों से सम्बन्धित कोई योजना यदि सामने आवेगी तो उस पर यथा-समय विचार किया जावेगा।

जिला सतर्कता समितियां

२१५. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि न्यायालयों (जूडिशियल कोर्ट्स) में हर जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला सतर्कता समितियां गठित की हुई हैं, जो भ्रष्टाचार को मिटाने में योग देती हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या इन्तजामी (एक्जीक्यूटिव) सीगे में भी जिलास्तर पर ऐसी समितियां गठित करने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जिलाधीश कार्यालय स्तर पर सतर्कता अधिकारी, सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त किये हुए हैं। अतः सतर्कता समिति गठित करने की काई आवश्यकता नहीं पाई जाती।

रानीवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज मामला

२१६. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला जालोर के रानीवाड़ा पुलिस थाने में तारीख १४ जून, १९६८ को एक ट्रेक्टर द्वारा रेल्वे फाटक को तोड़ने मुताल्लिक घटना घटी थी और उस

(श्री आईदानसिंह)

ट्रेक्टर के ड्राइवर के पास लाइसेन्स नहीं था तथा ट्रॉली में सवारियां भरी हुई थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है कि दि० १४-६-६८ को रेल्वे स्टेशन, रानीवाड़ा के नजदीक पिछली रात करीब १.३० बजे ट्रेक्टर आर. जे. क्यू नं० ६८२१ ने रेल्वे लेवल क्रॉसिग फाटक नं० सी./१४ के टक्कर मारी जिससे मेन हैड गेट का प्लेट टूट गया। इस ट्रेक्टर को चलाने वाले ड्राइवर के पास कोई लाइसेन्स नहीं था। यह भी सत्य है कि इस ट्रेक्टर के साथ जो ट्रॉली नं० २०/२७ लगी हुई थी उसमे कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। इस घटना के मुताल्लिक केस एफ. आई. आर. न० १६ तारीख २०-६-६८ को थाना पुलिस जी. आर. पी., बाड़मेर मे दर्ज रजिस्टर हुआ, जो जेर तफतीश है।

मोटर के चक्के फोड़ने की घटना

२१७. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला जालोर के सांचोर पुलिस थाना में ९ फरवरी, १९६७ को सरनाऊ के पास मोटर के चक्के फोड़ने की घटना घटी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि एफ. आई. आर. मे जिन-जिन व्यक्तियों के नाम थे, जांच से वे सही नहीं पाये गये ? यदि हां तो झूठी रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ १८२ की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और क्या सरकार अब उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ९-२-६७ को सरनाऊ के पास मोटर के चक्के फोड़ने की घटना घटी थी और ग्राम गुदाऊ के श्री लालाराम पुत्र फगलाराम विश्नोई की सूचना दिनांक १०-२-६७ पर आरक्षी केन्द्र, सांचोर पर अभियोग क्रमांक १० धारा ३०७/४४०/१०९ ता. हि. पंजिबद्ध करके अनुसंधान आरम्भ किया था। अपराधियों का पता चलाने का प्रयत्न भी किया गया था।

(२) अनुसंधान पश्चात् अपराधियों का पता न चलने से, अनुसंधान अदम पता में दिनांक ९-९-६७ को फाइनल रिपोर्ट में समाप्त की गई थी। मुल्जिमान के अदम पता रहने से रिपोर्ट को झूठा नहीं कहा जा सकता। अतः रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ ह. द. १८२ ता. हि. कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

भीनमाल सब-डिवीजनल ऑफिसर की अदालत का मालखाना

२१८. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीनमाल सब-डिवीजनल ऑफिसर की आदालत का मालखाना कब तोड़ा गया और उस सम्बन्ध में आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की व किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No. 47

उत्तर

(१) भीनमाल सब-डिवीजनल ऑफिसर की अदालत के मालखाना तोड़ने के सम्बन्ध में दिनांक १७-२-६८ को श्री नरेन्द्रमल, मालखाना क्लर्क, एस. डी. एम कोर्ट, भीनमाल की ओर से एवं लिखित सूचना आरक्षी केन्द्र, भीनमाल पर प्राप्त हुई। इस पर अभियोग क्रमांक ७ दिनांक १७-२-६८ धारा ४५७/३८० ता. हि. पंजिबद्ध हुआ। अभियोग का अनुसंधान किया गया। माल एवं अपराधियों का पता न लगने के कारण अनुसंधान अदम पता फाइनल रिपोर्ट में दिनांक ४-८-६८ को समाप्त किया गया। व्यक्तियों के गिरफ्तार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि हर मुमकिन तरीके से अनुसंधान किया गया एवं मुखबिर भी लगाये गये थे लेकिन माल मुल्जिमान का कोई पता नहीं चला।

कुम्हेर में हुई चोरी का मामला

२१६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १८-११-६६ को कस्बा कुम्हेर, जिला भरतपुर में श्री शिवचरणलाल गुप्ता, एम. ए., बी. टी. के घर पर लगभग ६,०००) रु० की चोरी हो गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि चोरी करने वालों के फुट प्रिन्ट्स के फोटो भी लिये गये थे ?

(३) क्या यह सही है कि श्री शिवचरणलाल गुप्ता द्वारा जिन व्यक्तियों पर सन्देह था, उनके नाम भी बता दिये गये थे ?

(४) क्या उक्त चोरी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई ? यदि हां, तो किस-किस की ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त चोरी के सम्बन्ध में अभी तक तफतीश समाप्त नहीं की गई है ? यदि हां, तो इतनी देरी का क्या कारण है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त चोरी के बाद कस्बा कुम्हेर में और भी कई चोरियां हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया इनकी सूची बतायें और इन चोरियों में कितना-कितना माल चोरी गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(७) क्या कस्बा कुम्हेर में १८-११-६६ से अब तक जितनी चोरियां हुई हैं उनमें किसी चोरी का माल बरामद हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस का ?

उत्तर

(१) जी नहीं। दिनांक १८-११-६६ को श्री शिवचरणलाल गुप्ता के घर पर हुई चोरी में गये माल की कीमत १,०००) रु० है, न कि ६,०००) रु०।

(२) जी हां। ३ व्यक्तियों के खोजों के प्रिन्ट लिये गये थे।

(३) जी नहीं। श्री शिवचरणलाल ने किसी भी सन्देहयुक्त व्यक्ति का नाम नहीं बताया।

(४) जी नहीं।

(५) इस घटना के अभियोग का अनुसंधान दिनांक ६-२-६७ को अदम पता माल मुल्जिमान में समाप्त किया जा चुका है।

(६) जी हां। उक्त चोरी के बाद माह जुलाई, ६८ तक कस्बा कुम्हेर में १५ चोरियां हुईं। इन चोरियों में १५६७० रु० धन-राशि का माल चोरी गया। सूची संलग्न है।

(७) कस्बा कुम्हेर में १८-११-६६ से माह जुलाई, ६८ तक १५ चोरी की घटनाएं हुईं। चोरी गये माल में से केवल एक अभियोग क्रमांक ९ धारा ४५७/३८० ता. हि. दि.६-२-६८ को श्री तोताराम पुत्र श्री रामलाल जाट के मकान में हुई। चोरी में से केवल १८०) रु० का माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

ग्राम हरसौरा में महाजन की हत्या का मामला

२२०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम हरसौरा, थाना बानसूर, जिला अलवर में दिनांक ९-९-६७ को मूलचन्द नामक एक महाजन की हत्या हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि हत्या की रिपोर्ट बानसूर थाने में ७-९-६७ को दिन में दर्ज हो गई थी और उस समय थानेदार स्वयं थाने में मौजूद होते हुए घटनास्थल पर नहीं गए ?

(३) क्या यह सही है कि मृतक के रिश्तेदारों ने इस हत्या में स्थानीय पटवारी और उसके पास रहने वाले एक व्यक्ति शीलकुमार के शामिल होने का सन्देह प्रकट किया था ?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक हत्यारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ?

(५) क्या यह सही है कि मृतक के लड़के ने एक दरख्वास्त पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी थी जिसमें स्थानीय थाने की इस हत्या की तफतीश में दिलचस्पी न होने का आरोप लगाया गया था ?

(६) क्या हत्या की स्थानीय थाने के अतिरिक्त किसी अन्य अफसर द्वारा जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ९-९-६७ को मूलचन्द महाजन की हत्या ग्राम हरसौरा में हुई थी।

(२) जी नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बानसूर पर दिनांक ७-९-६७ को सायं ७ बजे हत्या किये जाने की नहीं की गई बल्कि श्री मूलचन्द का चारपाई पर मरे पड़े हुए होने बाबत रिपोर्ट की व जाहिरा चोट मृतक के शरीर पर न होने की मोहमल जबानी रिपोर्ट श्री शिवदयाल महाजन द्वारा की गई थी। उस समय थानेदार थाना पर मौजूद नहीं थे। थानेदार के थाना पर पहुंचने से पूर्व ही हैड मोहर्रिर थाना घटनास्थल को रवाना हो चुका था। यह गलत है कि थानेदार स्वयं थाने पर मौजूद होते ए घटनास्थल पर नहीं गये।

Page No. 49

(श्री गृह मंत्री)

(३) जी नहीं। ग्राम हरसौरा के सर्वश्री हनुमान मीना, जगन्नाथ ब्राह्मण, टेकचन्द मीना, रतना खटीक आदि ने स्थानीय पटवारी और एक सुशीलकुमार का पटवार-घर में कुछ स्थानीय लोगों के साथ बैठकर शराब पीना बताया था न कि कत्ल करने का स्थानीय पटवारी और सुशीलकुमार पर शक प्रकट किया था।

(४) जी हां।

(५) जी हां। रामदयाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री मूलचन्द ने एक प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को दिया था। इसमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध केस को सफल बनाने में दिलचस्पी नहीं लेने का आरोप लगाया था। इसके फलस्वरूप यह अभियोग स्थानीय पुलिस से सी० आई० डी०, सी० बी० जयपुर में स्थानान्तरित किया गया है।

(६) जी हां, श्री रामदयाल के प्रार्थना-पत्र दि० ७-११-६७ को राज्य सरकार को प्राप्त होने पर इस अभियोग का अनुसंधान सी० आई० डी० द्वारा किया जाने के आदेश हुये। इस पर यह अभियोग दि० १४-१२-६७ को अपराधशाखा में स्थानान्तरित किया गया। अपराधियों का अभी तक पता नहीं चला है, प्रयत्न जारी हैं।

उद्योग मंत्री की कार की चोरी

२२१. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माननीय उद्योग मंत्री के बंगले से जो सरकारी कार चोरी की गई थी उसकी जांच की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(१) माननीय उद्योग मंत्रीजी के बंगले से जो कार चोरी गई थी उसके सम्बन्ध में अपराध संख्या ४६७ दिनांक १०-११-६७, धारा ३७९ भा० दं० सं० थाना कोतवाली, जयपुर में पंजिबद्ध हुआ। इसका अनुसंधान श्री लक्ष्मीकांत, उप-अधीक्षक आरक्षी, नगर-२, जयपुर बड़ी सरगर्मी से कर रहे हैं। तफतीश के विस्तृत विवरण का उल्लेख करना केस के हित मे नहीं पाया जाता।

नगरपालिका सीकर के सदस्य के विरुद्ध शिकायत

२२२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका के सदस्य श्री गजया वार्ड नं. २२ की पत्नी नगरपालिका में ही नौकरी कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि किसी सदस्य के इस प्रकार से परिवार के सदस्य का नगरपालिका के कार्य करने से नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत वह सदस्य सदस्यता से अयोग्य हो जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सदस्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।)

अशोक टॉकीज, अलवर के अहाते की दुकानें

२२३. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में अशोक टॉकीज बनाने के लिये भूमि की प्रथम-बार नीलामी की गई तो यह शर्त लगाई गई थी कि टॉकीज के अहाते में बाहर की ओर दुकानें नहीं निकाली जावेंगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि नगर-परिषद्, अलवर ने दूसरी बार दूकानें बनाने की स्वीकृति इस शर्त पर दी कि दुकानें किराये पर नहीं उठाई जावेंगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि आज उक्त सभी दुकानें किराये पर उठी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या यह शर्तों का उल्लंघन नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिकाओं के कर्मचारी

२२४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने अनुभव किया है कि नगरपालिकाओं में जो कर्मचारी होते हैं वे अधिकतर स्थानीय निवासी होने के कारण पार्टीबाजी के आधार पर काम करते हैं ? यदि हां, तो इस समस्या को मिटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

(२) क्या सरकार नगरपालिकाओं में जो स्थानीय निवासी व्यक्ति सेवा में लगे हुए हैं उनका दूसरी नगरपालिकाओं में स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका, बीकानेर द्वारा घास के ठेके

२२५. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर नगरपालिका ने गत वर्ष घास की खरीद के ठेके किस-किस को दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या इसके लिये नियमानुसार टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो किस-किस ने टेण्डर दिया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) गत वर्ष १९६६-६७ में सफेद घास की कूतर का ठेका श्री भैरूरतन रंगा को तथा हरी घास की कूतर का ठेका श्री शफी-मोहम्मद वाजू खां को दिया गया था।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(२) ठेके खुली बोली लगाकर दिये गये थे।

अलवर में वाटर वर्क्स का काम करने वाली सहकारी समितियां

२२६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर जिले में वाटर वर्क्स का काम करने वाली कितनी सहकारी समितियां हैं और वे कितने-कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं ?

(२) क्या विभाग की ओर से इन सहकारी समितियों को कार्य करने के लिये उन ठेकेदारों से जो व्यक्तिगतरूप से काम करते हैं, कोई विशेष सहूलियतें दी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि सहकारी समितियों को अदायगी के बारे में जल्दी की जाय ?

(४) क्या यह सही है कि अलवर जिले की सहकारी समितियों के वाटर वर्क्स विभाग की ओर कई वर्षों के पुराने पेमेन्ट रुके हुए पड़े हैं और इस विभाग में उनको लिखित शिकायतें भी प्रस्तुत हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में वाटर वर्क्स का काम करने वाली निम्न सहकारी समितियां हैं जो पिछले ५-६ वर्षों से कार्य कर रही हैं :—

(१) दी श्रमिक ठेका सहकारी समिति, जिला अलवर।

(२) दी बहरोड़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, अलवर।

(३) इश्रोता श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०, इश्रोता।

(४) एक्स-सोल्जर्स मैन कोऑपरेटिव ठेका लि., अलवर।

(५) अलवर पाइप फिटिंग एण्ड ठेका समिति लि०, अलवर।

(२ जी हां।

(१) सहकारी समितियों से जमा धनराशि जो कि निविदा देते समय जमा करानी चाहिये, नहीं ली जाती।

(२) बिना निविदाएं आमंत्रित किये इन्हें २०,००० रु० तक का कार्य शिड्यूल रेट्स पर दे दिया जाता है आदि २।

(३) राज्य सरकार की तरफ से सभी मामलों को शीघ्र निपटाने की एवं नियमित रूप से सभी समितियों एवं ठेकेदारों को अदायगी के आदेश हैं।

(४) जी हां, ये भुगतान कार्य पूरा नहीं किये जाने, समय की वृद्धि न होने, अधूरा कार्य करने आदि के कारण समय पर नहीं हो पाते और यह सब नियमानुसार हैं। जिन २ सहकारी समितियों की तरफ से पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें सन्तोषजनक उत्तर दिया जाता रहा है। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिनका

श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

भाग द्वारा कार्यवाही की गई वह निम्न प्र र है:—

(१) अलवर पाइप फिटिंग एण्ड सेनेटरी ठेका सहकारी समिति लि०, अलवर ने पत्र संख्या ३७, दिनांक १६-८-६७ व २०-११-६७ को नारायणपुर के पाइप लाइन में कार्य के फाइनल बिल के लिये लिखा था। सोसायटी के फाइनल बिल का भुगतान जनवरी, ६८ में तथा सिक्यूरिटी बिल का भुगतान अगस्त, ६८ में किया जा चुका है।

(२) अलवर पाइप फिटिंग एण्ड सेनेटरी ठेका सहकारी समिति लि०, अलवर ने अपने नगर के पाइप लाइन के कार्य के फाइनल बिल के लिये पत्र दि. १६-८-६७ द्वारा लिखा था। इस सहकारी समिति का समय वृद्धि का मामला विचाराधीन है उसके फाइनल होने पर भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिये सहायक अभियन्ता को दिनांक २५-५-६८ को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

(३) श्रमिक ठेका समिति ने अपने पत्र संख्या १७४३, दिनांक ६-३-६७ द्वारा हमीरपुर जल योजना के कार्यों की सिक्यूरिटी डिपोजिट के लिये लिखा था। उनकी समय वृद्धि का मामला तय किया जाकर भुगतान कर दिया गया है।

(४) **प्रतापगढ़ पाइप लाइन का ठेका:**—पत्र संख्या ३१, दिनांक १६-८-६७ द्वारा अलवर पाइप फिटिंग सोसायटी ने सिक्यूरिटी रिफण्ड के लिये लिखा था। कार्यालय के पत्र संख्या ७१२६, दिनांक ३०-११-६७ द्वारा उत्तर दिया जा चुका है कि समय वृद्धि का मामला तय होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(५) **लक्ष्मणगढ़ पाइप लाइन:**—दि. १६-८-६७ को अलवर पाइप फिटिंग एवं सेनेटरी ठेका सहकारी समिति, अलवर ने सिक्यूरिटी रिफण्ड के लिये लिखा था उनको ३०-११-६७ को जवाब दिया गया था कि अभी तक समय वृद्धि का मामला विचाराधीन है क्योंकि सहकारी समिति ने अभी तक समय वृद्धि के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था। समय वृद्धि का मामला तय होने पर ही सिक्यूरिटी रिफण्ड का भुगतान किया जा सकेगा।

ग्रामीण नल योजना, चेचट

२२७. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):** क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चेचट में ग्रामीण नल योजना का सर्वे कब पूरा कर लिया गया था और इसमें कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है ?

(२) क्या जनता से उनके हिस्से की रकम ले ली गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(३) चेचट ग्रामीण नल योजना को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(४) ग्रामीण नल योजना में इस साल कितनी रकम मन्जूर हुई है व पिछले साल कितनी हुई थी और ३,००० हजार से कम आबादी वाले कितने कस्बों में कहां-कहां पिछले दो सालों में व इससे पूर्व नल योजनायें चालू की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) ग्रामीण नल योजना चालू करने के लिये प्राथमिकता किस आधार पर दी जाती

(श्री जुझारसिंह)

है और उन आधारों में से ऐसी कौनसी (Comparative) कमी है जिसके कारण चेचट में नल योजना का काम नहीं चलाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) सन् ६६ में योजना की अनुमानित लागत १,९८,३००) रुपये है।

(२) जी नहीं, अभी तक कोई धनराशि इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(३) क्योंकि योजना स्वीकृत ही नहीं हुई है अतः पूरा किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिये इस वर्ष ४५ लाख रु० बजट में स्वीकृत हुए हैं। गत वर्ष १७.८८ लाख रु० स्वीकृत हुए थे। अब तक १९६१ की जनगणना के अनुसार १,००० से कम आबादी वाले जिन ग्रामों में जलप्रदाय योजनायें लागू की गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) ग्रामों में नल योजनाओं को वहां प्राथमिकता दी जाती है जहां जल स्रोत तथा कुए आदि कम हों अथवा ग्राम से दूर हों अथवा बहुत अधिक गहरे हों तथा उस ग्राम में नल योजना लागू करने की मांग हो। ग्राम चेचट में १० कुए तथा ४ हेण्ड पम्प हैं, जिनमें से ८ सार्वजनिक कुए हैं और वे अधिक गहरे भी नहीं हैं, मांग पूर्ति इन मांगों से हो जाती है। तथापि वाटर बोर्ड की मीटिंग में इस ग्राम को जल योजना बनाया जाना प्रस्तावित था अतः इस ग्राम की योजना बनाई जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बायतू में जल संकट

२२८. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम बायतू (बाड़मेर जिला) में स्थाई तौर से जल संकट को हल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

(२) क्या जन-स्वास्थ्य विभाग ऊंडू ट्यूबवेल से इस ग्राम में जल पहुंचाने की योजना तैयार कर रहा है ?

(३) अगर नहीं, तो किस योजना से उक्त ग्राम की जल समस्या को हल करने का सरकार का विचार है ?

(४) ग्राम ऊंडू (शिव तहसील) ट्यूबवेल की जल क्षमता कितनी है ?

उत्तर

(१) बायतू और उसके आसपास के गांवों के लिये जल संकट का स्थाई तौर से हल करने के लिये महायोजना में रीजनल योजना बनाई जाने का प्रावधान है।

(२) व (३) जी हां।

(४) ग्राम ऊन्डू के नल कूप की क्षमता ११,२५० गेलन प्रति घण्टा है।

पंचवर्षीय योजनाओं में जल कष्ट निवारण पर खर्च की गई राशि

२२९. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य में तीन पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में जल कष्ट निवारण के लिये कितनी राशि खर्च हुई ? जिलेवार आंकड़े दें।

(२) इस राशि का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार जिलेवार खर्चा हुआ है ? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में एवं वार्षिक योजनाओं में:—नगरीय जलप्रदाय योजना में १,१४६.५३ लाख रुपये, ग्रामीण जलप्रदाय योजना में ६४७.६५ लाख रुपये खर्च हुए।

(२) जिलेवार आंकड़ों की सूची प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जलप्रदाय योजना, लाडनूं

२३०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लाडनूं जलप्रदाय योजना कब मंजूर की गई थी, उसका कार्य कब शुरू हुआ था तथा कब पूर्ण हुआ था और कितने रुपयों की स्कीम थी जिसमें राज्य सरकार व दानदाता के कितने-कितने रुपये खर्च होने थे और कितने-कितने हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सरकार और दानदाता के बीच जो एग्रीमेन्ट हुआ था उसका पालन बराबर हुआ या नहीं ? अगर नहीं हुआ तो किस ओर से नहीं हुआ और दानदाता ने यदि एग्रीमेन्ट की शर्तों का उल्लंघन किया तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि दानदाता को जितने रुपये जमा करवाने थे वो पूरे जमा नहीं करवाये है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया तथा रुपये जमा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(१) लाडनूं जल योजना की नींव दिनांक ७ नवम्बर, सन् १९६३ में डाली गई थी और तब से ही कार्य शुरू किया गया। कार्य १४ अक्टूबर, सन् ६५ में पूर्ण किया गया। यह योजना कुल ७.३१ लाख रुपये की बनाई गई थी जिसमें से दानदाता द्वारा समझौते के मुताबिक २.८५ लाख रुपये देने थे। स्कीम पर कुल खर्चा ६.११ लाख रुपये हुआ है जिसमें से दानदाता ने १.१५ लाख ही दिये हैं। सूची संलग्न है।

(२) पूर्णतया पालन नहीं हुआ क्योंकि दानदाता ने समझौते के मुताबिक कुल २.८५ लाख रुपया जमा न कराकर एग्रीमेन्ट का पूरा २ पालन नहीं किया। अतः सरकार

(श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

ने भी पूरा २ पालन नहीं किया। एग्रीमेन्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार एग्रीमेन्ट का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही की जा सके। एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है।

(३) जी हां, पूरे रुपये जमा नहीं कराये। अभी तक कुल २.८५ लाख रुपयों में से १.६५ लाख रुपये ही जमा कराये हैं जैसा कि उत्तर २ मे लिखा गया है। एग्रीमेन्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार समझौते का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही की जा सके। रुपया जमा कराने के लिए दानदाता को बराबर नोटिसेज दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(२८-८-६८)

भरतपुर-कुम्हेर सड़क पर पानी

४५. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर-कुम्हेर सड़क की मील नं० ६ व ७ मे पिछले कई सालों से ४/५ फुट तक पानी भर जाता है और यातायात को भारी कठिनाई होती है ?

(२) इस साल गत वर्ष की वर्षा का पानी उपरोक्त मीलों में किस माह में सूख गया था ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के उक्त दो मीलों की सड़क को ऊंचा करना आवश्यक था ? यदि हां, तो पानी सूखने के पश्चात् किस माह में उक्त कार्य के टेण्डर लिये गये व यह कार्य प्रथम किस ठेकेदार को दिया गया व इस ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने की मयाद कब तक थी ?

(४) क्या यह सही है कि पानी सूखे ६ माह पश्चात् इस कार्य के टेण्डर लिये गये थे व जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया था वो प्रायः फैल हो गया और कुछ मिट्टी डालने के सिवाय कोई कार्य उक्त ठेकेदार ने नहीं किया और तीन माह तक कार्य बन्द पड़ा रहा ?

(५) क्या यह सही है कि कार्य दुबारा किसी दूसरे ठेकेदार को दिया गया था ? यदि हां, तो इसके टेण्डर कब लिये गये और कब मंजूर हुए, और पहले ठेकेदार के खिलाफ कार्य पूरा न करने पर नियम के अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या उक्त कार्य पर लाया गया मेटीरियल पासशुदा क्वायरी से लाया गया है ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त टेण्डर के एग्रीमेंट में घाटा पहाड़ (करीब २५ मील) की लीड दर्ज है और पत्थर व मिट्टी उक्त घाटा पहाड़ से न लाकर कुम्हेर के पास पूठधनवाड़ा पहाड़ से लाया गया है जो कि उक्त मीलों से ३-४ मील की दूरी पर स्थित है और पेमेन्ट घाटा पहाड़ की करीब २५ मील की लीड से किया गया है ?

(८) उक्त कार्य अब किस ठेकेदार के पास है और उसको अब तक कितना पेमेन्ट किया गया है ?

(श्री नत्थीसिंह)

(९) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में असफल रहा है, और सरकार ने मशीनों द्वारा मिट्टी खोद कर सड़क पर डलवायी है, और सरकारी ट्रक व सरकारी लेबर ने कार्य किया है, लेकिन इस सारे कार्य का पेमेन्ट ठेकेदार को दिया गया है ?

(१०) उक्त कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता एवम् अधीक्षक अभियन्ता ने किन-किन तारीखों में किया है, और क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) केवल गत वर्ष पानी आया है।

(२) मास नवम्बर, ६७ में सूख गया था।

(३) जी हां। फरवरी, ६८ में कुंवरसेन को ठेका दिया गया। मियाद ५ अगस्त, ६८ तक थी।

(४) जी नहीं। ठेकेदार से कुछ मिट्टी का काम करा कर ठेका वापस ले लिया गया था।

(५) जी हां, ठेका मई, ६८ में दिया गया था। ठेकेदार से ठेका विभाग ने वापस ले लिया था अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

(६) जी हां।

(७) जी हां, घनवाड़ा पहाड़ से पत्थर लाने की जानकारी इस विभाग की नहीं है। ठेकेदार के भुगतान क्वारी की दूरी के अनुमान से किया है।

(८) श्री जयप्रकाश, मानप्रकाश तथा लक्ष्मणप्रसाद ठेकेदार के पास है। उन्हें क्रमशः २९,६०५) तथा २०,१४९) का भुगतान हुआ है।

(९) जी नहीं, जो कार्य सरकारी मशीनरी द्वारा कराया है उसका भुगतान ठेकेदार को नहीं दिया गया है।

(१०) निरीक्षण ब्योरा मांगा जा रहा है जो आने पर प्रस्तुत कर दिया जायगा।

चूरू जिले की राष्ट्रीय राज पथ तथा सुरक्षा पथ में आई भूमि का मुआवजा

४६. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले में राष्ट्रीय राज पथ नं. ११ और राष्ट्रीय सुरक्षा पथ का निर्माण कब चालू किया गया था ? ये सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

(२) अब तक इन पर कितना-कितना व्यय हुआ है और कुल लागत कितनी होगी ? पूर्व अनुमान क्या था ? लागत बढ़ने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या इन सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) कुल कितनी-कितनी भूमि छुड़ाई गई है और उसका कितना-कितना मुआवजा होता है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(५) क्या यह सही है कि सड़क में आई हुई भूमि का लगान भी अभी तक किसानों से लिया जा रहा है ?

(६) चूरू जिले में बनी हुई सड़कों में से किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है और किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को देना बाकी है तथा कब से, क्यों ? इसमें विभागीय और अकाल सहायता कार्यक्रम में बनी सड़कें अलग अलग बतलाई जायं।

(७) क्या जिन सड़कों के नीचे आई भूमि का लगान भी अभी तक किसान ही दे रहे हैं ? ऐसे कितने किसान हैं ? कितना मुआवजा देना बाकी है ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

२८-८-६८

अध्यापकों के स्थानान्तरण

५४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण सामान्यतया पढ़ाई के चालू सत्र के बीच नहीं किये जाते हैं और गर्मी की छुट्टियों में ही किये जाते हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर के जिला शिक्षणालय निरीक्षक द्वारा इस नीति का पालन नहीं करके इतनी भारी संख्या में गत सत्र के बीच अध्यापकों के स्थानान्तरण क्यों किये गये हैं ?

(२) क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) हां, यह सही है कि सामान्यतया अध्यापकों के स्थानान्तरण पढ़ाई के चालू सत्र के बीच नहीं किये जाते हैं और गर्मियों की छुट्टी के बीच में किये जाते हैं। इस जिले के भूतपूर्व विद्यालय निरीक्षक श्री सत्यनारायण द्विवेदी दिनांक ३०-९-६७ को सेवा निवृत्त हो चुके थे इसलिये सत्र प्रारम्भ होने पर शालाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किये गये। सत्र के मध्य में जो स्थानान्तरण किये गये हैं, वे प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर किये गये हैं और जिले की ९ उच्च माध्यमिक विद्यालय जो १९६६ में क्रमोन्नति की गई थी उनके प्राथमिक विभाग को पंचायत समितियों को सौंपे जाने के कारण उस विभाग को पढ़ाने वाले अध्यापकों की मांग के अनुसार अन्य शालाओं में स्थानान्तरण किया गया। जिन अध्यापको को बी. एस. टी. सी. तथा बी. एड में प्रति नियुक्ति किया गया था उनके प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यभार संभालने के पश्चात् उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिये स्थानान्तरण किये गये।

(२) जी नहीं।

राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल, बाड़मेर की अध्यापिकाओं के विरुद्ध शिकायत

५५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल, बाड़मेर की दो अध्या-

Page No. 58

(श्री अवनारायण सालोदिया)

पिकाओं द्वारा अनुसूचित जाति की अध्यापिका को जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूल में कृष्ण पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि बाड़मेर हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता ने लिखित में प्रधानाध्यापिका को उन दो अध्यापिकाओं के खिलाफ शिकायत की ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई।

उत्तर

(१) यह सत्य नहीं है।

(२) जी नहीं, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव। इन पर बाद में निर्णय दूंगा।

(१२.१२ म. प्र.)

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन पहले से लेता हूं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार !

याचिका समितियों के प्रतिवेदन

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह याचिका उपस्थित करेंगे।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम बोरदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में भीमसागर बान्ध की योजना के सम्बन्ध में याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं शहर में पाइप लाइन डालने के लिये तोड़ी गई सड़कों को ठीक कराने तथा नाहर मगरा (उदयपुर) में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे से सम्बन्धित याचिकायें देने वालों की हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) - अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के खजाने वाले रास्ते तथा भिण्डों के रास्ते की सड़क को ठीक कराने के सम्बन्ध में २८ याचिकाएं देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर में माधोबिहारीजी के अहाते में जमीन का आवंटन व बिजली की व्यवस्था से सम्बन्धित ६२ याचिका देने वालों की हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं तहसील हिण्डोली में पेय जल की लाइन न डाले जाने

Page No. 59

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

से सम्बन्धित चार याचिकाएं देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

मैंने जैसा निवेदन किया, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था टाइप हो रही है, उसमें देर हो गई है इससे पूर्व मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ले लेता हूं। मुख्य मन्त्री वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

विद्युत् मण्डल के श्रमिकों द्वारा भूख-हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने विद्युत् कर्मचारियों को विद्युतमण्डल द्वारा निम्नलिखित मांगों को न निपटाकर अपनी २०६ वीं की बैठक में पुराने निर्णय को बदलकर नये निर्णय से उत्पन्न मजदूरों में असन्तोष के बारे में उल्लेख किया है।

१. तकनीकी कर्मचारियों में उनकी केडर स्ट्रेंग्थ की पोस्टें अभी तक न भरी जाना।

२. अपीलों का बहुत अर्से तक फैसला न होना।

३. सुपरवाइजरों की पोस्टें न भरी जाना।

४. पदोन्नति के एरियर का न चुकाया जाना।

५. भारत सरकार द्वारा विद्युत वेतन मण्डल की सर्व सम्मत सिफारिशों का न मानना।

उपरोक्त प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है।

विद्युत मण्डल प्रारम्भ से ही अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई बनाने की ओर तत्पर रहा है। सन् १९६०-६१ में जितने भी रिक्त स्थान हैं उनकी एक सूची तैयार की गई और उन पदों पर अस्थाई कर्मचारियों के स्थाईकरण का प्रयत्न किया। इन अस्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध जितनी भी अपीलें हुई उनके निपटारे के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें एक अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी केवल इसी कार्य के लिये लगाया गया। इन तमाम अपीलों पर निर्णय लिये गये और इस प्रकार के सभी मामले निश्चित कर दिये गये।

अस्थाई पदों को स्थाई बनाने के लिये अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है जैसे पूर्व रेकार्ड का पूर्ण कराना। फिक्सेशन करने में सर्वोत्कृष्ट आवश्यकता पूर्ण सर्विस रेकार्ड की उपलब्धि है और करीब ११ हजार से अधिक कर्मचारियों के पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध करने में जो बाधायें आईं उनकी कल्पना ही की जा सकती है।

स्थाईकरण करके वरिष्ठता की सूची निकालने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के अनुसार दिनांक १२-१०-६४ को मण्डल ने लगभग ६५०० स्थाई पद स्वीकार किये। सुपरवाइजरी तकनीकी कर्मचारियों के फिक्सेशन के लिये समिति का गठन किया गया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसके अलावा स्किल्ड और अर्ध स्किल्ड श्रेणी के कर्मचारियों के फिक्सेशन के लिये समिति का गठन किया गया। स्थाईकरण के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करने के उद्देश्य से एक आज्ञा जारी की गई जिसके अनुसार विभिन्न समितियों को अपने फिक्सेशन एवं स्थायीकरण का कार्य सितम्बर, ६८ के अन्त तक पूरा कर देना चाहिये। फिक्सेशन को एक रूपता प्रदान करने के लिये स्पष्ट निर्देश देते हुए आदेश प्रचलित किये। आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे इस उद्देश्य से दिनांक २९-६-६८ को मण्डल ने एक आज्ञा प्रसारित की जिसके अन्तर्गत विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के फिक्सेशन के लिये स्पष्टीकरण किये गये।

(२) अपीलों के फैसले न होने के कारण फिक्सेशन का कार्य पूर्ण होना है, फिक्सेशन का कार्य सितम्बर, ६८ के अन्त तक पूरा करने की सीमा निर्धारित की गई है। अपीलों पर निर्णय लेने का कार्य उपरोक्त तिथि पर फिक्सेशन का कार्य पूरा होने पर ही किया जा सकेगा।

(३) व (४) मण्डल ने २०६ वीं बैठक में निर्णय लिया है कि जनवरी, १९६१ के बाद पदोन्नति पाये या नियुक्त किये गये कर्मचारियों के फिक्सेशन प्रमोशन को, आज्ञा जारी होने की तिथि से लागू किया जावे और १-१-६१ तक पदोन्नत हुए एवं नियुक्त हुए कर्मचारियों के फिक्सेशन को १ जनवरी, १९६४ से लागू किया जावे। इस निर्णय का प्रमुख आधार यह है कि एक लम्बे अर्से से कार्य करते हुए कर्मचारियों को, थोड़े अर्से से कार्य करते हुए श्रमिकों के मुकाबले में कुछ अधिक लाभ की सुविधा मिल सके। उपरोक्त स्पष्टीकरण न करने का फल यह होता है कि समस्त श्रमिकों को पदोन्नत का लाभ आज्ञा जारी होने की तिथि के बाद कार्य भार ग्रहण की तारीख से होता, जब कि इस स्पष्टीकरण द्वारा अधिकांश कर्मचारियों को यह लाभ १-१-६४ से भी प्राप्त हो सकेगा।

(५) केन्द्रीय विद्युत मण्डल आयोग की अंतरिम सिफारिशों के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त वेतन आयोग की अंतरिम सिफारिशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में ५ रु० से २० रु० के बीच धनराशि देने की सिफारिश की गई है जो कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होगा।

केन्द्रीय वेतन मण्डल द्वारा प्रस्तावित

वेतन क्रम	अन्तरिम सहायता
११० रु० प्रति माह तक	२० रु०
११० रु० से १५० रु० प्रति माह के बीच	११ रु०
१५१ रु० से २०० रु० प्रति माह के बीच	७.५० रु०
२०१ रु० से २९९ रु० प्रति माह के बीच	५ रु०
३०० रु० से ४९९ रु० प्रति माह के बीच	एक अग्रिम वेतन वृद्धि

वेतन आयोग की तुलना में उक्त तालिका से विदित होगा कि वेतन आयोग की अन्तरिम सहायता केवल ५ रु० से २० रु० तक सीमित है। उसके मुकाबले में विद्युत मण्डल ने अन्तरिम सहायता के रूप में १-६-६७ से समय-समयपर २९ रु० से ६५ रु०

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) तक की बढ़ोतरी प्रति माह की है। निम्न तालिका से विद्युत् मण्डल द्वारा विभिन्न वेतन शृंखला के कर्मचारियों को दी गई विभिन्न अंतरिम बढ़ोतरी का स्पष्टीकरण होगा।

वेतन क्रम	१-१०-६६	१-१-६७	१-२-६७	१-६-६७	योग
९४ रु० प्र० मा० तक	२	१२	६	६	२६ रु०
९५ रु० से १३४ रु० तक	२	६	६	६	२१ रु०
१३५ रु० से १७४ रु० तक	७	२०	७	७	४१ रु०
१७५ रु० से २४४ रु० तक	९	२१	८	८	४६ रु०
२४५ रु० से ४१५ रु० तक	११	३४	९	९	६३ रु०
४१६ रु० से ४३४ रु० तक यह वेतन वृद्धि जिसका कुल वेतन ४५५ रु० से कम हो।					
४३५ रु० से ४९९ रु० तक	११	६४	१०	१०	९५ रु०

मण्डल द्वारा महंगाई भत्ते में दी गई बढ़ोतरी केवल उपरोक्त तालिका पर ही पूर्ण नहीं होती वरन्, मण्डल ने १-११-६७ से पुनः महंगाई भत्ते में ६ रु० से ३३ रु० तक बढ़ोतरी की है। इस प्रकार यह बात समुचित रूप से स्पष्ट हो जाती है कि विद्युत मण्डल द्वारा दी गई राहत वेतन आयोग की सिफारिशों से कहीं अधिक है। बात यहीं पूर्ण नहीं होती वरन् विद्युत मण्डल ने राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते को जीवनस्तर सूचक अंक से सम्बद्ध कर दिया है।

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि विद्युत मण्डल इस कार्य में तत्परता से संलग्न है और श्रमिकों के हित में न केवल उदार नीति को ही अपनाया है बल्कि उनको रेगुलर स्टॉक की तमाम सुविधा देने में प्रयत्नशील रहा है। यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रमिकों को करीब एक लाख रु० से ऊपर की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका है।

श्री केदारनाथ : मजदूरों ने भूखहड़ताल का नोटिस कब दिया कब भूखहड़ताल पर बैठे और इस बीच में लेबर डिपार्टमेन्ट ने कन्सीलियेशन की प्रासीडिंग्स स्टार्ट की क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके सम्बन्ध में लेबर डिपार्टमेन्ट ने कन्सीलियेशन किया और फेल्योर की रिपोर्ट की।

श्री अध्यक्ष : दूसरा स्थगन प्रस्ताव सुदर्शनपुरा में २५-३० हरिजन परिवारों के मकानों को नष्ट करने के सम्बन्ध में है। राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

२. सुदर्शनपुरा में २५-३० हरिजन परिवारों के मकानों को नष्ट करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इसके संबंध में जवाब दें उससे पहले मैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उसके पहले कुछ नहीं होता है। मंत्री महोदय।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाईस गोदाम के पास जो भूमि है उस पर कुछ हरिजन परिवारों को हटाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन जानकारी के लिए यह है :—

एक तो यह मामला अदालत के जेर तजवीज है और सबजुडिस है इसलिए उसकी उचितता और अनुचितता पर मैं नहीं जाकर तथ्यों की बात बताऊंगा क्योंकि इस केस में ४४७ पीनल कोड की दफा के तहत में कुछ लोगों का चालान किया गया और वह वहां जेर तजवीज है। एक बात, दूसरी बात यह है कि तहसीलदार ने जो फैसला दिया सेक्शन ९० (ए) और ९० (१) के तहत में उसकी रेगुलर अपील पेन्डिंग है। ए० डी० एम० के यहां वह भी जेर तजवीज है और उसकी निगरानी गवर्नमेन्ट के ऊपर भी वह भी जेर तजवीज है। तो क्रिमिनल कोर्ट में है, सिविल राइट्स के सम्बन्ध में मामला पेन्डिंग है इसलिए सारे मामले ही कोर्ट के जेर तजवीज हैं इसलिए मैं केस की मैरिट्स में नहीं जाकर जो वाकयात हैं सारे मामले में वे आपके सामने अर्ज कर देता हूं।

दिसम्बर, ६५ में मेजर खन्ना जो भारतीय सेना के अन्दर थे उन्होंने वीरगति प्राप्त की और उनकी बेवा को कुछ जमीनें कुछ जगहों पर काश्त को बताई गई। उसमें से सुदर्शनपुरा गांव में ४ बीघा १५ बिस्वा भूमि मालती खन्ना जो कि विजय खन्ना की विडो थीं उनको दी गई और उनको दिये जाने के बाद मार्च, ६६ में उनका उस जमीन पर कब्जा करा दिया गया और कब्जा उनका हो गया और उन्होंने कुछ खम्भे लगाये और कुछ तार लगाये और दरवाजा बनाया और उनका कब्जा हो गया। उसके बाद में अभी ६८ में पटवारी हलके ने यह रिपोर्ट की कि २६ जुलाई, ६८ को मैं कल उधर घूमने के लिए दौरे पर गया था तो सुदर्शनपुरा के मौजे में चक नम्बर १६२ है शायद उसमें कुछ नाजायज तामीरात लोग करा रहे थे, ३ आदमी इस तरह के मकानात बना रहे थे। उन्होंने पूछना चाहा कि यह कौन बना रहा है तो किसी ने एकनालेज नहीं किया और मना किया तो माने नहीं। तो २६ तारीख को रिपोर्ट कर दी गई और उसके लिए सेक्शन ९० (ए) के तहत में नोटिस जारी हुआ और इधर मालती खन्ना ने शिकायत की कि मेरी जमीन से मुझको डिसपजेश किया जा रहा है तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और उसका चालान अदालत में हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास में जो कि जेर तजवीज है। उसमें उधर तहसीलदार की कार्यवाही चल रही है। उस पर १२ अगस्त को यह फैसला तहसीलदार ने दिया कि यह भूमि मालती खन्ना के लिये राज्य द्वारा अबात की गई थी और उसका कब्जा दे दिया गया है और इन लोगों का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए यह २४ घन्टे के अन्दर अपना कब्जा छोड़ दें। इस बीच में ए० डी० एम० भी मौके पर पहुंच गये और उन्होंने देखा तो पहले पटवारी ने जो ३ मकानात बनाने की रिपोर्ट की थी उसके बीच में मौका देखने गये तो उसमें और कुछ ज्यादा तामीरात हो गई थी। तो उनको डीमोलिश करने के लिए कहा गया। हालांकि नोटिस १२ तारीख को दिया गया था और १३,१४ और १५ तारीख तक इन्तजार करके १६ तारीख को सुबह तहसीलदार के द्वारा डिमो-

(श्री रामकिशोर व्यास)

लिश करा दिया गया स्ट्रक्चर जो कि कृषि भूमि पर बनाया गया था और कायदे कानून के माफिक उनको डिमोलिश कर दिया गया था। अब स्थगन प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं कि उनके साथ मारपीट की गई यह बात सही नहीं है इसका कभी मोका नहीं आया। पुलिस जरूर साथ गई थी। लेकिन वहां न कोई मार पीट हुई और न पुलिस के प्रयोग की जरूरत हुई। मकानों को गैंग के द्वारा हटवा दिया गया वहां के वहां पर। इसके अलावा जो सामान की बात कही, तो वह मकान खाली थे, उनमें कोई सामान नहीं था। मकान बन रहे थे इसलिए उनमें किसी के रहने का सवाल और सामान के होने का सवाल नहीं होता। वहां पर बिल्डिंग मैटिरियल पड़ा हुआ था वह ले गये थे। मेरा निवेदन है कि जो कुछ किया गया है वह कायदे कानून के माफिक किया गया है। उनका उस जगह पर कब्जा नहीं था यह रिकार्ड से और कलेक्टर की रिपोर्ट से साबित होता है इसलिए उनको हटा दिया गया। ये तथ्य मैंने रखे हैं, आशा है इनसे आप संतुष्ट होंगे।

श्री अबणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने यहां पर जवाब दिया है वह एक प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके इस सदन को...

श्री अध्यक्ष : गुमराह !

श्री अबणलाल : गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि मेजर खन्ना के परिवार के लिए जो जमीन दी गई उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मेजर खन्ना के परिवार के लिए एक बीघा से लेकर हजार बीघा तक जमीन दें। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रकार का रवैय्या रहा है अपने क्षेत्र के अन्दर भी जहां भी एलोटमेंट कमेटी की मीटिंग होती है तो मैं वहां पर जाता हूं, और सबसे पहले, जो कि हमारे भारत को रक्षा करने वाले नौजवान हैं, उनके लिए जमीन का एलाटमेंट करवाता हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका सवाल है मैं मेजर खन्ना के परिवार को जमीन एलाट करने का कोई विरोधी नहीं हूं, उनको आप एक बीघा से लेकर हजार बीघा तक जमीन दें...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर आयें।

श्री अबणलाल : उससे मुझे विरोध नहीं है। मेरा सवाल इस बात का है कि यह जमीन जो भी सुदर्शनपुरा की वहां पच्चीस परिवार करीब पन्द्रह वर्ष से बसे हुए थे, वहां पर रामदेव जी का मन्दिर मौजूद है वह कम से कम पचास साल का है और वहां कुआ है यह भी उसी समय का उस जमीन पर मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अबणलाल - मैं जानकारी चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय की, जिस प्रकार की सूचना माननीय मंत्री जी यहां दे रहे हैं, क्या जरूरत थी कि रात्रि के तीन बजे, जब कि स्वतंत्रता दिवस पन्द्रह अगस्त का दिन था, से पहले अपने साथ में पांच सो पुलिस कर्मचारियों को लेकर गये ? वह वहां फोर्स के साथ जाते हैं और उनके मकानों को तोड़

(श्री श्रवणलाल)

जाते हैं, उनको पीटा जाता है और उनका सामान ट्रक में पूरा भर कर ले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार के डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू, इस प्रकार के आदेश दे चुके थे कि इस प्रकार क्योंकि गरीबों के प्रति अन्याय किया जा रहा है इसलिए स्टे दिया जाता है। वह स्टे दे चुके थे और टेलीफोन के द्वारा जिलाधीश महोदय को भी सूचना दी जा चुकी थी कि जिन लोगों का कब्जा है, उनको किसी प्रकार हटाया नहीं जाय और उनका कब्जा रखा जाय। इस प्रकार डिप्टी मिनिस्टर रेवेन्यू स्टे दे चुके थे तो उनके आदेशों की अवहेलना करके, इल्लीगल तरीके से, अनधिकृत रूप से उन गरीबों को इस प्रकार तबाही की है और यह पच्चीस हरिजन परिवार बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेजर खन्ना के परिवार के लिए जमीन दी गई वह कहां-कहां कितनी कितनी दी जा चुकी है ? इनको ४६ बीघा जमीन दी जा चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सुदर्शनपुरा के अन्दर ४२ खसरा नं० के अन्दर ४ बीघा १५ बिस्वा, मदनारपुरा के अन्दर खसरा नं० २०३ में ४ बीघा १५ बिस्वा, भूपुरा में खसरा नं ४७ में १५ बीघा ११ बिस्वा, सांगानेर में खसरा नं० ६० में १० बीघा १० बिस्वा, भावना में खसरा ५३ के अन्दर ११ बीघा ६ बिस्वा। तो, अध्यक्ष महोदय, इनको जमीन देनी चाहिए थी वह एक प्लाट दिया जाना चाहिए था, जहां पर आप चाहे पचास बीघा देते या सौ बीघा देते। इस प्रकार उनको जगह जगह पर जमीन दी, और जहां पर जमीन पर हरिजन बैठे हैं, उनको उस जमीन से कैसे हटाया जा सकता है, उस पर कब्जा कैसे किया जा सकता है—उन पर मेजर खन्ना के नाम से कैसे कब्जा किया जा सकता है ? इस प्रकार का षडयंत्र रच कर गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मांग करूंगा कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय और जुडिशियल इन्क्वायरी करके इस हाउस को उससे अवगत कराया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं तीन बातें पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कुंआ बना हुआ है और रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है वह किस वर्ष का बना हुआ है ? आपकी सूचना के अनुसार जितने लोगों के मकान तोड़े गये हैं आपके हिसाब से उनमें से एक भी मकान पुराना नहीं था, मैं समझता हूं कि उस जगह को आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, इस हाउस में कहने की बात दूसरी है......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपस की बात कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मंत्री जी ने नहीं देखा है यह कहलाना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बस्ती को इन्होंने देखा है। आप लोगों को हरिजनों के प्रति सहानुभूति नहीं है इसलिए ही तो इनको मारा गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको सहानुभूति होती तो हंस कर नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए कही गई बात का नोटिस में नहीं लेता हूं। आप भी मत लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : पहला सवाल तो यह कि यह मन्दिर और कुआ किस वर्ष का बना हुआ है? और क्या रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर मन्दिर और कुए का इन्द्राज है? पहला सवाल, दूसरा सवाल है वह यह है कि इसमें कितने मकान बने हुए थे, आपने कितने मकानों को तोड़ा और उनमें से नये कन्स्ट्रक्टेड कितने थे? दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल यह है कि सिविल कोर्ट से, गवर्नमेंट से इस सम्बन्ध में स्टे आर्डर हो चुके थे तो सेक्शन ९१ में कार्यवाही करने की क्यों आवश्यकता हुई? ९१ में कार्यवाही करने से पहले गवर्नमेंट को नालेज में यह था, कलेक्टर की नालेज में यह था कि अमुक अमुक कोर्ट में मामला चल रहा है तो तहसीलदार को इन्डिपेंडेंटली कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता थी, खास तौर से ऐसी स्थिति में जब कि जयपुर शहर में काफी लोगों ने ९१ का वायलेशन कर रखा है और आज तक किसी मकान को नहीं तोड़ा गया है, केवल एक स्थान पर ही इतने परिवारों को हटाने के सम्बन्ध में निर्णय क्यों लेना पड़ा? एक सवाल की जानकारी और करना चाहता हूं, वह श्रवणलाल जी ने पूछा भी है। गवर्नमेन्ट के आर्डर से कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेगमेन्टेशन एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार आप जमीन को टुकड़ों में नहीं बांट सकते एक फौजी को परेशान करने के लिए इस प्रकार टुकड़ों में उस फौजी व्यक्ति को जमीन देकर उस कानून का वायोलेशन आपने क्यों किया है?

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

श्री मूलचन्द डागा : कोर्ट में कौनसा केस चल रहा है?

श्री भैरोंसिंह : चल रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : और बात हो तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने तीन बातों के लिए फर्माया। कुआ और मंदिर यह मौके पर मौजूद हैं, वहां पर मैंने भी देखे हैं। अब कितने पुराने हैं इसकी तहकीकात करना मुश्किल है क्योंकि उसको जब तक एक्सपर्ट जाकर न देखे कि पांच वर्ष के हैं, दस वर्ष के हैं या बीस वर्ष के हैं तब तक वक्त मुकर्रर करना कि कितना पुराना है, मुश्किल है। दूसरी बात जो आपने पूछी उसके लिए अर्ज कर दूं, कुल झोपड़ियां जो हटाइ गई वह १६ हैं, इन सोलह में से पांच गैर हरिजन्स की हैं और ग्यारह हरिजन्स की हैं। दो बात। तीसरी बात यह कि सोलह का कन्स्ट्रक्शन हाल ही का, बिल्कुल नया है, विदिन चार पांच दिन बनी हुई हैं। असल में स्टे गवर्नमेंट से हुआ, उसके बादमें स्वयं के मौके पर जाकर देखने की बात थी। इन्होंने समझा कि स्टे आर्डर आ गया है तो जब तक पजेशन नहीं बतायेंगे तब तक कैसे चलेगा इसलिए इन्होंने कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और तीन चार दिन रात-दिन काम कराया। इसके लिए पहले मना किया और बाद में डिमालिश कर दिया गया। यह कन्स्ट्रक्शन नये हैं यह रिपोर्ट भी हैं और दिखता भी है। जो मैटिरियल है उसको देखने से यह मालूम हो जायगा कि नये हैं क्योंकि नई और पुरानी चीज छिपी नहीं रह सकेगी, उसमें चूना लगा हुआ

(श्री रामकिशोर व्यास)

है, मिट्टी लगी हुई है-अगर वह पुरानी होती तो मालूम हो जाता। पुराने और नये मैटिरियल में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। यह देखने से मालूम हो जायगा आप मौके पर देख सकते हैं कि यह नई हैं या पुरानी है। यह प्रश्न भी आपका है कि जब स्टे आ गया था तो तहसीलदार ने कार्यवाही क्यों की ? चूंकि इनके पास में रिपोर्ट हुई कि एग्रीकल्चरल लैंड पर एन्क्रोचमेंट हो रहा है, तो इसके लिए जो स्टे आर्डर आया था उसमें यह नहीं था कि कार्यवाही नहीं करें। जो स्टे आर्डर दिया उसका क्लेरीफिकेशन हो गया था इसलिए २९ अगस्त के पहले के जो कन्स्ट्रक्शन हैं उनको डिमालिश करायें यह उस आर्डर में लिखा कि २९ अगस्त के पहले कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं था वहां। यह जो कन्स्ट्रक्शन हैं २८ तारीख और २ तारीख के बीच के हैं। इसलिये स्टे आर्डर के खिलाफ कोई कार्य तहसीलदार ने नहीं किया है। २९ तारीख के पहले कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं था, इसलिये तहसीलदार की कार्यवाही बिल्कुल लीगल है। वैसे हरिजनों के साथ पूरी हमदर्दी होते हुए भी यह जो सवाल पेश हैं, इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हूं कि पहले की बात मैं नहीं कहता पर अब यह केस चला है, उस वक्त यह बिल्कुल खाली था। पहले कोई बात हुई हो पता नहीं, ओपन माइन्ड से हम कह रहे हैं। अब भी कोई बात बताना चाहें बतायें।

श्री रामकिशन (बैर) : आपने कुए और मन्दिर के सम्बन्ध में बताया है, बगैर आबादी के मन्दिर की क्या उपयोगिता है ? ५-१० साल पुराना मन्दिर है तो वहां जरूर आबादी रही होगी।

श्री मूलचन्द डागा : प्रिजम्पशन के आधार पर नहीं चलता...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोई काम देखा हो या नहीं देखा हो, जबरदस्ती उसमें कहते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इनको न जाने क्या बना दिया है कि दिन भर फुदकते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐसी गलत धारणाएं क्यों रखते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह अनियन्त्रित भीड़ है।

श्री अध्यक्ष : आप उसमें मत जाइये, आप आरम्भ रखिये।

श्री रामकिशन : जब मन्दिर बना हुआ है तो बगैर आबादी के वह कैसे रह सकता है ? मन्दिर भी कोई विष्णु का नहीं रामदेवजी का मन्दिर है, इस प्रकार की आबादी में लोग रहते हैं, यह मन्दिर उनका ही हो सकता है। यह आबादी १०-१५ साल से है, इस प्रकार के प्रमाण हैं तो सरकार ने यह बड़ी भारी गलती की है। एक सैनिक को इस प्रकार के संकट के डालना बड़ी गलती है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : कोई कारण नहीं है, आपने प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के तीन मन्त्री सर्व श्री जसराज, रामचरण और मुल्कराज इन तीनों ने मौके पर जाकर पूरी स्थिति को देख कर और अवगत होकर सुखाड़ियाजी के यहां गये थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा स्टे दिया जा चुका था, यह सारी कार्यवाही रात को की गई तो क्या उसके अनुसार यह कार्यवाही दिन में नहीं की जा सकती थी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। माननीय सदस्य, यह सारे के सारे प्रश्न सबजुडिस हैं, इसलिये मैं वाद-विवाद की इजाजत नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह : एक बहुत महत्वपूर्ण ज़ानकारी बता दें। तीन मन्त्री मौके पर गये थे और सुखाड़ियाजी को बताया था कि हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है, इसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन मन्त्री गये या नहीं गये मौके पर, मुख्य मन्त्रीजी से मिले या नहीं मिले इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने जाने की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं भेजी।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मन्त्री वक्तव्य देंगे पंचायतों के सम्बन्ध में चुनाव नहीं होने के बारे में।

श्री श्रवणलाल : हरिजनों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, हरिजनों के साथ इस प्रकार के अत्याचार हों...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री श्रवणलाल : राजस्थान के तीन मन्त्री मौके पर गये, मुख्य मन्त्रीजी से मिले हैं और कहा है कि हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर भी किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जाना, इस प्रकार के अत्याचार हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

पंचायत मन्त्री !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री श्रवणलाल : यह बहुमत हरिजनों के बल पर है और हरिजनों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, इन हरिजन मन्त्रियों को अलग हो जाना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर प्लीज।

मन्त्री महोदय।

३. पंचायत संस्थाओं की अवधि सम्बन्धी वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ६४ और ४४ के अनुसार पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन ३ वर्ष के लिये किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ७ में दिया हुआ है। राजस्थान में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का गठन क्रमशः ३०-१-६५, ७-२-६५ एवं २०-१-६५ को

(श्री परसराम मदेरणा)

किया गया था। उसके पश्चात् जब जनवरी-फरवरी, ६८ में उपरोक्त अवधि खत्म हो गई तो राजस्थान सरकार ने अपनी आज्ञा दि० ३१-८-६७ के द्वारा एक वर्ष के लिये इनकी अवधि और बढ़ा दी एवं अब इन पंचायतों के सम्बन्ध में ३०-१-५९ को तथा पंचायत समितियों के सम्बन्ध में ७-२-५९ और जिला परिषदों के सम्बन्ध में २०-१-५९ को यह अवधि समाप्त हो जावेगी....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ५९ नहीं ६९।

श्री अध्यक्ष : ६९।

श्री परसराम मदेरणा : यस, सिक्स्टी नाइन। ३०-१-६९ को पंचायतों की, ७-२-६९ को पंचायत समितियों की और २०-२-६९ को जिला परिषदों की अवधि समाप्त हो जावेगी। इस अवधि के पश्चात् इन संस्थाओं के कार्यकाल को बढ़ाने या राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत राज संस्थाओं की अवधि ३ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष कर दी जाय और इस निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा एक बिल तैयार किया जाकर विधान-सभा को भेजा जा चुका है जो आज ही विधान सभा में पहुँच जायगा और इसी सत्र में उसको पारित कराये जाने का राज्य सरकार का विचार है।

श्री रामकिशन (वैर) : राजस्थान सरकार ने किस स्थिति में यह निर्णय लिया है कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की अवधि ३ साल से ५ साल की कर दी जाय, इस पर मैं इस समय नहीं कह सकता पर जब सरकार दूसरे मामलों को लेकर इनकी अवधि बढ़ाने का संशोधन ले कर आ रही है और जो नाना प्रकार के अनुभव हमें पंचायती राज के सम्बन्ध में हुए हैं, उनको यदि इस समय दृष्टि में न रखा जायगा तो फिर संकट पैदा होंगे। आज हम सरकार के इस निर्णय को मान सकते हैं पर अवधि समाप्त होने पर बार-बार इनकी अवधि बढ़ाने के जो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये गये हैं, इससे जनता में पंचायती राज के प्रति निष्ठा घटी है, इससे लोगों के दिमाग में भ्रम बन सकता है कि ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच से लेकर प्रधान तक अपने पदों से चिपके रहते हैं। तो पंचायत मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी अवधि बढ़ाने के साथ ही साथ, इनको चुनावों की प्रणाली में जो गड़बड़ियां हुई हैं, किस प्रकार पैसे का अपव्यय इन चुनावों में हुआ है, और भी हमें नाना प्रकार के अनुभव पंचायती राज के सम्बन्ध में हुए हैं, उन सब अनुभवों से हमें फायदा उठाना चाहिये और जो जो खराबियां इस पंचायती राज में हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिये, ५ वर्ष की अवधि बढ़ाने का राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है तो इन सब पहलुओं पर भी हमें पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने का फैसला करना होगा और इन चुनावों में जिस प्रकार का खर्चा हुआ है, उसको मद्दे नजर रखते हुए जिस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों उनके साथ ही इनके चुनावों को कराने की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा, जिससे चुनावों के समय जो जटिलताएं आई हैं, जिन-जिन कठिनाइयों का हमें अनुभव हुआ है, उनको कम कर सकें। यदि यह सब नहीं किया तो दूसरी दिक्कतें सामने आने वाली हैं।

(श्री रामकिशन)

तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस निर्णय के साथ ही पंचायती राज के सम्बन्ध में जिन गलतियों का, जिन भ्रान्तियों का हमें अनुभव हुआ है, उनको मद्देनजर रखते हुए, इस पंचायत कानून में और सुधार करने की आवश्यकता है, चाहे वे पंचायत समितियों द्वारा अध्यापकों के शोषण की शिकायतों के सम्बन्ध में हों चाहे अन्यान्य समस्याओं से सम्बन्धित हों, कई प्रश्न इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जब इस कानून में संशोधन ला कर इनकी अवधि बढा रहे हैं तो उसके साथ-साथ इन मुद्दों पर भी सरकार विचार करे और इन सब खराबियों को दूर करने के लिये विशेष प्रकार के आवश्यक संशोधन ला कर पंचायती राज कानून में संशोधन करके अनुभवों का लाभ उठाये तो ज्यादा उपयोगी होगा। इस सम्बन्ध में भी क्या मंत्री महोदय विचार करने को तैयार हैं ? अगर हैं, तो हमें सूचना दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे वे ३ वर्ष के लिये हुए थे, जनता यह मान चुकी थी कि एक बार जिन लोगों को परख लिया है, दुबारा मौका मिलेगा मतदान का तो उन लोगों से निजात पायेंगे। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आपने बार-बार अवधि बढ़ाई और अब ५ वर्ष की मयाद बढ़ाना चाहते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि जो संस्थायें तीन वर्ष के लिये चुनी गयी थीं उनका तीन वर्ष का कार्यकाल राज्य सरकार बढ़ा देगी और इस तरह से जिन चुने हुए लोगों की मयाद समाप्त हो गयी है उनकी मयाद बढ़ा देना बड़ा ही घातक है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह आपने निश्चय किया है तो स्पष्ट रूप से आपको इस हाउस के सामने जवाब देना चाहिये। यह तो जनतन्त्र के साथ मखौल है। नगरपालिकाओं की मयाद बढ़ती चली जा रही है। पहले सादिकअली रिपोर्ट थी। दूसरे लोगों का भी अनुभव है। एक विशद् कानून लाने की बात कही थी। आप पीसमील में इन लोकतन्त्रीय संस्थाओं के लिये बिल लाते हैं, पंचायतों के साथ शिक्षा का सम्बन्ध जोड़ दिया, कोई सोच-समझ कर आपने संशोधन किया है तो निश्चित रूप से आपको एक विस्तार के साथ कानून लाना चाहिये। वरना, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को इस बात के लिये पाबन्द करें कि ये पंचायत संस्थायें तीन वर्ष के लिये चुनी गई थीं मयाद बढ़ाने के नाम पर उनका जीवन दूना नहीं करना चाहिये इससे परपज सर्व होने वाला नहीं है। कुछ और लोगों को गद्दियों पर रखने के लिये सरकार उनको चुनाव से वंचित रखना चाहती है यह उचित नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत मंत्रीजी की यह घोषणा कि पंचायत समितियां और जिला परिषदों के कार्यकाल के लिये संशोधन लाकर पांच साल की मयाद बढ़ा रहे हैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन फिलहाल कार्यकाल बढ़ाने की जो सरकार की मंशा नजर आती है मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में सबसे बड़ा ध्येय है पंचायत समितियां और जिला परिषदें, उनके पीछे जो आस्था है उसको आप सर्वथा समाप्त करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा प्रयास सरकार का है। अनेक बार नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में बार-बार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सदन के अन्दर प्रश्न उठाये गये कि निश्चित समय पर उनके चुनाव नहीं कराये जाते। जो विरोधी दल के पास नगरपालिकायें और नगर परिषदें थीं उनका तो आपने कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव नहीं कराये लेकिन जो नगरपालिकाएं और नगर परिषदें कांग्रेस दल के हाथ में थीं वहां पर प्रशासक नियुक्त न करके नये चुनाव न करा कराके उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। सन् ६७ के आम चुनाव के बाद राजस्थान में जो फिजां बनी है और जिस प्रकार कांग्रेस के प्रति आस्था उठ रही है, कांग्रेस को पदच्युत करने के लिये जनता कटिबद्ध है, वहां पर सरकार यही समझ कर चुनाव नहीं करा रही है। जनवरी, १९६८ मे ही पंचायत समितियों के चुनाव ड्यू हो चुके थे। एक साल के लिये सरकार को अधिकार है कि वह उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है लेकिन दुबारा पांच साल के लिये इस बिल की आड़ में मयाद बढ़ा रही है और इस प्रकार दो साल की मयाद इस प्रकार से बढ़ाना चाहती है मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में एक दो बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है पंचायतों का और म्युनिसिपेलिटीज़ का। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं उन्होंने जो भी कहा है वह एक ऐसी बुरी परम्परा है जो सरकार के द्वारा स्थापित हुई है। जहां विपक्षी दल की म्युनिसिपेलिटीज थीं वहां उन म्युनिसिपेलिटीज़ का कार्यकाल समाप्त होने पर एडमिनिस्ट्रेटर्स कायम कर दिये गये, इलेक्शन वह बिल्कुल बन्द कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन जनतन्त्र में एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। It is a continuing Process उस पर भी कुठाराघात किया है। मेरे खयाल से जनता के प्रति यह नीति अपना कर एक गद्दारी का है।

पंचायत के सम्बन्ध में आप कोई निर्णय नहीं ले पा सकते। मैं तो समझता हूं कि आपकी सरकार को यह संज्ञा दी जाय कि यह इनडिसिशन की सरकार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायतों के सम्बन्ध में धीरे-धीरे जैसे खिसियायी बिल्ली होती है उस तरह एक साल की अवधि बढ़ाते ले जा रहे हैं। वैसे तो दिवालिया सरकार है ही लेकिन मितव्ययता को भी ध्यान में रखते हुए पांच साल की अवधि पंचायतों की रखते हैं उसको आम चुनावों के साथ चुनाव करने की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे इसकी जानकारी करना चाहूंगा। पंचायत मेजर्स कोई काम्प्रीहेन्सिव तरीके से लाना चाहिये। इसमें भी खामियां हैं। सब में खामियां होती है। केवल भगवान् में कोई खामी नहीं है। जो ग्लेरिंग डिस्क्रीपेन्सीज है, बड़ी-बड़ी खामियां हैं : एक पंचायत समिति १५ पंचायतों को है, बाज-बाज पंचायत समितियां ४५ पंचायतों की हैं। पंचायतों को बड़ी बनाना या छोटी बनाना, कोई इसके लिये काम्प्रीहेसिव मेजर लाना चाहें या जो वर्तमान व्यवस्था है उसको कायम रखना चाहते हैं इस सम्बन्ध में भी मैं जानकारी करना चाहूंगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से यह घोषणा कि पंचायतों की मयाद पांच साल की बढ़ाने का प्रस्ताव है सुन कर बड़ा

(श्री दौलतराम सारण)

आश्चर्य हुआ। आज तक सरकार यह कहती रही है कि निश्चित अवधि में ही चुनाव करायेगी और पिछले अधिवेशन में ही यह घोषणा की गई थी। सरकार इन घोषणाओं पर पाबन्द नहीं रह रही है। नगरपालिकाओं और स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव अगले वर्ष के लिये रोके गये। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पांच वर्ष की अवधि बढ़ाई जायगी तो इन संस्थाओं का चुनाव दो साल के बाद करवायेंगे ? यह सरकार क्यों नहीं यह उचित समझती है कि जिन संस्थाओं के चुनाव तीन वर्ष के लिये कराये गये हैं, एक वर्ष बढ़ाया गया है, वह अवधि समाप्त होने पर भी उनका चुनाव करा दे और आगे के लिये पांच वर्ष की अवधि नियत कर दे ? लेकिन इन संस्थाओं की स्थिति के बारे में सरकार बिलकुल अस्पष्ट है। केवल सरकार घोषणाएं करके और अवधि बढ़ा कर प्रयोग कर रही है। सरकार उनकी सीमाओं, उनकी स्थिति आदि के मामलों में अस्पष्ट है। कभी छोटी, कभी बड़ी कभी समन्वय की बात, कभी मन माने ढंग से पंचायतों की अवधि को बढ़ा देती है। इस ओर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कभी पंचायतों को कोई अधिकार दिया जाता है तो कभी उसको वापस ले लिया जाता है। कभी छोटी बनाने की बात आती है तो कभी बड़ी बनाने की। यह शासन पंचायती राज के मामले में अस्थिर है, अस्पष्ट है और इसकी कोई नीति नहीं है। इसलिये स्थिति अस्थिर है कि यह पंचायती राज चलेगा या नहीं। पंचायती राज में काम करने वाले भी आन्दोलन कर रहे हैं और नये-नये तरीके की बाते हो रही है इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार सोच समझ कर अवधि तय करे। कितनी अवधि रखना है, उनका क्या दायित्व है, किस प्रकार कार्य-प्रणाली रखनी है और किस प्रकार उनका क्षेत्र रहेगा ये सारी बाते स्पष्ट होनी चाहिये। एक स्पष्ट कानून लाना चाहिये। बार बार हम उसमें अमेण्डमेन्ट करते हैं, संशोधन करते है इससे कानून में बड़ी अस्पष्टता आ जाती है। सरकार इस संस्थाओं का चुनाव आम निर्वाचन के साथ साथ करा दें। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सोचे और उसके बाद ही कानून इस सदन के द्वारा पारित कराया जाये कि इनकी अवधि आगे के लिये बढ़ा दी जाये या नहीं।

(१.०० म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : वैसे सामान्यतः हर तीसरे वर्ष पंचायतों के चुनाव की आशा की जाती है। लेकिन राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की स्थिति है, उसको देखते हुए १ जनवरी, ६६ को पंचायतों की यह अवधि समाप्त होने जा रही है, अभी इनके चुनाव कराना उपयुक्त नहीं होगा। इस समय राजस्थान के करीब १४ जिलों में अकाल की स्थिति है जैसा कि अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उन गांवों की क्या स्थिति होगी ? वहां चुनाव कैसे होंगे ? कोई सरपंच हो उससे ज्यादा उनकी दिलचस्पी, गांव में जो अकाल की स्थिति है, उसका सामना कैसे किया जाय इसमें होगा। लोग बाहर चले जायेंगे। मतदाता नहीं रहेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि जनवरी के अन्दर जो चुनाव होंगे, वे वास्तविक चुनाव नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार वास्तविक चुनाव नहीं होंगे और खर्चा अधिक होगा। राजस्थान सरकार ने

(श्री शंकरलाल)

इसके लिये जो कदम उठाया है, पांच साल की अवधि रखी है और उसके लिये यहां जो बिल लाया जा रहा है, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह पाँच साल की अवधि आम चुनावों के साथ रखी जाये, यह माननीय सदस्य ने यहां बताया है। लेकिन जब बिल हमारे सामने आयेगा तब हम इस सम्बन्ध में अपने विचार रखेंगे। फिलहाल जो अवधि बढ़ाई गई है, वह ठीक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका बहुमत है इसलिये आप जो चाहो कर सकते है। यह महत्वपूर्ण विषय है अगर आप एक शब्द भी स्पष्टीकरण में कहेंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। क्या इस सम्बन्ध में आप विपक्षी दलों के एक-दो सदस्यों को भी कॉन्फीडेन्स मे लेना उचित समझेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों का कार्यकाल तीन साल से पांच साल किये जाने का संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और विरोधी पक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार स्वायत्त शासन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का एटीट्यूड रखती है। इस सिलसिले में नगरपालिकाओं की बात कही। इनकी दलील में क्या वजन है, यह तो मैं नहीं कह सकता। परन्तु यह दलील पंचायतों के सिलसिले में लागू नहीं होती। पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के कार्यकाल बढ़ाने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में ७,००० पंचायतें हैं, २३२ पंचायत समितियां हैं, २६ जिला परिषदें हैं, उन सबका कार्यकाल बढ़ रहा है। इस संशोधन को लाने के पीछे राज्य सरकार के सम्मुख कुछ मुद्दे थे...

श्री दौलतराम सारण : क्या पंचायतों का क्षेत्र वर्तमान में है वही रहेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। इस बिल को लाने के पीछे तीन-चार मुख्य कारण हैं। मैं तफसील में जिस वक्त बिल विचारार्थ लिया जायेगा तब जाऊंगा। अभी संक्षेप में ही मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस बिल को लाने का एक उद्देश्य मितव्ययता है। दूसरा उद्देश्य राज्य सरकार का यह है कि राज्य सरकार ने पंचायत समितियों और तहसीलों के पुनर्गठन के लिये एक आयोग बिठाया है। उस आयोग की रिपोर्ट के ऊपर डिलिमिटेशन होने जा रहा है, यह कारण है। तीसरा कारण, जैसा जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग पर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को सूखे की स्थिति का क्या असर होता है, यह मैं समझता हूं मालूम नहीं है। उन्हें बाढ़ की स्थिति का ही मालूम है। सूखे की स्थिति कम नहीं है। राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। लाखों की संख्या में मवेशी एक जिले से दूसरे जिले में ही क्या राजस्थान के पड़ौसी राज्यों में जायेंगे। इस प्रकार लाखों मतदाता भी अपने निवास स्थान पर नहीं रहेंगे इसके साथ-साथ भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो जाने के कारण, स्थिति में असाधारण

Page No. 73

(श्री परसराम मदेरणा)

गंभीरता पैदा हो जाने के कारण विषमता आ रही है। ऐसी सूरत में लाखों आदमियों के लिये राहत कार्य खोले जायेंगे। लोगों को अपने क्षेत्र से दूसरे स्थानों पर कार्य करने के लिये जाना पड़ेगा जीवन-उपार्जन के लिये। इन परिस्थितियों के अन्दर राज्य सरकार यह संशोधन बिल लाई है। बिल जब सदन में विचारार्थ आयेगा उस पर माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने अभी जो सुझाव दिया है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेन्स में लेकर ही हमेशा कार्यवाही की जाती है। अगर इसके बारे में कोई सुझाव हों तो मैं माननीय विरोधी सदस्यों के साथ बैठ कर विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री मालवीय रीजनल इन्जिनीयरिंग कॉलेज बन्द होजाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दें!

४. मालवीय इन्जिनीयरिंग कॉलेज के बन्द होने के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक २०-८-६८ को इन्जिनीयरिंग छात्र संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया— "एक बैक पेपर सिस्टम के बारे में प्रचलन, दूसरा ६५ प्रतिशत से प्रथम श्रेणी को ६० प्रतिशत करने के क्रम में।" यह अध्यावेदन तुरन्त ही रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया गया। प्रधानाचार्य ने दि० २०-८-६८ को ही छात्रों को उनके अध्यावेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना देते हुए तथा शीघ्र ही अपने कक्षाओं में उपस्थिति शुरू करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया। दिनांक २१-८-६८ को जो कि अवकाश का दिन था इन्जिनीयरिंग छात्र संघ के परामर्शदाता एवं स्टाफ के अन्य वरिष्ठ सदस्य अनौपचारिक रूप से छात्रावासों में छात्रों से मिले तथा उन्हें अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के लिये यह कह कर समझाया कि उनकी दोनों मांगें पहले ही विश्व-विद्यालय के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं। उस समय कुछ छात्रों ने अपनी कतिपय अन्य मांगों के बारे में भी चर्चा की। इस पर उनसे यह कहा गया कि उन्हें अपनी समस्त कठिनाइयों का उल्लेख अपने दिनांक २०-८-६८ के आवेदन-पत्र में करना चाहिये था। छात्रों ने अपनी तब दोनों पूर्व मांगों सहित ६ मांगों की एक सूची और प्रस्तुत कर दी, जो निम्न प्रकार है:—

(१) इस सत्र के बेक पेपर सिस्टम क्रियान्वित किया जावे।

(२) प्रथम श्रेणी ६० प्रतिशत पर ही मान लिया जावे एवं ऑनर्स बिना ऐच्छिक पेपर्स के ७० प्रतिशत पर माना जावे।

(३) वे विद्यार्थी जो फिजिक्स प्रेक्टिकल में फैल हो गये है, उनकी परीक्षा पुनः ली जावे।

(४) एन. सी. सी. प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिये ऐच्छिक किया जावे।

(५) छात्रावास के कमरों का किराया कम किया जावे।

Page No. 74

(राव श्री धीरसिंह)

(१) ३३ प्रतिशत कुल योग में जोड़े जाने के बजाय कुल अंक जो विद्यार्थियों द्वारा सप्लीमेन्टरी में एक या दो विषयों में प्राप्त किये हों, जोड़े जावें।

उपरोक्त मांगों में एन. सी. सी. को ऐच्छिक करने की मांग को स्वीकृत कर दी गई है तथा कमरों के किराये में कमी की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। अन्य सभी मांगें चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं अतः वहां भेज दी गई हैं सो जो निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा इन मांगों पर दिया जावेगा वह उनको सूचित कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के बंद होने के संबंध में स्टेटमेंट। शिक्षा मन्त्रीजी।

५. जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज के बंद होने के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल पहली मरतबा १८ जुलाई को स्ट्राइक शुरु हुई। उसके बाद वहां के स्टूडेंटस् हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले। मुझसे भी मिले। और यह तय हुआ कि ......

एक माननीय सदस्य : क्या परेशानी है, साफ कहें।

श्री अध्यक्ष : बड़ा साफ सुनाई दे रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : वहां के इंजीनियरिंग फेकल्टी के स्टूडेन्ट्स फाईनेन्स मिनिस्टर श्री मथुरादास माथुर से मिले और मुझसे भी मिले। जयपुर में आये तो जयपुर में बातचीत हुई। आखिर में स्टूडेन्ट्स इंजीनियरिंग फेकल्टी और दूसरे स्टूडेन्ट्स व यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी आपस में बैठकर बात करें। एक तारीख को मथुरादासजी माथुर वाइस चान्सलर, डीन और श्री शिवचरणजी माथुर व स्टूडेन्ट्स प्रतिनिधि और सभी लोग आपस में बैठे। उस दौरान के अन्दर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित हैं जैसे आईडेन्टिटी कार्ड के आठ आने के बजाय डेढ़ रुपया, फीस देर से जमा हो तो बहुत ज्यादा फाइन हो जाता था, आपस में बैठकर सुलझाई गई। एक बात दूसरी बेक पेपर सिस्टम है उसको इन्ट्रोड्यूज किया जाय। उसके बारे में हमारी राय यह है कि युनिवर्सिटी का मामला है वे ही इस मसले पर गौर करेंगे।

इसके लिये वाइस चान्सलर, डीन, इंजीनियरिंग फेकल्टी ने यह माना कि ५ आदमियों की कमेटी बना देंगे। वह कमेटी प्रो० लक्ष्मीनारायण, डाईरेक्टर आफ इन्स्टीट्यूट बिरला, प्रो० आर० एम० अडवानी, प्रो० स्वामीचरण और प्रो० जगदीशस्वरूप, प्रिन्सिपल रीजनल इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद एण्ड प्रो० एम० बी० माथुर डाईरेक्टर इंजीनियरिंग फेकल्टी, जोधपुर लेकिन कुछ कारणों की वजह से युनिवर्सिटी अपनी रिपोर्ट पहले देना चाहती थी इसलिये इन मेम्बर्स के बजाय जो मेम्बर बुलाये गये है प्रो० बी० कुमार, इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर, डॉ० बी० के० हूजा, प्रो० आई० जे० नगराज। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें की और वह सिफारिशें इस प्रकार थीं पहली बात यह कही कि जो स्टूडेन्ट्स की डिमान्ड थी कि बेक पेपर सिस्टम होना चाहिये

Page No. 75

(श्री बरकतुल्ला खां)

या तो यह होगा कि एक ग्रुप रिटिन पेपर हो सकता है। दूसरे पास होने के मार्क्स बताये वह ५० पर्सेन्ट बताये उसको रिड्यूस करा के ४५ पर्सेन्ट कर दिया। इसके बाद जो सप्लीमेन्टरी में पास होगा वह यह लिखवा लें सप्लीमेन्टरी या आधे पर्सेन्ट मार्क्स लिखवाये।

मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों की तरफ से जो कमेटी बनाने के लिये कहा वह बड़े एक्सपर्ट्स को कहा है उसके बजाय युनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी के लोगों को बुला लिया इसलिये जो वायदा हुआ वह पूरा नहीं हुआ। यह ऐसी सिचुऐशन हुई कि जिसके अन्दर राजस्थान सरकार, या एज्यूकेशन विभाग इस मामले में जाना नहीं चाहता। जो हमारे देश से बाहर जाते हैं कुछ न कुछ एक्सपेरीमेन्ट लेकर जाते हैं। पूरे देश का यह दुर्भाग्य है कि सैक्शनल सिस्टम जोधपुर का एक तरीका है बिरला मे दूसरा तरीका है, कुरुक्षेत्र में तीसरा तरीका है और इलाहाबाद में चौथा तरीका है। नये-नये सिस्टम जो एज्यूकेशनिस्ट बाहर जाते हैं उसका हमारे देश में एक्सपेरीमेन्ट करते हैं। जब यह स्ट्राइक चलती रही है तो युनिर्वसिटी बन्द हो गई, इंजीनियरिंग फेकल्टी बन्द कर दी गई और इंजीनियरिंग फेकल्टी को बन्द कर देने के बाद स्टूडेन्ट्स के छोटे-मोटे झगड़े हुये। उसमें ४ स्टूडेन्ट्स का रैस्टीगेशन हो गया। मैंने स्टूडेन्ट्स से बात की, कल भी की और परसों भी की थी। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, कि स्ट्राईक को विथड्रा कर लें तो वे स्ट्राईक को इस बात पर विथड्रा करने को तैयार हैं कि आप हमें गारन्टी दें कि हमारे ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होंगे। मैंने इन्सट्रक्शन दे दिया है। वाईस चान्सलर से बात करें कि स्टूडेन्ट्स की यह डिमाण्ड है कि उनके साथ जुल्म और कोई अत्याचार न हों। हेविंग गुड विल आन बोथ साईड्स तो यह स्ट्राईक बहुत जल्दी खतम हो सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान के विद्यार्थियों को जो कि हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं, उनको सरकार की गलत नीतियों के कारण समय-समय पर इच्छा न होते हुये हड़ताल करनी पड़ रही है। आज उसी हड़ताल को लेकर विद्यार्थी चाहे वे मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र चाहे जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हों राजस्थान विधान सभा के बाहर आज अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर बुलन्द अवाज के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जोधपुर के अन्दर जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थी ४६ दिन से लगातार न्यायोचित मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और राजस्थान के शिक्षा-मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री से अपनी न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में बात की। मुझे भी एक बार जोधपुर जाने का अवसर मिला और मैंने विद्यार्थियों से बातचीत की उनकी जो मांग थी बैंक पेपर की और छात्रावास के सम्बन्ध में और अन्य बातों के सम्बन्ध में वह वास्तविक थी, उनकी मांगें न्यायोचित हैं। अभी माननीय मंत्रीजी ने जो एक विशेषज्ञ की समिति को गठित करने की बात कही वह विद्यार्थियों की उपस्थिति में माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी और वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी ने विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था, विद्यार्थियों ने उनको स्वीकार किया था उसके अन्दर कुरुक्षेत्र, जयपुर और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पिलानी के तीन डाईरेक्टर्स उस समिति के अन्दर थे उनको स्वीकार किया था और उस समिति के आगे विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को रखा था, उनके सामने उन्होंने अपने सारे हालात और न्यायोचित मांगों को सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है उप-कुलपति हैं उनकी कलई खुलती देखकर जानबूझकर शिक्षा विभाग ने जानबूझकर और २५ अगस्त के नाम पर जो समिति को रिपोर्ट देने के नाम पर उन विशेषज्ञों को जिनको विद्यार्थियों की उपस्थिति में स्वीकार किया था उनको नहीं बुलाकर दूसरों को बुलाया जो उनके मरजीदान थे। विद्यार्थियों ने अपनी न्यायोचित मांग को उनमें सामने नहीं रखा था, उनकी मांगों का रिप्रजेंटेशन को देखा नहीं और बिना किसी आधार के राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के उपकुलपति अपनी इच्छानुसार उन लोगों से जो चाहा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई। जब विद्यार्थियों को पता लगा तो उन्होंने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर, अपने भविष्य को अन्धकारमय नहीं बनाने के लिये इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की। राज्य सरकार की, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों को लाजमी हड़ताल पर आना पड़ा और वह हड़ताल आज तक जारी है।

इतना ही नहीं आज यह जो हड़ताल चल रही है, यदि इसी प्रकार से हड़ताल जारी रही तो विद्यार्थियों, का भविष्य अंधकार में पड़ जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब राजस्थान सरकार और हमारे राजस्थान का प्रांत एक है तो उस प्रांत के अन्दर जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे मेडीकल कॉलेज से संबंधित हों चाहे इंजिनीयरिंग कॉलेज से संबन्धित हों, उन सबके लिए एक नीति का निर्धारण कर लिया जाता तो आज जो मेडीकल कॉलेज के विद्यार्थी हड़ताल करना चाहते हैं नम्बरों के संबंध में, जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों के मेडीकल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने इसी कारण आज जो एडमीशन लेना चाहते है तो ९ पर्सेन्टेज के आधार पर जोधपुर के विद्यार्थियों को एडमीशन नहीं मिलता है। शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण जोधपुर, उदयपुर और जयपुर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में एक प्रकार से संघर्ष पैदा होगा। उनकी ऐसी भावना पैदा हो गई कि हम राजस्थान में अवश्य रहते है लेकिन समान अधिकार और न्याय न मिलने के कारण हड़ताल करनी पड़ रही है।

मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से यह सरकार कहती है कि विश्वविद्यालयों की नीतियों के अंदर सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, इसी सरकार ने, शिक्षा मंत्रीजी ने, पिछले सत्र के अंदर सदन को आश्वासन दिया था कि इंजिनीयरिंग कॉलेजेज और मेडीकल कॉलेजेज की संख्या में कमी करेंगे और उन्होंने इस प्रकार पर्सेन्टेज के आधार पर जो प्रवेश मिलता है उसका भी जिक्र किया था। जब सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस नीति को सरकार ने क्यों बदला? मेडीकल कॉलेजों के अंदर जो संख्या बढ़ाई उसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मन्त्रीजी ने राजस्थान के मंत्रिमंडल ने, कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और कांग्रेस

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

विधायकों के रिश्तेदारों को मेडीकल में प्रवेश दिलाने की नई नीति बनाई।

अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से विश्वविद्यालयों की नीतियों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए था, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप मंत्रि-मंडल में बैठक कर इस प्रकार नीतियों में रद्दोबदल क्यों करते हैं? अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो ४६ दिन से हड़ताल चल रही है, उसको सरकार समाप्त कराएगी, उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार करेगी और उनके साथ न्याय करेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं मंत्रीजी से दो बातें जानना चाहूंगा कि इंजिनीयरिंग कॉलेजेज के लड़के जो हड़ताल कर रहे हैं, उसमें क्या विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अधिकारियों के बीच में मत-भेद हैं वह एक कारण तो नहीं है और जिन ४ लड़कों को रेस्टीकेट किया गया है वह भी आपसी झगड़े का कारण तो नहीं है? दुर्भाग्य से राजस्थान विधान सभा में विश्वविद्यालयों के संबंध में कभी चर्चा नहीं हुई। विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो कानून बना हुआ है, उसके अन्तर्गत उनकी वार्षिक रिपोर्ट उनका लेखा-जोखा इस सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वह आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ, न ही सदन में इस पर कभी चर्चा की गई और यही कारण है कि विश्वविद्यालयों के संबंध में, सरकारी नीतियों के सम्बन्ध में, छात्रों की स्थिति के संबंध में जानकारी न सदन को है न जनता को न हो सदन के माध्यम से विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के पास हमारी मनोभावनाएं पहुंचती हैं और न ही छात्रों को जानकारी मिलती है। दुर्भाग्य से जोधपुर विश्व-विद्यालय एक ऐसा पोलिटिकल हॉटबेड है जिसके अन्दर एक सैक्शन दूसरे सैक्शन को नीचा दिखाने के लिए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नीचा दिखाने के लिए, एक अधिकारी दूसरे के प्रोमोशन का चान्स मारने के लिए बदनाम करने की कोशिश करता है. उस प्रकार का प्रचार आप जोधपुर में जाकर देखें। जोधपुर में दो राजनैतिक संस्थाएं हैं। जनसंघ और कांग्रेस। ये दोनों इस निम्न स्तर पर जाने को तैयार नहीं हैं चाहे कांग्रेस वालों ने, जनसंघ ने व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना की हो लेकिन इस प्रकार की स्थिति विश्व-विद्यालय के प्रांगण में जायगी तो मैं समझता हूं कि पैम्फलेट्स का काम नहीं है, भाषा कितनी अश्लील हो, आरोप कितने गलत हों, इसका कोई सवाल नहीं, जिस प्रकार एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बदनाम करने पर तुला हुआ है, यह अधिकारी वर्ग छात्रों में असंतोष पैदा करता है और एक-दूसरे के खिलाफ छात्रों में असंतोष बढ़ा कर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सरकार के लिए अच्छा होगा कि विद्यार्थियों के संबंध में, विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस प्रकार पीसमील स्टेटमेंट देने के स्थान पर तीनों विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय और दो दिन तक बहस की जाय ताकि लोगों को कम से कम इस बात की जानकारी मिल जाय कि विद्यार्थियों की समस्याएं क्या हैं, उनके प्रति विश्व-विद्यालयों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, सरकार इसमें किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है? जोधपुर विश्व-विद्यालय में जिस प्रकार से राजनीति

(श्री भैरोंसिंह)

और गन्दगी इस समय चल रही है, वह सरकार के इस प्रकार के हस्तक्षेप से मिटने वाली नहीं है। सरकार को सख्त कदम उठा कर मिटाना पड़ेगा। नहीं मिटाया गया तो जोधपुर विश्वविद्यालय में आज जैसी स्थिति आ रही है कहीं भी आ सकती है और इससे विद्यार्थी-वर्ग का नुकसान हो और सरकार को शायद नीचा देखना पड़े।

इसलिए मंत्री महोदय बतायें कि किन२ व्यक्तियों के आपसी वैमनस्य के कारण यह सारी स्थिति पैदा हो रही है, विश्वविद्यालय ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और सरकार क्या सुझाव देना चाहती है ?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। विश्वविद्यालयों की ऑटोनोमी के बारे में, जैसी भैरोंसिंहजी ने कहा, हम सबका विश्वास है। अगर उनके बारे में यहां पर बहस होगी तो वह उनके इन्टरनल एफेयर्स में दखल की बात नहीं होगी, वह तो उनके आटोनोमी को मजबूत करेगी। यूनिवर्सिटी में जितनी इरे-ग्युलरीटीज़ होती हैं अगर उन पर बहस होगी तो भविष्य में उनके लिए चेक्स ब्रेक्स का काम करेगी रना इस समय बहस न होने के कारण कुछ युनिवर्सिटीज तो मनमानी करती हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर कमीशन एपोइंट न करें, तो कम से कम एम० एल० ए० की एक कमेटी नियुक्त करें, वह स्पोट पर स्टडी करके अपनी रिपोर्ट पेश करें और उस पर यहां बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष : किसके अंतर्गत फरमा रहे हैं कि हम एक्सेस करें ?

श्री केदारनाथ : स्पोट पर स्टडी करके सदन को रिपोर्ट करें।

श्री भैरोंसिंह : कानून के अनुसार एड-मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और लेखा-जोखा उनको पेश करना है सदन को। इसलिए कमेटी एपाइंट करें जो रिपोर्ट दे।

श्री केदारनाथ : जैसे जोधपुर कॉलेज है या मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक चीज मुझे प्रशंसनीय लगी है कि ४०–४५ दिन से हड़ताल चल रही है लेकिन बहुत ही पीसफुल रही है। ऐसी मिसाल किसी अन्य प्रांत में नहीं मिलेगी। उसके बावजूद वहां ४ विद्यार्थियों को रेस्टीकेट करना सिचूएशन को एग्रावेट करना था। बेक पेपर इन्ट्रोड्यूस हो या न हो, यह हमारा काम नहीं है, यह एक्सपर्ट बॉडी का काम है। आप स्टुडेन्ट्स के नुमाइंदों को बुलायें चाहे कृषि कॉलेज हो चाहे आर्ट्स कॉलेज। सारे राज्य में सेंटर की एजूकेशन पॉलिसी नई फ्रेम होगी। कोठारी कमीशन के बारे में और स्टेटमेंट तैयार हुआ है कि स्टुडेंट अन्रेस्ट और भविष्य के बारे में क्या व्यवस्था हो। इसमें विरोधी पार्टीज का सहयोग हो और रास्ता निकालना चाहिए कि हड़तालें कैसे भविष्य में न हों। यह एक कॉलेज की बात नहीं है, सब कॉलेज की बात है, सब कॉलेज आंदोलन के रास्ते पर हैं।

श्रीमती गौरी पूनीयां (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं इन्जीनियरिंग कालेज के चार लड़कों को रस्टिकेट क्यों किया गया ? यदि उनको निकालने का कारण स्ट्राइक था

(श्रीमती गौरी पुनीया)

तो क्या केवल इन्हीं चार लड़कों ने स्ट्राइक की ? स्ट्राइक पर सभी लड़के थे तो केवल उन चारों को क्यों निकाला गया ? अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक करना लड़कों का मौलिक अधिकार है इससे कोई रोक नहीं सकता ।

इसके अलावा मैं यह भी स्पष्ट पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से इन लड़कों का चार साल से विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है आखिर उसके क्या कारण हैं ? इसके अलावा आप यह चाहें कि हम उनको डरा धमका कर उनकी हड़ताल समाप्त करवा देंगे यह होने वाला नहीं इसलिये शिक्षा मंत्रीजी को चाहिये और राज्य सरकार को चाहिये किसी तरह से बीच बचाव करके इसका निपटारा किया जाना चाहिये। और जो पिछले तीन सालों से यह स्ट्राइक्स का जो दौर दौरा चल रहा है उसके क्या कारण हैं और उसको मिटाने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों में जब असन्तोष पैदा होता है तो वे हड़ताल का सहारा लेते हैं इसमे केवल विद्यार्थियों की अपनी मांगें ही नहीं हैं इसके तीन–चार कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसके लिये विश्वविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का दोष है जो सब से बड़ा कारण है ।

दूसरा कारण राजस्थान के तीन विश्वविद्यालय हैं इन तीनों में परस्पर सौम्यता का अभाव है, परीक्षाओं में नम्बर देने में एक रूपता नहीं है, यह भी दूसरा कारण असन्तोष का है ।

तीसरा कारण यह है कि सरकार के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को सर्विस में आने के बारे में भी ग्रेड की समता नहीं है। एक एग्रीकल्चर का स्नातक एक मेडीकल और एक वेटरनरी का स्नातक है जिसमें किसी को चार वर्ष, किसी को पांच वर्ष, किसी को छः वर्ष का समय पढ़ने में लगता है। इनमें भी ग्रेड की असमानता है यह भी असन्तोष का कारण बन गया है। कुछ टेक्निकल लोगों को कम वेतन कर दिया गया किसी को ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ग्रेडों की समता के अभाव की वजह से छात्रों के दिमाग में असन्तोष पैदा हुआ है। इसके बारे में वेटरनरी और एग्रीकल्चर कॉलेजों में विशेष तौर से असन्तोष है। मैं विस्तार से तो जब वेतन आयोग पर विचार होगा उस समय प्रकाश डालूंगा।

चौथा असन्तोष का कारण छात्रों को कुछ अपनी असुविधायें हैं जिनको तरफ न राज्य सरकार ध्यान देती है और न विश्व विद्यालय ही ध्यान देते हैं। उनके बारे में वे बराबर प्रतिवेदन देते रहते हैं उनका कोई उत्तर नहीं मिलता यह भी असन्तोष का एक कारण है। और इस बारे में जब ये मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री से या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के लड़के जब मुख्य मंत्रीजी से और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलने गये तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और उनको कहा गया कि तुम्हारी इच्छा हो सो करो, हमारे पास समस्या का समाधान नहीं है। मुलाकात का परचा भी इन्हीं के सामने फाड़ कर फेंक दिया। साधारण अव्यवहारिकता भी विद्यार्थियों को उत्तेजित कर देती है। आप उनके अभाव–अभियोगों

Page No. 80

(श्री दौलतराम सारण)

को सहानुभूति के साथ सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । तो आप यह जानते है कि विद्यार्थियों में गर्म खून होता है इस तरह के व्यवहार से उनके दिमाग में उत्तेजना पैदा हो सकती है । आपको चाहिये कि उनके साथ कोई कठिनाई हो उनको धीरज के साथ सुनिये, उनमें से आप जितनी दूर कर सकते हैं दूर करें । आप विद्यार्थियों को विश्वास में लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी । वे किसी के खिलाफ आन्दोलन नहीं कर रहे हैं । उनको जो असुविधायें हैं वे उनको दूर करवाना चाहते हैं यही उनका उद्देश्य है । आप ठीक प्रकार से तर्क संगत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी । अध्यक्ष महोदय लाल आंखे दिखा रहे है, इन आंखों से डर लगता है ।

श्री अध्यक्ष : लाल नहीं यह तो पीली हैं....

श्री दौलतराम सारण : अभी-अभी अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों का जुलूस यहां आया हुआ है, आप जाकर वहां समझाइये और आप भी उनकी बात धैर्य के साथ सुनकर कोई समाधान निकालिये । आप जिन विद्यार्थियों पर मानते हैं कि देश का भविष्य निर्भर है तो आप जा कर क्यों नहीं उनको समझाते ? आप क्यों उनकी भविष्य के बारे में उपेक्षा करते हैं ? भावी नागरिक को आप दुतकारते हैं । विद्यार्थी का खून गर्म है वह अपनी बात की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता । आप उनकी कठिनाइयों पर ध्यान दें, उनकी मांगों पर ध्यान दें तो उनका समाधान हो सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल असन्तोष को प्रकट करती है । जो जल्से निकालते हैं, मैं समझता हूं, इसके पीछे भी असन्तोष है । अगर जनता में या किसी वर्ग में असन्तोष नजर आता है तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ता है । लोकतन्त्र खतरे में पड़ता है तो सभी लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसकी रक्षा करें । इस प्रकार के जल्से, हड़तालें क्यों होती हैं ? इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं असन्तोष जरूर है । इस भावना को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : शिक्षा के सम्बन्ध में हमने स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये थे । जोधपुर इन्जीनियरिंग कॉलेज में हड़ताल, महाराजा कॉलेज में हड़ताल, मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज में हड़ताल, राजस्थान के समस्त पांचों कृषि कॉलेजों में हड़ताल से सम्बन्धित थे । इन हड़तालों के परिणामस्वरूप राज्यव्यापी हड़ताल की संभावनायें बढ़ती जा रही हैं इसी संदर्भ में सदन इन समस्याओं पर विचार करे ।

अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में मांग की गई है विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है । उसमें उत्थान की दृष्टि से विद्यार्थियों की समान समस्या का समाधान हो सके इस बारे में सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये । जिस समय इस विधान सभा के

Page No. 81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष श्री रामनिवासजी मिर्धा थे उस समय भी हमने यह प्रश्न उठाया था कि राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के स्टेट्यूट के सम्बन्ध में, उसके एज्युकेशन के सम्बन्ध मे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये। राजस्थान सरकार इस यूनिवर्सिटी एज्युकेशन के सम्बन्ध में सदन में डिबेट करने के लिये तैयार नही हुई। बराबर इस बात की मांग की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी निवेदन किया कि उस रिपोर्ट को सदन मे प्रस्तुत किया जाय और उस रिपोर्ट पर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाय। राजस्थान सरकार एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं करती। जितनी भी आमदनी या खर्च होते हैं उनके बारे में किसी प्रकार के सुझाव हम दे नहीं सकते। जब जोधपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में आया जो परसरामजी ने रखा था उस समय उन्होंने कहा था कि यह विधेयक दिल्ली से बन कर आया है जो एक मोडल बिल है इसको पास किया जाना चाहिये। उस समय भी हमने इस पर संशोधन प्रस्ताव रखे थे उनको भी नहीं माना गया। आज आप देखते हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों से जोधपुर विश्वविद्यालय की हालत बहुत खराब और खस्ता है। यह राज्य सरकार की जल्दबाजी का परिणाम है। आज जोधपुर विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, राजनीति का जमघट बना हुआ है। वहां विद्यार्थी और प्रोफेसर के बीच ही नहीं प्रोफेसर प्रोफेसर के बीच झगड़ा है इससे सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों के बीच में एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार किया जाय और तीनों विश्वविद्यालयों का एक्ट का एक पेटर्न होना चाहिये। इसके लिये आवश्यक संशोधन आना चाहिये। सारे एक्ट्स को सदन में लाकर सबका समान एक्ट बनाना चाहिये और किसी में कोई लेकुना रह गया हो तो उसको दूर करना चाहिये।

इन सारे विद्यार्थियों की हड़तालों का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। केवल मात्र ऐसा नही है कि अगस्त मास आता है और विद्यार्थियों को हड़ताल की उमंग आती हो। जैसे महाराजा कॉलेज, जयपुर की हड़ताल का एक कारण है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसे ग्रान्ट दी वहां के असेम्बली हॉल में छत डालने के लिये, टिन शेड डालने के लिये। पर वह टिन शेड नहीं डाली गई। असेम्बली हॉल मे कॉलेज की मीटिंगों मे विद्यार्थी काफी तकलीफ पाते है, गर्मियो में धूप सताती है, बरसात में कोई फंक्शन होता है तो बरसात में भीगते हैं और सर्दी मे सर्दी के कारण ठिठुरते है। अब वे कहते है इस पैसे का कहां दुरुपयोग हुआ, वह पैसा कहां गया, टिन क्यों नहीं डाले गये इसकी जांच की जावे। ये सवाल छोटे-छोटे हैं। पर ये ही विद्यार्थियों में असन्तोष के कारण आगे जाकर होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं उप-मंत्री, शिक्षा विभाग के रहे हैं। बड़ा गहरा अनुभव है आपका। पुस्तक भी लिखी है आपने। मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कम्प्लीमेन्टरी कॉपी की फिराक में न रहें, एक रुपया पल्ले से खर्च करके उस पुस्तक को खरीदिये और उसके अध्ययन के आधार पर राजस्थान के विद्यार्थियों की हालत क्या है यह जानिये और उसका उसके हिसाब से समाधान निकालिये।

Page No. 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, आपकी पुस्तक की कनवेंसिंग के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। इसलिये मुझे अभी पीली बत्ती की जरूरत नहीं है। आमूल-चूल इसी शिक्षा में आप परिवर्तन सुझाते हैं। आपके ये बहुमूल्य प्रस्ताव गहरे चिन्तन, मनन और अनुशीलन पर आधारित हैं, चन्द चांदी के टुकड़ों के खातिर आपने यह पुस्तक लिखी हो, ऐसा मैं नहीं मानता। राजस्थान सरकार इन सारे अनुभवों के आधार पर इनसे लाभ उठा कर शिक्षा नीति में सुधार करे। लाभ इससे तब होगा।

इन विद्यार्थियों के सिलसिले में दुर्भाग्य ऐसा है कि राजस्थान सरकार और मन्त्री, और मन्त्रियों में भी शिक्षा मन्त्री, उनका सम्बन्ध विद्यार्थी जगत से नहीं है। इनमें इनफीरियोरिटी कम्पलेक्स है। ये विद्यार्थियों के बीच में जाकर खड़े नहीं हो सकते। ऐसा लगता है और निश्चित रूप से कहता हूं कि इनमें क्राइसिस ऑफ टेलेन्ट आ गया है, इनमें बैंकरप्टसी ऑफ इन्टेलेक्ट है। मन्त्री उनके बीच जाकर खड़े नहीं हो सकते। उनसे बात नहीं कर सकते। शर्म उनको लगती है। यह शर्म की इनफीरियोरिटी कम्पलेक्स की बात मैं जसराजजी में ही समझता था मुल्कराजजी और समर्थलालजी में हो सकती है, जो खरीदे गये हैं, उनमें हो सकती है। पर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर में भी हो सकती है, यह ताज्जुब है मुझे। कैबिनेट मिनिस्टर में एक में हिम्मत नहीं है कि इन्टेलेक्चुअल लेवल पर आकर उनसे बात कर सकें।

श्री नत्थीसिंह : बृजसुन्दरजी में है। वे आ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तो अभी भी विद्यार्थी बाहर खड़े हैं। जावें तो अच्छा ही है।

श्री अध्यक्ष : एक दम हिम्मत मत बढ़ाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बारे में बड़ा भारी असन्तोष है। स्कॉलरशिप के मामलों में असन्तोष है। इसके बारे में अगर आप यह समझते हैं कि थोड़े दिनों में यह अपने आप ठीक हो जावेगा, कुछ बातें कह देंगे, अखबारों में छप जावेंगी, विद्यार्थी घर चले जावेंगे और सब शान्त हो जावेगा, यह नजरिया आपका गलत है। आप इस असन्तोष के मूल में जाइये। मूल में जो सवाल पैदा होते हैं उनसे असन्तोष पैदा होता है। उसका निराकरण राजस्थान सरकार नहीं करेगी, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप का मामला है, बाहर भेजने का मामला है, हायर एजूकेशन में एडमीशन और बाद में एम्प्लॉयमेन्ट का मामला है। इसमें हमारे देश के और राजस्थान के विद्यार्थी मुब्तिला हैं, इन सारे मौलिक प्रश्नों में जब तक आप जाकर इनका उचित हल नहीं निकालेंगे, तब तक यह आन्दोलन समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा।

तो मेरा निवेदन करना है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का कानून है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कानून है इनके विजिटर महोदय हैं, चान्सलर महोदय हैं, उनको निवेदन किया जावे कि राजस्थान की सरकार चाहती है कि वे इन्सपेक्शन बोर्ड कायम करें राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में। चान्सलर बैठ कर यह देखें कि इस असन्तोष के मूल में क्या है और उसका क्या हल निकाला जा सकता है? इन्सपेक्शन रिपोर्ट बनाई जा सकती है, विजिटर और चान्सलर को यह अधिकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया हुआ है। कानून में अधिकार दिया है। उनके सम्बन्ध में वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसी आशा है।

एक बात और। यहां इनफोर्मल कन्स-ल्टेटिव कमेटी शिक्षा के सम्बन्ध में सदन की तरफ से बनाई जानी चाहिये, जो समय-समय पर उठने वाले सवालों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे सके। विश्वविद्यालयों के सवाल, शिक्षा के सवाल। पार्टीबाजी के सवाल नहीं राजस्थान सरकार और शिक्षा मन्त्री को इसकी घोषणा करनी चाहिये। सारे तबके के लोगों की कमेटी शिक्षा जगत की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के बाद सही समाधा निकालेगी। हमें शिक्षा जगत की समस्याओं को बार-बार उठाने में मेडिकल कॉलेजों, जोधपुर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, महाराजा कॉलेज आदि के बारे में बार-बार सवाल खड़े करने में आनन्द नहीं आता है। हम दुखी होते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार इस नजरिये से विचार करके इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो हड़ताल हो रही है यह विद्यार्थियों की वह तो होनी है, क्योंकि जब तक लाखों घरों को उजाड़ कर शराब की आमदनी से शिक्षा चलाई जाती रहेगी तब तक इसके अलावा और परिणाम आना नहीं है और यही परिणाम आना था। फिर राजनैतिक कारणों से इतने विश्व-विद्यालय बनाये थे, अन्य कई कारणों में से यह भी इसका एक कारण है। होना यह चाहिये था कि राजस्थान में एक ही विश्व-विद्यालय रहता और बाकी सब कॉलेज इसके अन्तर्गत रहते।

अलग-अलग विश्वविद्यालयों के परिणाम आप मेडिकल कॉलेजों में भी देख लीजिये आधे से अधिक लड़के दोनों यूनिवर्सिटी के जोधपुर और उदयपुर के हैं, जो १५ लाख को कवर करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जो एक करोड़ नब्बे लाख को कवर करता है उसके आधे से भी कम है इसलिये असन्तोष होना स्वाभाविक है। डाइरेक्टर, कॉलेज में नियुक्त होते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव है कि विश्वविद्यालय कम कर दिये जावें ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे दो सुझाव है। पहला तो यह कि शराब की आमदनी से लाखों लोगों के घर उजाड़ कर लाई गई आमदनी से शिक्षा को न चलावें। अगर चलावेंगे तो भयंकर परिणाम आने ही वाला है। दूसरा यह है कि एक विश्वविद्यालय रखें। तीसरा यह है कि आप टैस्ट रखें जैसे अस्थायी नियुक्तियों के बारे में निवेदन कर रहा था अस्थायी नियुक्तियों में भी दोनों विश्वविद्यालयों से लड़के ज्यादा लिये जाते हैं। लेकिन राजस्थान विश्व-विद्यालय से ज्यादा सैकण्ड क्लास में पास होते हैं और जोधपुर, उदयपुर के लड़के भाग्यशाली हैं कि फर्स्ट क्लास आते हैं, वहां द्वितीय श्रेणी में कोई पास नहीं होता। नियुक्तियां देने को होती है तो यहां के लड़कों को नहीं लेते। दोनों विश्वविद्यालयों के ही

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अधिक लिये जाते हैं। इसलिये पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि आप यह देखें कि विश्वविद्यालय कैसे एक हो सकते हैं।

फिर अभी तो यह शुरूआत है, धीरे-धीरे बेकारी बढ़ने वाली है। गांधी की बात पर ध्यान दे सकें तो कृपा करके दें। बुनियादी तालीम शुरू हो। श्रम और बुद्धि का समन्वय हो। जब तक आप समन्वय नहीं बिठावेंगे, बुद्धि और श्रम को अलग-अलग रखेंगे तब तक यह विषमता तो और भी भयंकर रूप से बढ़ने वाली है। इसलिये इस ओर ध्यान दीजियेगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, हर साल हम देखते हैं इन दिनों विद्यार्थियों की हड़ताल होती है। पर शिक्षा मन्त्रीजी इसको कभी भी सुलझाने और समझने की कोशिश नहीं करते। दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा मन्त्रालय भी वापिस बरकतुल्लाजी के पास पहुँच गया है। ये क्या सोचते हैं कि हर साल यह मामला इन्हीं दिनों चलता है तो वे हर साल इसको लम्बा खींचते हैं दीवाली तक। सोचते हैं कि इसके बाद विद्यार्थी थक जावेंगे और सोचेंगे कि इम्तहान नजदीक आवेंगे तो चलो अब पढ़ाई मे लगो। पर इससे लाभ नहीं होगा। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। इसके लिये इसके मूल को समझना ही होगा।

आज की शिक्षा प्रणाली दूषित है, यह अकर्मण्य बनाती है। आज विद्यार्थी दिशाशून्य भटक रहा है। कुछ माननीय सदस्य ऐसा कह रहे थे, मैं कहता हूं इसमें दोष विद्यार्थियों का नहीं है, वे दिशाहीन भी नहीं हैं। दिशाहीन यह सरकार और आज के शिक्षा जगत के कर्णधार है। इन्होंने न कोई दिशा शिक्षा को न देश को दी। इसलिये विद्यार्थी तो शून्य में भटकता ही रहेगा।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने में हिम्मत पैदा करो कि सही बात सुन सको। आप उनकी बात तो सुनो। आपके साथ हम चलेंगे। आपको किसी तरह का भय और असुरक्षा नहीं है। आप अपनी बात उनसे डंके की चोट कहिये और उनकी सुनिये। आप उनका सामना कर सकें तो अच्छी बात है।

कई मुझ से मिल गये। मथुरादासजी, शिवचरणजी के सामने मिल गये। विद्यार्थी मिलते रहेंगे। हड़तालें चलती रहेंगी। समाप्त हो जावेंगी। अगली बार फिर हड़ताल। अध्यक्ष महोदय, डागा साहब जो पीछे की सीट पर बैठे रहते है कभी-कभी सही बात कहते हैं। वह कह रहे थे कि यह विद्रोह है इसे समझें। पर आप दबा नहीं सके, दबा नहीं सकते। मूल में कारण है उसको मिटावें वरना विद्रोह तो यह ऐसा भड़केगा कि जो वहां से लेकर वहां तक सारी कुर्सियों को ढेर कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों की पूरी बात सुनी जाये और शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की बात पर विचार करें। नौजवान विद्रोह का शिकार इसलिए है कि आप उनकी सही तौर से बात सुनना पसन्द नहीं करते और जो बातें आप सही समझते हैं उनको आप कहते नहीं। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने बड़े परिवर्तन देखे लेकिन राजस्थान घसीटता ही रहा। जहां भी संविद सरकार आई उन्होंने विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक बात डाली कि शिक्षा नीति में विदेशी भाषा

(श्री नत्थीसिंह)

के भार को दूर करो। लेकिन यहां तो वही विसीपिटी नीति चालू है, अंग्रेजी तो चलती रहेगी। बिहार में किया, यू० पी० में किया लेकिन आपकी हुकूमत में कुछ हुकम के गुलाम बैठे हैं यह राज्यपाल उन्होंने इस नीति को मिटाया.......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर !

श्री नत्थीसिंह : आप विद्यार्थियों के मन की तड़पन समझो और सही तौर से शिक्षा की नीति में आमूलचूल परिवर्तन करो। यूनिवर्सिटी में आॅटोनोमी का ढोंग है। मेरा तो निजी अनुभव है कि आप आॅटोनोमस कहते हैं और जब मर्जी आती है उसका गला घोंट देते हैं। कांग्रेस के राज्य में और आॅटोनोमस ? जहां सुखाड़ियाजी की तानाशाही कायम रहनी चाहिए, यहां एक उद्देश्य है वहां आॅटोनोमी कैसे आयेगी ? केवल आपके मन के माफिक काम हो उसी का नाम आॅटोनोमस रख छोड़ा है। जहां नौजवानों में असन्तोष हो रहा है और उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है वहां सही आॅटोनोमी कैसे हो इस पर इस सदन में विचार होना चाहिये। इससे आप कतरायें नहीं और सदन में विचार करें और आप अपने विचार विद्यार्थियों के सामने दें। हम आपके पीछे चलते हैं और अध्यक्ष महोदय, आपको अनुभव है कि जब हम साथ चलते हैं तो आपको कोई डर नहीं रहना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, जब सरकारी कर्मचारियों का जुलूस गवर्नमेन्ट होस्टल पर आपसे मिला तो आप हमारे साथ थे, १५ हजार लोगों के प्रदर्शन को आपने गवर्नमेन्ट होस्टल मे देखा था और कितनी शान्ति से कर्मचारियों ने अपनी बातें आपसे कही थीं उससे भी ज्यादा शान्ति से विद्यार्थी कहेंगे। तो आप यह हिम्मत क्यों नहीं करते हैं कि विद्यार्थी लोग हमारे सामने खड़े हैं उनसे बातें करें और ऐसी कौनसी बात है कि मन्त्री महोदय यहां से उतर कर उनके पास नहीं जा सकते जबकि आप में वह हिम्मत थी और आपने कितनी धैर्य से उन कर्मचारियों की मांगों को सुना....

श्री अध्यक्ष : मैं फूल कर कुप्पा हो गया हूं।

श्री नत्थीसिंह : अतः मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को उनके पास जाना चाहिये और उनकी बातों को सुनना चाहिये और वे शांतिपूर्वक अपनी बातों को सुनाने ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता स्वतन्त्र पार्टी !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कोई विशेष नहीं निवेदन करना है। जो यूनिवर्सिटी और काॅलेजेज के अन्दर छात्रों में असंतोष है यह देशव्यापी समस्या है, कन्ट्रीवाइड फिनोमिना है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं और न मुझे इतनी विस्तृत जानकारी है कि उनके कारणों में मैं जाऊं। लेकिन इन हड़तालों से हमारे जनतन्त्र के कोमल इन्स्ट्रूमेन्ट के ऊपर कितना आघात पहुँचता है और कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है यह हर एक जिम्मेदार व्यक्ति इस देश में अनुभव कर सकता है। जहां तक कि मेरे व्यक्तिगत और मेरे दल का सवाल है इस खास समस्या को लेकर सरकार के प्रति एक हद तक मेरी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि सरकार

Page No. 86

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के हाथ हम मजबूत करें। हम यह भी चाहते हैं कि सरकार को अनुदार नीति नहीं अपनानी चाहिये। छोटी-मोटी भूलें हो सकती हैं छात्रों के द्वारा जो उदारता के साथ हल हो सकती हैं। मुझे इस बात का हर्ष है कि दूसरे कई राज्यों के बनिस्बत राजस्थान में यह रोग अभी तक इतना विस्तृत नहीं हो पाया है और अगर सरकार चेष्टा करे तो इस चीज को 'निप इन दी बर्ड' की तरह सफलतापूर्वक कर सकेगी। मैंने बहुतसी विरोधी दल के सदस्यों की बातें सुनीं। मेरी समझ में कोई हानि नहीं होगी और यूनिवर्सिटी की ऑटोनामी में भी कोई फर्क नहीं आता यदि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज की इस सदन के अन्दर डिसकस हो, बहस हो उस पर। बहुतसारे सदस्यों के द्वारा कन्स्ट्रक्टिव सुझाव भी आ सकते हैं और सरकार को आखिरकार इससे लाभ ही है। इसमें आपत्ति क्या है? इस रिपोर्ट पर बहस नहीं होना मेरे ख्याल में एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनको छोटी-मोटी कोई सैद्धान्तिक आपत्ति हो, तो आखिरकार यह सदन का अधिकार है इस रिपोर्ट के ऊपर विचार करे और विचार करके सरकार को सुझाव दे और सरकार को गम्भीरतापूर्वक उसके सुझावों पर विचार करना चाहिये। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री !

(१.५८ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल सूचना मात्र देना चाहता हूं। आज आश्चर्य की सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री और उप-शिक्षा मन्त्रीजी दोनों ही सदन में बैठें हैं। अगर दो-तीन हजार विद्यार्थी हमारे सदन के बाहर जिस प्रकार के नारे लगा रहे हैं उनको सुनें लेकिन अभी तक हमारे शिक्षा मन्त्री और उप-शिक्षा मन्त्रीजी के कानों में उनकी आवाज पहुँची ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम के द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि उनको अपनी आंखों को बन्द नहीं करना चाहिये। उनको मालूम होना चाहिये कि बाहर विद्यार्थी हैं और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन् ४२ में जब हम भी विद्यार्थी थे तो एक आन्दोलन यहां हुआ था। वह तो गुलामी का जमाना था। आज तो हमारा देश आजाद हो गया है और जनता के चुने हुए सारे मन्त्री महोदय हैं जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जिनके कन्धों पर उत्तरदायित्व है कि किस प्रकार से उन विद्यार्थियों की मांगों को सुनें और उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यह उनका कर्तव्य होना चाहिये। लेकिन आज मन्त्री महोदय किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को भूले हुए हैं। मैं उस गुलामी के जमाने की बात बताता हूं। जब विद्यार्थियों में थोड़ा सा असन्तोष हुआ और उन्होंने कॉलेज के एक-दो फाटक तोड़ दिये तो यहां के प्राइम मिनिस्टर मिर्जा इस्माइल थे वह स्वयं मोटर लेकर विद्यार्थियों के बीच में आ गये। उनको डर नहीं था कि विद्यार्थी मेरी कार के कांच तोड़ देंगे। उनको डर नहीं था कि उनका कोई नुक्सान हो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जायेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है है कि हमारे शिक्षा मन्त्री जानते हैं कि करीब ३ हजार विद्यार्थी बाहर बैठे हुए हैं और उनको सदन के माननीय सदस्य विश्वास और आश्वासन दिलाते हैं कि उनका किसी प्रकार का नुक्सान होने वाला नहीं है और विद्यार्थी तबका केवल अपनी मांगों को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, सहानुभूतिपूर्वक उनको समझना चाहिये और आप यह क्यों भूल जाते हैं कि जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं उनके ऊपर आपके उत्तराधिकारी यह विद्यार्थी तबका बनने वाला है। आपको सारी बातों को सोचना चाहिये और निश्चयात्मक रूप से मान कर चलें कि आप के राज्य में राज्य कर्मचारी असन्तोषी हैं, आपके राज्य में मजदूर असन्तोषी हैं, आपके राज्य में विद्यार्थी असन्तोषी हैं। विद्यार्थियों में असंतोष नाम की चीज नहीं आनी चाहिये। इसलिये मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम के द्वारा आगे प्रगति करनी चाहिये वहां आप यह क्यों भूल जाते हैं कि मार्च के महीने में विद्यार्थियों के इम्तिहान होने जा रहे हैं, यदि इस समय पन्द्रह-बीस दिन हड़ताल में चले जाते हैं तो उससे विद्यार्थियों का कितना नुक्सान होता है और अगर वह असफल होते हैं तो वह नुक्सान किसका होता है। वह उन अभिभावकों का होता है जो किसी प्रकार से अपना पेट काट कर रुपया जुटाते हैं। इसलिये अगर विद्यार्थियों का पन्द्रह-बीस दिन का अमूल्य समय व्यर्थ चला जाता है तो उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? मैं समझता हूं कि उसका उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है। अगर उनकी उचित मांगों को राज्य सरकार मान लेती है तो फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि उनको हड़ताल करनी पड़े। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी भी वक्त है, आप विद्यार्थियों के सामने जायं, विद्यार्थी आपकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं, वे आपको कोई नुक्सान पहुँचाने वाले नहीं हैं, वे शांतिपूर्वक वहां खड़े हैं। आप जाकर उनको इस प्रकार का आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय!

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बाढ़दार साहब, माननीय नत्थीसिंहजी साहब और माननीय सतीशचन्द्रजी साहब का जब मैंने वक्तव्य सुना तो मैंने मन में कहा कि दुनियां कहां की कहां बदल गई है। मैंने यह भी समझा कि शायद वह जमाना भूल गये जब सतीशचन्द्रजी स्कूल में थे और मैं यूनियन का प्रेसीडेंट था और उस समय मारवाड़ स्टूडेन्ट यूनियन का मूवमेंट चलाया था। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं था तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट फेडरेशन में था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन?

श्री बरकतुल्ला खां : वह आपका गुलाम!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो खण्डहर बता रहे हैं इमारत बुलन्द थी।

श्री बरकतुल्ला खां : आज आप बहादुरी से कह रहे थे कि मैं स्टूडेन्टों में जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं है। मुझे वह जमाना याद आ गया जब स्टूडेन्ट था उस जमाने में आई. एन. ए. का झण्डा हाथ में लेकर मैं यूनिवर्सिटी में गया था, उस वक्त हम पर घोड़े चलाये गये थे, हमको पीटा भी गया था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी लायक हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : तो आप जो बहादुरी दिखा रहे हैं वह मुझे न दिखा कर किसी और को दिखाते जिसने स्टूडेन्ट मूवमैंट में भाग न लिया हो तो बात उचित रहती ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप उन बातों को भूल गये हैं इसलिए याद दिला रहे हैं। आप उन बातों को याद कीजिये और स्टूडेंट के सामने जाइये । आप नहीं जा रहे हैं इसका मतलब है कि आप उन बातों को भूल गये हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके साथ-साथ स्टूडेन्ट के साथ हमदर्दी रखना, मैं समझता हूं, मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा फर्ज रहा है। मैं यह कहना नहीं चाहता क्योंकि कोई भी अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहना चाहता लेकिन जब शर्म दिलाते हैं तो घूंघट हटाना पड़ता है ..

श्री नत्थीसिंह : ठीक है, वह रिवाज गया।

श्री बरकतुल्ला खां : शर्म दिलाते हैं तो घूंघट हटाना पड़ता है । आपको मालूम होगा, जब मुझे शिक्षा मंत्री के नाते मालूम हुआ कि अलवर में स्ट्राइक हो रही है तो कलेक्टर और एस. पी. को इत्तला किये बिना ही मैं गया और स्टूडेंन्ट जहां थे वहां दो सौ स्टूडेंट्स से बात की है, उनको समझाया है और फैसला करके ही उठा हूं । लेकिन यह समझते हैं कि हर जुलूस को लेकर आने वाले जो लोग हैं उनका स्वागत करने का मिनिस्टर का काम है, तो मैं समझता हूं कि यह काम बड़ा मुश्किल है और यह काम ऐसे लोगों के सुपुर्द करना पड़ेगा जो दरबारदारी कर सकते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि यह जरूरी है कि जब-जब लोग यहां पर जुलूस लेकर आयें तो उनका स्वागत करने के लिए हम जायं, तो मैं समझता हूं कि जुलूस बढ़ सकते हैं लेकिन मुश्किलों को आसान करने का तरीका नहीं निकल सकता । मुश्किलों को आसान करने का तरीका जो प्रोफेसर केदार ने कहा और संतोशचन्द्रजी ने कहा- उसको मैं मानता हूं, हायर एजूकेशन के ऊपर इस हाउस में डिस्कशन होना चाहिए । मैं इसको मानता हूं कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी है वह सही है लेकिन हमारे कन्ट्री के कान्स्टीट्यूशन के अनुसार वह ऑटोनोमी इन द इन्ट्रेस्ट ऑफ द पीपुल है। हमने यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमी को रखा है लेकिन वह ऑटोनोमी इन द इन्ट्रेस्ट ऑफ पीपुल कितनी सर्व करती है-इसको समझना जरूरी है । मैं अर्ज कर दूं कि तीनों रजिस्ट्रार्स को यह हुक्म दे दिया गया है कि दो-दो सौ कॉपी रिपोर्ट की भेजें ताकि हम विधान सभा के मेम्बर्स को भेज सकें ।

श्री भैरोंसिंह : कब कहा ?

श्री बरकतुल्ला खां : काफी अर्सा हो गया, इसको कहे हुए ।

श्री भैरोंसिंह : कब कहा ? यह नहीं कि काफी अर्सा हो गया।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास ऑर्डर है ।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमान्जी, जब आप पहले मिनिस्टर थे तब भी आपने यही कहा था। और जो-जो भी मिनिस्टर रहे हैं वह इस बात को कहते आये हैं।

Page No. 89

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने उनसे डिमाण्ड किया है कि दो सौ कॉपीज प्रोवाइड की जायं ताकि हम सदन की मेज पर रख कर उसको विधान-सभा के मेम्बर्स में सरक्यूलेट कर सकें। इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि अगर प्रिन्टेड नहीं हैं, अगर वह यह जवाब दें कि प्रिन्टेड नहीं हैं तो उसको वह प्रिन्ट करवा कर भेजें....

श्री भैरोंसिह : यह बताइये कि यूनिवर्सिटी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि यह दोनों असेम्बली के सामने रेस्पान्सिबिल हैं, यह स्टेटुअरी ड्यूटी नहीं थी कि रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं कि कानूनी मुद्दा पेश न करें, मैं तो कहता हूं कि भैरोंसिहजी, मैं तो आपके हुक्म की तामील करता हूं...

श्री भैरोंसिह : यह हम पर अहसान नहीं कर रहे हैं। गलती आपने की है। आपने पेश क्यों नहीं की है यह रिपोर्ट ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो डिस्कस करना चाहता हूं। मैं कब कह रहा हूं कि डिस्कस नहीं करना चाहता।

श्री भैरोंसिह : हमारा एलीगेशन है कि आप उनसे क्यों डरते हैं। आप कानून के अन्तर्गत उनको पाबन्द कीजिये कि रिपोर्ट सदन की की मेज पर रखें। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी कृपा करके रिपोर्ट सदन की मेज पर रखे। आप कानून के अन्तर्गत उनको पाबन्द कीजिये। इस प्रकार की व्यवस्था है। नियमों में की है और कानून बनाये हैं उनमें की है।

श्री बरकतुल्ला खां : कानून अपनी जगह है और शिष्टाचार अपनी जगह है। और आप हमें बार-बार सबक देते हैं कि इस बेन्च पर बैठने वालों को शिष्टाचार निभाना चाहिए। आपका सबक मान कर हम शिष्टाचार निभा रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : शिष्टाचार का बहाना बना कर आप बचना चाहते हैं। आप यह मंजूर करिये कि हम कमजोर हैं और यूनिवर्सिटी में हम ज्यादती करते हैं उसके कारण से यूनिवर्सिटी पर दबाव नहीं डाल सकते। आप यह मंजूर करिये।

श्री दौलतराम सारण : यह शिष्टाचार नहीं निभा रहे है, आप अनुत्तरदायित्व प्रकट कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : सदन की यह मन्शा है, सदन यह चाहता है तो मैं आपको वायदा देता हूं कि नेक्स्ट टाइम पर जब सदन मिलेगा तब तक अगर कॉपीज नहीं मिलेंगी तो जबर्दस्ती छपवा करके अपने खर्च से या उनके खर्च से सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आप तब पेश करेंगे जब यह डिपार्टमेंट पर्मानेन्टली आपके पास होगा। यह थोड़े दिन के लिए है, फिर कोई और आ जायेंगे और बरकतुल्लाजी ने जो आश्वासन दिया है वह अफ्रीका में एम्बेसेडर बन कर चले जायेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट होगी तो उसको भी यह आश्वासन पूरा करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिह : वह तो करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : यह समझने की बात है कि डेमोक्रेसी में जो आश्वासन दिये जाते हैं वह पूरे होते हैं। तो जो बात मैं कह रहा था वह यह कह रहा था कि हायर एजूकेशन के बारे में डिस्कशन करने में मुझे एतराज नहीं है। इसके अलावा यह कहें कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज को मर्ज करके एक बना दीजिये, तो मैं समझता हूं कि इनके डिफरेन्स को समझ लेना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है मोर और लेस वह एक्जामिनेशन बॉडी है। जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है, उसका जो पैटर्न एक्सेप्ट किया गया है वह है कि उसका रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी का पैटर्न होगा। उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है, उसका एग्रीकल्चरल बायस्ड रखते हुए भी उसका रेजिडेन्शियल पैटर्न स्वीकार किया है। यह अलग-अलग पैटर्न्स हैं और इनको एक करके पैटर्न्स पर रेजीमेंटेशन करने की मन्शा नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी है उसको ऐसा मौका होना चाहिए, ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह छोटे-मोटे एक्सपेरीमेंट करे। यह अधिकार वहां नहीं हो सकता जहां विद्यार्थी ज्यादा हों। तो यूनिवर्सिटी एक्सपेरीमेंट कर सके, उसके लिए एक्सपेरीमेंट करना जरूरी है, एक्सपेरीमेंट प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए-उसके लिए पहले यह सेटिसफाई करना पड़ता है कि एक्सपेरीमेंट करेक्ट दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जहां तक यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में आपस में मनमुटाव हैं। वैसे मनमुटाव सभी जगह होते हैं, एक पार्टी के सदस्यों के अन्दर भी मनमुटाव होते हैं, इधर बैठने वालों में मनमुटाव हैं और उधर बैठने वालों में भी मनमुटाव हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज में भी मनमुटाव हैं। यह मनमुटाव देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स अपनी लोकल पॉलिटिक्स चलायें और लड़ाई करें, एक-दूसरे को नुकसान पहुँचायें, और यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा गिरायें या यूनिवर्सिटी की एजूकेशन में गड़बड़ी करायें—तो यकीनी तौर पर उससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती है। यह आपसी झगड़े मिटने चाहिएं। इसके लिए जो भी कदम हम उठा सकते हैं वह उठायेंगे। स्टूडेंट्स के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं हो—इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि स्टूडेन्ट के साथ........

श्री भैरोंसिह : सरकार के कहने से जोधपुर के कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक वापिस ली, उसके बाद में चार स्टूडेंट्स का रेस्टीकेशन हो गया, उसके लिए आपने क्या किया ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह बात न पूछें। आपने पूछा है तो बता दूं कि सरकार भूल कर रही है, वाइस-चान्सलर से बात कर रहे हैं, मैं बात कह रहा हूं, लेकिन यह न करके यह बात कह देना कि उनकी बात को सुने बिना रेस्टीकेशन रद्द कर दिया जाय तो यह एकतरफा बात होगी। डिसीप्लीन रखने के लिए दोनों साइड को सुनना होगा और रास्ता निकालना होगा, और वह रास्ता ऐसा नहीं होगा जो हार और जीत का हो, वह रास्ता ऐसा होगा जिससे शिक्षा प्रणाली को ताकत मिले, कमजोरी न मिले। एक मर्तबा मैं फिर यकीन दिला दूं हाउस को उपाध्यक्ष महोदय, कि यूनिवर्सिटी के बारे में, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब उचित समझें कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न देवीदत्तजी गाड़िया ने उठाया था, उसका मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया, मेडिकल कॉलेज के एडमीशन को लेकर बाहर जितने विद्यार्थी आये हुए हैं उन्होंने एक ५ लाइन का छोटासा पत्र मेरे पास भेजा है, अगर अनुमति हो तो उसे मैं पढ़कर सुना दूं, उस पत्र के साथ उन्होंने एक कापी भेजी है, उसमें बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में जिनको एड्मीशन दिया गया है, उनमें २२ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जाति का गलत प्रमाण-पत्र दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग मामला है। इसको अन्य तरीके से ला सकते हैं। अभी यह महत्त्वपूर्ण विषय है, इसलिये इसके साथ इसकी बहस नहीं हो सकती। इसका इन्जीनियरिंग से संबंध है, मेडिकल के मामले का मेडिकल मंत्री जवाब देंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। लोकवाणी के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह !

श्री मस्थीसिंह : राजस्थान में ५ कृषि कॉलेज हैं, उनकी हड़ताल हो रही है और विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में कृषि मंत्रीजी कहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नोटिस में लाया हूं, सदन में वे इस सम्बन्ध में एक-दो दिन में वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री भैरोंसिंह !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लोकवाणी पत्र के सम्बन्ध में मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियमावली के नियम १३१ के अन्तर्गत श्रम मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री भैरोंसिंह : पहले मैं बोल लूं या बाद में ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लें, अच्छा रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले आप अपनी बात रख दें ताकि उत्तर में वे सब मुद्दे आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ४ अप्रेल, १९६८ को इसी विधान सभा में एक प्रश्न उपस्थित किया गया था और उसका उत्तर देते हुए सरकार के प्रतिनिधि ने सरकार की ओर से सदन को विश्वास दिलाया था कि गृह सचिव, विधि सचिव और श्रम आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करके देखेंगे कि इन मामलों में सरकार क्या कर सकती है। उस समय यह आश्वासन दिया था कि ये अधिकारी शीघ्र ही बैठकर सारी पत्रावली का अवलोकन कर सरकार को सलाह देंगे और उस सलाह को उसी रूप में स्वीकार करके सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करेगी। पर दुर्भाग्य की बात है कि गत ४ अप्रेल से आज दिन तक सरकार ने उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की हो, ऐसा नहीं लगता है। यह जानकारी मिली है कि कुछ

Page No. 92

(श्री भैरोंसिंह)

समय पहले सरकार को इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है पर उस पर अमल किया जायगा, सरकार उस पर विचार कर रही है यह प्रश्न इसी प्रकार चलता रहेगा कि सरकार इसका कभी निबटारा नहीं कर सकती, ऐसी नीयत मुझे सरकार की लगती है।

लोकवाणी का प्रश्न जिस समय प्रस्तुत किया गया, श्रम मंत्री ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा था कि सारे मुद्दों पर सरकार एक्शन लेगी। पर मंत्री महोदय सदन में कुछ कहते हैं और वह सरकार जिनके मंत्री महोदय हेड हैं, वह कुछ और ही काम करती है।

राजस्थान के न्यायालय द्वारा असेसमेंट ऑफ एसेट्स और कुर्की के आदेश निकाले गये और राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को लिखा गया कि लोकवाणी को जितने एडवरटाइजमेंट दिये गये, या जितने एडवरटाइजमेंट दिये जा रहे हैं, उनकी जितनी रकम देय है, उस रकम को लोकवाणी को न देकर सारी की सारी रकम कोर्ट में जमा कराई जाय। इस तरह का नोटिस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में चला गया पर कोर्ट को यह मालूम नहीं कि एक नटवरलाल के खिलाफ सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में गया पर उस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में दूसरा नटवरलाल बैठा हुआ है, वह नोटिस की तामील नहीं होने देगा। जो सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ राजस्थान विधान सभा में कितने ही आरोप लगे। अभी तीन चार-दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई कि उनको ६४ में चार्ज-शीट दी गई, उसका आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया है। राजस्थान में केवल यही एक अधिकारी है जिसको यह प्रिविलेज मिला हुआ है, यह प्रिविलेज और किसी अधिकारी को राजस्थान में नहीं मिल रहा है। यह प्रिविलेज उनको इसलिये मिला हुआ है कि उनमें विद्या है, चाल है कि किसी तरह से अफसरों की चापलूसी करें, कोई भी मन्त्री बनता है तो किस प्रकार उनके फोटोज निकालें, किस प्रकार उनके समाचार प्रकाशित करवाये जायें इस बारे में वे बहुतसी चालें जानते हैं। इस कला के अन्तर्गत चारजेज होने के अन्तर्गत इतने सारे चारजेज होने के बावजूद भी वे उसी विभाग में जम गये। उनको नोटिस दिया गया तो उनको चाहिये था कि वे उन विभागों को सूचना देते कि जिनके द्वारा लोकवाणी को एडवरटाइजमेंट दिये गये हैं, यह सारा तस्दीक का काम सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का रहता है। मैं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त यह सूचना सरकार को, इस सदन को देता हूं कि इस लोकवाणी के मालिक श्री सुधाकर शास्त्री और सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के उच्च अधिकारी ये दोनों मिलकर फोर्ज्ड एफेडेविट तैयार करवा रहे हैं और कुछ फोर्ज्ड एफेडेविट पेश भी हो गये हैं। इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो डिक्री आई है वह एजीक्यूट नहीं होनी चाहिये। यह लोकवाणी प्रेस, राष्ट्रवाणी, चेतना, ये किस स्थिति में हैं, एक ही हैं ये तीनों, यह उल्लेख आ चुका है पर राजस्थान की सरकार ने जिलाधीश से इस सम्बन्ध में जानकारी करनी चाही कि लोकवाणी, राष्ट्रवाणी और चेतना प्रेस अलग-अलग के नाम से बिजनेस करते हैं, वास्तव में ये तीनों एक ही हैं या अलग-अलग हैं, यह सूचना

(श्री भैरोंसिंह)

कलेक्टर से चाही गई। कलेक्टर ने सी० ग्राई० डी० को लिखा। सी० आई० डी० ने अपनी जांच के बाद जिलाधीश को सूचना दे दी कि तीनों एक ही हैं, लोगों को धोखा देने के लिये, मजदूरों का रुपया हजम करने के लिये, सरकार से कर्जा लेने के लिये और लोकवाणी पर जितना लोगों का कर्जा है, उन कर्जदारों को ब्लफ करने के लिये यह अलग-अलग तीन प्रेसेज के नाम से सोसायटी चल रही है। पर कलेक्टर महोदय भी इस सम्बन्ध में कोई एक्शन ले सकें, ऐसी स्थिति में नहीं हैं।

एक ही नहीं अनेकों फ्रॉड हैं, लोकवाणी के नाम से पावर लगा हुआ है, चेतना और राष्ट्रवाणी में उसी पावर से काम लिया जाता है, यह इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है। यह कानून है कि जिस व्यक्ति के नाम पावर का कनेक्शन लगा हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम का मीटर लगा हुआ है, वही उस पावर को उपभोग कर सकता है, पर इन नटवरलाल को राजस्थान की हुकूमत प्रोसीक्यूट करने को तैयार नहीं। लोकवाणी के नाम का पावर कनेक्शन लगा हुआ है, मीटर लोकवाणी के नाम लगा हुआ है पर उस पावर का उपयोग राष्ट्रवाणी और चेतना के काम के लिये किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दखल नहीं कर सकता।

मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड का सवाल है, मजदूरों ने जो प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम जमा कराई है, मजदूरों को उस रकम के दिलाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के लेबर डिपार्टमेन्ट की है, उस जिम्मेदारी को भी यह सरकार निभा नहीं पाई है। ४२ हजार रुपया मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड का है, उसके सम्बन्ध में अवार्ड मिला है, उस रकम को जब्त करके मजदूरों को भुगतान करने की स्थिति में सरकार है। सरकार ने लोकवाणी को कर्जा दिया है, मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के रुपये का भुगतान कराने की सरकार की अपनी फर्स्ट रैस्पोन्सिबिलिटी है पर सरकार इसे सैकिण्ड लायेबिलिटी मान कर चल रही है, इसका मतलब यह है कि लोकवाणी में जो कर्जा सरकार का चढ़ा हुआ है वह पहले अपने कर्जे की रकम को लोकवाणी की इन्कम में से लोकवाणी के एसेट्स से पहले वसूल करना चाहती है, उसमें से मजदूरों के प्रोविडेन्ट फन्ड का सरकार भुगतान नहीं करना चाहती। सरकार के इस इरादे के मैं खिलाफ हूं कि मजदूरों के प्रोविडेन्ट फन्ड के पैसे का भुगतान बाद में किया जाय और सरकार का जो लकवाणी में कर्जा है, उसको पहले वसूल किया जाय। सरकार तो लोकवाणी से अपना कर्जा वसूल कर लेगी पर जिन मजदूरों ने सरकार के भरोसे पर, प्रोविडेन्ट फण्ड के नाम पर पैसा जमा कराया है, उस भरोसे को पूरा करने के लिये मजदूरों को प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा पहले मिल जाय इस प्रकार की कोई बात सरकार नहीं करती है।

लोकवाणी के प्रोप्राईटर को अभियुक्त मान कर कोर्ट ने उस पर ३०० रुपये का जुर्माना किया और उस फैसले में लिखा कि सुधाकर शास्त्री सबसे अधिक विवादास्पद व्यक्ति है, वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। पर सरकार के सामने वह विश्वसनीय है और राज्य सरकार उसका प्रोसीक्यूशन करवा सके इस स्थिति में नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट को आप

Page No. 94

(श्री भैरोंसिंह)

अच्छी तरह से देखें, इस एक्ट के मातहत यह प्रावधान है कि कोई भी रजिस्टर्ड सोसायटी किसी दूसरी सोसायटी के नाम अपने असेट्स ट्रान्सफर करती है तो पहले उस सोसायटी को डिजोल्व करना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सम्बन्ध में नया निर्माण करना पड़ेगा, फिर दूसरी सोसायटी बनेगी। पर सुधाकर शास्त्री ने रजिस्ट्रेशन एक्ट के इन प्रोविजन्स का वायोलेशन करके नई सोसायटी बना ली और उस सोसायटी के असेट्स को दूसरी सोसायटी के नाम ट्रान्सफर कर दिया और मजदूरों के पैसे को हजम करने के लिये, लोगों के पैसे को हजम करने के लिये, लोगों को और मजदूरों को धोखा देने के लिये यह सारी कार्यवाही की। कितनी बड़ी धोखेबाजी है, इसके प्रमाण में एक पत्र मैं सदन में रखूंगा। जो डिक्लेरेशन का मामला लोकवाणी को ले कर चल रहा था, ६८ में इसके चुनाव होने बाकी हैं, लोकवाणी खत्म नहीं हुई है पर सोसायटी के मंत्री ने फार्म पर डिक्लेरेशन में लिखा है :

Form of Declaration

Please tell whether the declaration is in respect of a newspaper—yes. An existing newspaper changed a printing press.

अब यह क्यों किया, इसके पीछे राज है, व्यवस्था यह है कि यदि एक अखबार एक बार चल गया और उसके नाम से दूसरा डिक्लेरेशन लेना चाहे तो नहीं मिल सकता, लोकवाणी के नाम इस प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं मिल सकता था पर लोकवाणी के असेट्स को दूसरी सोसायटी के नाम चेन्ज करने की यह धोखा देने की कार्यवाही की इस प्रकार गलत डिक्लेरेशन दिया।

श्रम मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे, आपकी सरकार तो इस सदन के बनाये हुए नियमों की भी अवहेलना करती है। माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से जीत कर आये हैं वे एक कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने एडवरटाइजमेंट्स की व्यवस्था सम्बन्धी एक नियमावली सरकार को पेश की कि एडवरटाइजमेंट्स किस प्रकार दिये जायं। उसमें यह व्यवस्था है कि कोई नया अखबार चालू होता है तो ६ महीने तक उसके प्रकाशन को स्टडी किया जाय, कि किस प्रकार का मेटीरियल वह देता है, कैसा चलता है, पोपुलर कैसा है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर ६ महीने बाद एडवरटाइजमेंट दिये जायं, पर सरकार ने इसकी चिन्ता नहीं की। सरकार को तो यह चिन्ता थी कि लोकवाणी को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाय। फरवरी, ६७ में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, मार्च में एडवरटाइजमेंट के लिये एप्लीकेशन दी और अप्रेल में लोकवाणी को एडवरटाइजमेंट दे दिये गये। इससे स्पष्ट लगता है कि राजस्थान की हुकूमत लोकवाणी के साथ रह कर, लोकवाणी को प्रोटेक्शन दे कर उसकी मदद करना चाहती है, जिसने मजदूरों के साथ धोखा किया है, सरकारी अफसरों को धोखा दे कर लोकवाणी के असेट्स को हजम कर लिया है, मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसों को हजम करने के लिए इतना बड़ा धोखा किया है। राजस्थान की हुकूमत उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, उस मामले में देरी करके जो कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ

(श्री भैरोंसिंह)

होनी चाहिये, उससे लोकवाणी को बचा कर सारी जनता को धोखा देना चाहती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो यह कह दे सरकार कि लोकवाणी का मालिक राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का पुत्र है। मुख्य मन्त्री के पुत्र मजदूरों के पैसों को खा जाय, मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसों को हजम करने के लिये इतनी बड़ी धोखाधड़ी करे, ए. डी. एम. के सामने झूठे बयान वह देता है, कोर्ट जिसको यह सर्टिफिकेट देता है कि यह अविश्वसनीय व्यक्ति है, और सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती क्योंकि हमारे मंत्रियों की सबकी यह क्वालिफिकेशन है, जैसी कि सुधाकर की ४२० की क्वालिफिकेशन है, इसलिये सरकार जानती है कि यदि सुधाकर का चालान किया गया तो हम कैसे बचेंगे।

लेकिन अब वह स्टेज आ गया है कि सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिये, जिस व्यक्ति ने मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसों को हजम करने के लिये इस प्रकार का धोखा किया, वर्किंग जर्नलिस्ट्स के पैसों को खा गया, लोगों को आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दिया, उसको सजा मिलनी चाहिये थी, अब तक वह जेलखाने में जाता तो भविष्य के लिये लोगों को शिक्षा मिलती कि हम लोगों का पैसा हजम नहीं कर सकते। इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकवाणी के सम्बन्ध में साफ फ्रॉड नजर आ रहा है। इस सारी धोखाधड़ी के बारे में सरकार केटेगरिकली कदम उठाये कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं और क्या कदम उठाना चाहती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकवाणी सोसायटी के सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अभी माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी ने प्रस्तुत किया है। मैंने भी इस प्रकार की सूचना इस सम्बन्ध में दी है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक उन्होंने सारी बातें सदन के समक्ष रख दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि ६८ के बजट अधिवेशन के दौरान ४ अप्रेल, ६८ को जब इस लोकवाणी के सम्बन्ध में इस प्रकार के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की थी तो राज्य के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि हम इस सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये, कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिये लेबर सेक्रेटरी, सोरी, लेबर कमिश्नर, होम सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी की कमेटी का निर्माण करते हैं, जो इसके सारे एसेट्स के बारे में पूरी तरह से छानबीन करके जानकारी करके अपनी राय राज्य सरकार को पेश करेगी और राज्य सरकार उस सम्बन्ध में १५ दिन में कार्यवाही करेगी। ४ अप्रेल, ६८ से लेकर आज ४ सितम्बर, १९६८ है, लगभग चार महीने हो गये उन बातों को फिर भी यह सरकार १५ दिन के अन्दर-अन्दर करने के अपने आश्वासन को ५ महीने में भी पूरा नहीं कर पाई है। इसके लिये राज्य सरकार की जितनी निन्दा की जाय, जितनी भर्त्सना की जाय, उतनी ही कम है।

यह एक खास प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध में विस्तार से कई बातें इस सदन में कही जा चुकी हैं, जिनको दोहराने की कोई

Page No. 96

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आवश्यकता नहीं है। मुख्य मन्त्री ने स्वीकार किया था कि लोकवाणी के अधिकारियों का व्यवहार बड़ा फ्रॉड रहा है। मुझे याद है इसको भंडू कम्पनी की संज्ञा दी गई थी, लोकवाणी के मालिक को नटवरलाल की संज्ञा दी गई थी, मुझे याद है कि वर्तमान श्रम मंत्री ने सदन के माननीय सदस्यों की भावना से एक मत हो कर इस बात को कहा था कि लोकवाणी सोसायटी बड़ी धोखाधड़ी है, उसके खिलाफ ४२० की कार्यवाही की जानी चाहिये। फिर तीन व्यक्तियों की समिति का निर्माण किया गया, १५ दिन के अन्दर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, १५ दिन के स्थान पर ५ महीने हो गये फिर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो कमेटी बनाई गई इसके संबंध में जांच करने के लिये उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब पेश की? उस रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार ने क्या निर्णय लिया, क्या कार्यवाही की मजदूरों के प्रोविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में, पेमेंट ऑफ वेजेज के सम्बन्ध में, लोकवाणी, राष्ट्र दर्शन, चेतना के सम्बन्ध में फ्रॉड किया गया, उसको केन्सिल करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? एडवरटाइजमेंट का पैसा सारा का सारा कोर्ट में जमा कराने के सम्बन्ध में जो कोर्ट ने नोटिस दिया था, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की, एडवरटाइजमेंट दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की, कुछ स्ट्रिक्चर्स कोर्ट द्वारा पास किये गये थे उनके बारे में क्या कार्यवाही की? प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा ८ के अन्तर्गत इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन केंसिल हो सकता था, राजस्थान सरकार ने उसको केंसिल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की? लेबर वर्कर्स की समस्याओं को हल करने के लिये पिछले पांच महीनों में क्या कार्यवाही हुई है? आज राजस्थान में मजदूरों की क्या हालत है मैं उनके सम्बन्ध में विचार प्रकट करने के लिये यहां इस समय खड़ा नहीं हुआ हूं किन्तु मिनिमम वेजेज एक्ट के सम्बन्ध में यहां सदन में पेश होने पर उस समय विचार प्रकट करना चाहूंगा। लोकवाणी सोसाइटी जिसकी लाखों की सम्पत्ति थी जिसका अखबार पहले चलता था, जिसने मजदूरों की तनख्वाहें, उनका बोनस, प्रोविडेन्ट फन्ड, उनके हकों को मार कर जो लाखों का उसने घोटाला किया था, लोकवाणी सोसाइटी ने जो मजदूरों के साथ जुर्म किया है, उसके मालिकों की ओर सरकार की सांठ-गांठ से मजदूरों के साथ जुर्म किया है और यही राजस्थान सरकार उस लोकवाणी सोसाइटी को चालीस-चालीस हजार के एडवरटाइजमेन्ट साहू जैन से दिलवा रही है, लोकवाणी के मालिकों ने मजदूरों के साथ फ्रॉड किया है, राजस्थान सरकार द्वारा उसको बिना सरेन्डर कराये ही चालीस-चालीस हजार के एडवरटाइजमेन्ट साहू जैन से दिलाये हैं और इस साठ-गांठ के कारण यह सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है, सरकारी विज्ञापन भी उनको बन्द क्यों नहीं किये गये? जब आपको यह मालूम है कि यह मजदूरों के साथ फ्रॉड किया गया है, मजदूरों का इसके द्वारा गला घोटा गया है, इस सोसाइटी के मालिकों के द्वारा फ्रॉड किया गया है तो आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? यह बड़ा गम्भीर मसला है। इस सारे मामले में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अधिक कुछ न कहते हुए मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता, किन्तु मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत धोखाधड़ी के मामले में इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें और बाकी आगे की कार्यवाहियां यह सरकार करेगी, इस प्रकार का ठोस आश्वासन मंत्री महोदय देंगे और अपने वचन का पालन करने में ध्यान रखेंगे। स्पष्टीकरण चाहने के लिये इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

(श्री रामकिशन के खड़े होने पर) केवल प्रस्तावकर्त्ता ही कहेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी प्रस्ताव दिया था जिसको इसमें मिला दिया गया था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। अच्छाई-बुराई की नहीं कह रहा हूं, व्यवहार की बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ध्य सामने लाये गये हैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सतीशजी के विचार हैं मैं भी चाहूंगा कि ४ अप्रैल से आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की? आपने श्रम मंत्रीजी महोदय की हैसियत से आश्वासन दिया था, यह निश्चित जंचता था कि सरकार कोई न कोई कार्यवाही करने वाली है और वह भी पोजिटिव दिशा में करेगी। आज तक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार यह कहती है कि प्रोविडेन्ट फन्ड के सम्बन्ध में उद्योग एक्ट के अन्तर्गत केस दायर करने की इजाजत दी है। श्रमिकों ने खुद ने यह उठाया और आपने इजाजत दे दी। इस सोसाइटी के सम्बन्ध में सरकार क्या दृष्टिकोण रखना चाहती है? सरकार के सामने कौनसी बाधा है कि सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती है? मंत्रीजी बतायें क्या दिक्कत है? हमारे सामने आ जाय उनकी दिक्कत तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। प्रोविडेन्ट फन्ड के पैसे को सोसाइटी खा रही हो और सरकार भी चुप्पी लगा जाय तो यह दोष लोकवाणी सोसाइटी का नहीं है, यह दोष तो सरकार का है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी भ्रम होता है कि सदन में जो इस सम्बन्ध में बहस होती है उसका सरकार दुरुपयोग नहीं कर रही है। सही-सही बात कहनी चाहिये। लोकवाणी के संचालकों ने और दूसरे लोगों ने जिस प्रकार से गबन किया था और जब सदन में यह मामला आया तो विधान सभा की कार्यवाही का फायदा उठा कर कि तुम्हारे खिलाफ यह कार्यवाही करना चाहते हैं, बृजसुन्दरजी का फोटो छाप दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी का फोटो छाप दिया....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारा कोई फोटो नहीं छपा।

श्री रामकिशन : आपका नहीं छपता होगा। आपके मुख्य मंत्रीजी जो आपके लीडर हैं उनका तो छपता है।

इसलिये उसके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करेंगे कोर्ट में। सोसाइटी के मालिकों ने यह लिख कर दे दिया था कि यह सारी सम्पत्ति राष्ट्रीयकृत सोसाइटी को बेच दी गई है। आप वकील रहे हैं, वकालत आपका धन्धा रहा है, फिर आपने राजनीति में प्रवेश किया है। एक चैरिटेबल सोसाइटी दूसरी

(श्री रामकिशन)

चैरिटेबल सोसाइटी को नहीं बेच सकती। क्या कारण है कि आपने उस पर मुकदमा नहीं चलाया। नियमों और कानून को तोड़ने के पश्चात् भी आपने मुकदमा नहीं चलाया। अखबार बन्द रहा है उसको स्वीकार करते हैं। इस बीच में एडवरटाइजमेन्ट का कैश पेमेन्ट मजदूरों को मिलना चाहिये था, मालिक ले जाते हैं। सरकार उनके खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाती ? अगर सोसाइटीज की रिपोर्ट भी आती है और यह चीज सामने नहीं है तो यह बहुत बड़ा हथियार है। अलग-अलग कलॉजेज मे अधिकार दिये हुए हैं, कानून को साधारण कोड मे भी अधिकार दिये हुए हैं उनका पालन तो आप करते नहीं। शब्दों में सहानुभूति में कमी नहीं और कभी वाणी में इतना मिठास होता है कि सदन के माननीय सदस्य समझते हैं कि लोकवाणी के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही होने वाली है। लेकिन मजदूर मुकदमों में फंसते जाते हैं उनके कार्य-कलापों पर कोई असर पड़ा नहीं। कानूनी अधिकार सारे सरकार के पास हैं फिर भी सरकार उन सारी कार्यवाहियों में उस सोसाइटी के खिलाफ कोई उन अधिकारो को काम में नहीं लेती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामकिशन : दो-तीन बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल संक्षेप में।

श्री रामकिशन : बिल्कुल संक्षेप ही संक्षेप है।

जब एक चीज सामने आ जाती है, उनका बेंक का खाता है, उन खातों का किसने ओपरेशन किया, कौन मालिक हैं तो ये तथ्य छिपाये नहीं छिप सकते। सरकार को कुछ करने का इरादा है तब तो कोई बात हो। वरना तो मंत्रीजी का बयान नया हो जाय उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपने कमेटी की रिपोर्ट नहीं मंगाई। इसलिये इतने दिन पहले नहीं मंगाई कि आपको आवश्यकता नहीं थी। यहां इसकी चर्चा हुई तो आपने रिपोर्ट मंगाई। यही ढिल मिल नीति रही आपकी तो सदन दूसरे दृष्टिकोण से देखेगा और जिस सोसाइटी का मालिक अपराधी हो उसको सरकार की ओर से शरण दी जाय तो सरकार भी दोषी है क्योंकि वह अपराधियों को शरण देता है। अपराधियों को शरण देने वाला भी बड़ा अपराधी होता है। इस्तगासा करना पड़ा है। अब तक कार्यवाही क्या हुई और शीघ्र ही निश्चित समय में क्या कार्यवाही करने वाले हैं यह मंत्रीजी बतायें वरना तो सदन को कोई संतोष नहीं मिल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री दौलतराम सारण : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं बोलूंगा नहीं। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का, नियमों का बराबर उल्लंघन करने के उपरांत भी राज्य सरकार कानूनी कार्यवाहीं क्यों नहीं करती ? इसका स्पष्टतः स्पष्टीकरण करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में, पहले भी लोकवाणी के बारे में बहुत काफी चर्चा हो चुकी है। आज भी कई विषय

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सदन के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। मैं सदन की सूचना के लिये, जो कार्यवाही अभी जारी है, उसके बारे में डिटेल में प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह कार्यवाहियां इस वक्त भी जारी हैं। एक कमेटी की घोषणा की गई थी कुछ डिक्रियां हुई हैं उनका एकजीक्यूशन अभी चालू है। प्रोविडेन्ट फण्ड के रकम की वसूली की कार्यवाही चालू है। प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही के लिये इजाजत दे दी है। सिर्फ हमारे सामने मुद्दा यह था कि सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहिये जो सरकार ने नहीं उठाया ? इस सम्बन्ध में हमने यह घोषणा की थी कि तीन व्यक्तियों की एक कमेटी मुकर्रर कर देंगे जो फेक्ट्स की जानकारी कर सरकार के सामने रिपोर्ट रखे। इस कमेटी का गठन ४ अप्रेल, १९६८ को किया गया, इसकी घोषणा के दिन से। इसकी रिपोर्ट १७-८-६८ को सरकार के सामने पेश हुई है। मैंने कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसको देखा है। इसलिये यह नहीं कह सकता कि उसने रोजमर्रा बैठकर काम नहीं किया। हो सकता है, मजबूरी में एक-दो बार एडजोर्नमेन्ट हुआ हो। आम तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कमेटी ने देर की। उन्होंने रिपोर्ट को पेश करने में जितनी जल्दी हो सकता था, किया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकवाणी का पैसा, एडवरटाइजमेन्ट का पैसा रोक दिया गया। यह पैसा कुर्क हुआ है। लोकवाणी का जो पैसा सरकार के पास था, उसको रोक दिया गया और जितना सरकार के पास जमा था, कोर्ट में जमा करा दिया गया और दूसरे डिपार्टमेन्ट की तरफ से ऐसी मुझे सूचना है, जन-सम्पर्क विभाग द्वारा पैसा रोक दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जमा कराया या कोर्ट ने अटैच किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोर्ट ने अटैच किया। हां, यह ठीक है। तो मैं जिस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था, उस रिपोर्ट के बारे में, माननीय सदस्यों को उसकी सूचना देना चाहूंगा रिपोर्ट में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने विचार कर लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह रिपोर्ट १७-८-६८ को आई है और १७-८-६८ को ही मुख्य मन्त्रीजी के सामने प्रस्तुत हुई है इसके बाद इस पर यहां यह सवाल उठ गया था। मुख्य मन्त्रीजी के यहां नोटिंग हुआ। इसकी एक समरी तैयार करके उनके सम्मुख पेश कर दी गई। परन्तु जब यहां प्रश्न उठा तो उस रिपोर्ट को ५-७ दिन पहले मैंने मंगा लिया। मुख्य मन्त्रीजी के सामने यह रिपोर्ट पेन्डिंग है। वे उस पर क्या विचार बनाते हैं और उस पर मन्त्रिमण्डल क्या निर्णय लेता है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आप विचार कर लें तब जवाब दें। अभी तक इस रिपोर्ट पर नोटिंग चल रहा है। कमेटी ने जो सिफारिश की है, इसकी समरी बन रही है, उसको आप एग्जामिन कर रहे हैं और वह मुख्य मन्त्रीजी को पेश करेंगे और वे डिसीजन लेंगे। अभी तक मुख्य मन्त्रीजी का डिसीजन नहीं हुआ, केबिनेट को निर्णय लेना है। तब इसके आगे की कार्यवाही

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने के बारे में आप यहां, इस सदन में क्या कह सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह स्थिति ठीक है, माननीय सदस्य ने जो राय प्रकट की है, गवर्नमेन्ट इस पर विचार नहीं कर ले तब तक सदन में क्या राय जाहिर की जा सकती है ....

श्री दौलतराम सारण : रूल्स या कानून का कोई वॉयलेशन हुआ है, यह गवर्नमेन्ट मानती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिये तो प्रोसीक्यूशन की इजाजत, रकम की वसूली की डिक्रियां, ये सारी की सारी कार्यवाहियां चल रही हैं। यह सब....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सब कोर्ट से हो रहा है। पेमेन्ट को रोकने की डिक्रियां अटेचमेंट कोर्ट से हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये सब कार्यवाहियां चालू हैं, ये डिक्रियां जितनी हुई हैं, उनमें एक ४६ हजार की है, एक ८ हजार की है, प्रोविडेन्ट फण्ड की। इसके अलावा पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत, श्रमिकों के मजदूरी की डिक्रियां भी हो चुकी हैं। उसकी वसूली की कार्यवाही चालू है। इस सम्बन्ध में स्थिति उत्पन्न हुई है, कि मशीनरी, पुर्जों की नीलामी करके, जो रुपया सरकार का निकलता है, जमा कर लेना चाहिये या सरकारी कर्जे में। यह एग्जामिन करने की बात है। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर सरकार विचार करके यह करेगी कि उस पर आगे क्या कार्यवाही की जाय ? पुलिस में दिया जाय या किस तरह से इस केस को बनाया जाय। इसकी इन्वेस्टीगेशन की जाकर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं असेम्बली होने तक तो केबिनेट की मीटिंग होने के आसार नजर नहीं आते। जितनी कार्यवाही हो चुकी है, उतनी बता सकता हूं। रिपोर्ट की समरी करके, उसका ब्रीफ तैयार करके, नोटिंग कराके मैं इसे मुख्य मन्त्रीजी को भेज रहा हूं। इससे निर्णय लेने में सुविधा आयेगी। मैंने इस रिपोर्ट को मंगवा ली थी उसको वापिस मुख्य मन्त्रीजी को भेज दूंगा और निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी केबिनेट की मीटिंग बुलाकर इस पर निर्णय ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत लोकवाणी का डिक्लेरेशन केन्सिल करने की गवर्नमेन्ट ने क्या कार्यवाही की ? कमेटी की जो टर्म ऑफ रेफरेंस थी, उसमें यह रेफरेंस था या नहीं ? अगर नहीं था तो राज्य सरकार इस बारे में इन्डिपेंडेन्ट निर्णय क्यों नहीं लेती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफिक नहीं थी। जो बहस सदन में हुई, उसमें जो मुद्दे उठाये गये थे, उन्हीं के आधार पर कमेटी का निर्माण किया गया था उन्हीं के ऊपर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो मुद्दे विशेष हैं। आपने प्रेस रजिस्ट्रेशन कानून के अन्तर्गत लोकवाणी का डिक्लेरेशन कैंसिल किया ? उसकी कार्यवाही की ? तीन आदमियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन ८ के अन्तर्गत कुछ नहीं कहा। गवर्नमेन्ट एडवरटाइजमेन्ट रोकने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। इन दोनों के बारे में कोई सिफारिश नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चूंकि कोई सिफारिश नहीं की गई है अतः कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता। राज्य सरकार लोकवाणी के संबंध में, उसकी मान्यता, डिक्लेरेशन को कैंसिल करने की कोई कार्यवाही करेगी ? गवर्नमेन्ट एडवरटाइजमेंट रोकने के संबंध में जो कदम उठाये जाने चाहिये थे, जिनके संबंध में शिकायत हुई थी, उस पर सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस रिपोर्ट में इस प्रश्न को नहीं उठाया गया। यह आज उठा है। वरना उस रोज उठा होता तो रिपोर्ट में जरूर आता। यह कानूनी मसला है जिस पर लॉ डिपार्टमेन्ट से सरकार निर्णय लेते समय सलाह लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को मिसलीडिंग किया जा रहा है। सदन में यह मसला उठा था और समिति को इस पर विचार करना चाहिये था। सदन में यह मसला माननीय सदस्य श्री रामानंदजी अग्रवाल ने उठाया था। यह राजस्थान विधान सभा की ४ अप्रेल, ६८ की कार्यवाही में पेज नं० २३८ पर छपा है। श्री रामानंदजी ने सवाल उठाया। श्री भैरोंसिंहजी ने पूछा : यह कमेटी कब तक बनेगी ? श्री बृजसुन्दरजी ने पृष्ठ २३७ पर कहा है......"सेक्शन ८ और ९ की तहत प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बाद में कार्यवाही के लिये इजाजत दी जा सकती है। इन फेक्ट्स के आधार पर जो भी कानूनी सलाह होगी वह प्राप्त करके जिस कमेटी की मैंने बात कही है उसके सामने ये फैक्ट्स रख करके जो भी उसकी राय होगी उसके अनुसार मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।"

रामानन्दजी ने पेज २३८ में कहा प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन ८-बी है उसका पार्ट ४ है उसमें साफ लिखा हुआ है। इफ आन एन एप्लीकेशन......."ये पूरा लिखा है। इस तरह कहना ठीक नहीं है। कानूनी मसला आता है तो डिस्कस करना ज्यादा ठीक नहीं होगा। इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करके कार्यवाही की जाय। यह आप कैसे कहते हैं कि मसला विधान सभा में नहीं आया। आज कहते हैं विधान सभा में नहीं आया इसलिये समिति में नहीं रखा गया और समिति ने कोई सुझाव नहीं रखा। मैं समझता हूं यह गलत उत्तर आप सदन में दे रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप जानकारी कीजिये। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट एडवरटाइजमेंट के बारे में कहा है पेज २३१ में मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैंने इस बात की मांग की है कि जो गवर्नमेंट द्वारा एडवरटाइजमेंट अखबारों को रिलीज होता है जिनके बारे में सीरियस चार्जेज हैं जिनको आप स्वीकार करते हैं, मैं समझता हूं उसके बारे में तुरन्त आदेश दे सकते हैं। झन्झू कम्पनी की तरह यह फन्ड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इकट्ठा करते रहेंगे। लोकवाणी को बन्द किया जाय। प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर इसको बन्द किया जाय ये दोन मसले सदन में उठाये हैं। इस संबंध में जो समिति बनी है वह सारे फैक्ट्स को रखे। अफसोस आज इस बात का है कि माननीय मंत्री महोदय कहते हैं यह फैक्ट्स सदन मे नहीं आये इसलिये समिति ने इनको नहीं उठाया। मैं समझता हूं यह गलत बयान है इसलिये मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस तारीख को जो चर्चा हुई थी वह सारी की सारी उस कमेटी के सामने दे दी गई थी और जो मुद्दे उठाये गये थे उन पर निर्णय देना था। जो मुद्दे सदन में बहस के दौरान उठाये वह समिति के सामने जो कुछ एवीडेन्स आई है उनके ऊपर निर्णय दिया। माननीय सदस्य ने प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन केन्सिल होना चाहिये, यह पढ़कर सुनाया उस दिन यह कहा था कि यह मामला कानूनी है। इस पर विचार किया जायगा। मैं यह बात मानकर चलता हूं कि जो कुछ लीगल इम्लीकेशन्स हैं, जो फैक्ट्स फाइन्डिंग हैं वह मुझे मालूम है, वास्तव में फ्रॉड किया गया तो पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये। जो लीगल डिपार्टमेंट है उसकी राय के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

मैं पूरी रिपोर्ट देखकर खुद अन्दाज लगा लूंगा। पॉइन्टवाइज रिकमन्डेशन की है। ऊपर नहीं हो सकता है, हो सकता है नीचे रिपोर्ट में कुछ हो। जो कुछ सिफारिश की है वास्तव में उसका पालन किया जाय क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट को जो ऑथोरिटी है उसको मानना चाहिये। प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इस बात का कमेटी में जिक्र किया है। अपना नाम पलटकर जो कुछ कार्यवाही की है और जो रुपया वसूल किया गया है वास्तव में इसको मिलना चाहिये और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जिसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट है। कुछ जिक्र जरूर आया है लेकिन ऐसी बात जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको बन्द किया जाना चाहिये, यह बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवरटाइजमेंट के बारे में क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अगला विषय।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा कल वक्तव्य दिये जायेंगे:—

(१) सीकर जिले में कंकर बाजरे के दोषपूर्ण वितरण सम्बन्धी श्री रामचन्द्र (खन्डेला), श्री हरलालसिंह व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में लिया जायगा।

(२) महाराजा कॉलेज छात्र संघ की मांगों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरोंसिंह, श्रवणलाल व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इसी आशय का एक स्थगन प्रस्ताव श्री शिवनारायसिंह, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुआ है।

Page No. 103

(श्री उपाध्यक्ष)

(३) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायत समितियों को आवश्यकतानुसार अध्यापकों का चयन न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री हरजीराम बुरड़क व श्री दौलतराम सारण द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इस पर पंचायत मंत्रीजी द्वारा कल वक्तव्य दिया जायगा।

(४) ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतिकरण सम्बन्धी स्थिति के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव तथा तहसील हिण्डौन में खेड़ा सब-स्टेशन होते हुए भी वहां की जनता को बिजली नहीं दिये जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव जिसकी सूचना श्री श्रवणलाल व श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा दी गई है। इनको राजस्थान राज्य विद्युत् के बजट पर होने वाली बहस के दौरान सम्बन्धित सदस्यों के द्वारा उठाया जा सकेगा।

(५) बीकानेर नगर से हरिजनों के परिवारों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

अतः मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि इन पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर विचार किया जाय। अतः मैं इनको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(१) ग्राम मिलकपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर में किसी गूजर के मकान में गत २५ या २६ अगस्त की रात्रि को डाका डाले जाने तथा हत्या की जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) तहसील नोहर में बीकानेर जिप्सम कम्पनी द्वारा पूरबसर की आबादी भूमि में चूना निकालने के कारण वहां आबादी मकानात, तालाब, कुण्ड आदि के नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(३) भवानी मन्डी (झालावाड़) में राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों की हड़ताल से सम्बन्धित श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) श्री गोर्धन सोनी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध चुनाव याचिका के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(५) मकराना में अराष्ट्रीय तत्वों की हरकतों सम्बन्धी श्री विजयसिंह (मकराना) द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(६) अजमेर में बनास पेय जल योजना पूरी होने पर भी जल संकट दूर न होने से सम्बन्धित श्री भगवानदास शास्त्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(७) कोटा स्थित खाद के कारखाने में प्रिलिन्ज टावर के टूट जाने से कई मजदूरों के घटनास्थल पर मारे जाने व घायल हो जाने सम्बन्धी मामले में पुलिस की तफतीश को रोक देने के बारे में श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री उपाध्यक्ष)

(८) जिला पाली की तहसील देसूरी के ग्राम बालेराव में जनता एवं सरकारी अनुदान से बनाया गया शहीद स्मारक एवं बालोद्यान को नष्ट करने सम्बन्धी श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(९) कोटा-चम्बल सिंचाई विभाग के अभियन्ता द्वारा चम्बल नहरी क्षेत्रों में नहर पर कार्य कर रहे मजदूरों को छंटनी के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री आईदानसिंह व श्री ओमदत्त भाटी द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिये जायेंगे:—

(१.०० म. प.)

बाढ़ एवं अकाल की समस्याओं से सम्बन्धित, निम्नांकित सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं:—

(१) श्री जयनारायण सालोदिया।
(२) श्री वृद्धिचन्द जैन।
(३) श्री रघुनाथ विश्नोई।
(४) श्री अब्दुलहादी।
(५) श्री बालसिंह।
(६) श्री दिग्विजयसिंह।
(७) श्री विजयसिंह।
(८) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।
(९) श्री दौलतराम सारण।
(१०) श्री रामचन्द्र आर्य।
(११) श्री रामकिशन।

चूंकि बाढ़ और अकाल की समस्याओं पर आज और कल सदन में विचार किया जायगा, अतः ऐसी स्थिति में इन समस्त स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरा प्रस्ताव है कि जोधपुर के अन्दर इन्जनियरिंग कॉलेज के अन्दर २५ हजार का गबन हुआ है जिसको दबाने के लिये श्री मथुरादास माथुर क्योंकि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! चर्चा नहीं होगी। उस पर व्यवस्था दी जायगी।

श्री विजयसिंह : मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि २५ हजार का गबन हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने आ जायगा।

श्री विजयसिंह : २,९८,०००) रु. का गबन पाया जाना, केस को पुलिस में भेजना और मथुरादास माथुर द्वारा पुलिस को दबाया जाना, उसके लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : कल अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्थायें दी है, वह जब से २१ तारीख से सदन प्रारम्भ हुआ तब से पेंडिंग हैं और सब पर आज व्यवस्था दी गई है या आज सुबह को ही आई है।

श्री उपाध्यक्ष : जब से भी पेंडिंग हैं और आज सुबह अगर प्राप्त हुई हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो बीकानेर जिप्सम कम्पनी द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने की है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कम्पनी द्वारा गांवों के तालाबों और कुण्डों से चूना निकाला जाता है, यह बड़े ही लोक महत्व का प्रश्न है क्योंकि उस इलाके में पानी खारा है और जनता तालाबों और कुण्डों से पानी पीती है। अतः मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य अवश्य दिलाया जाय ताकि वहां के लोगों में जो खतरा पैदा हो गया है, उसमें राहत मिल सके।

राज्य की बाढ़ एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राज्य में बाढ़ से एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाय।" मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बाढ़ और काल पर विभागीय नोट जो माननीय सदस्यों को पहले पहुँचना चाहिये था, उसको नहीं भेज सका लेकिन आज ही प्रश्नोत्तर काल में माननीय सदस्यों के पास भेजा है।

जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी इलाका है और उस इलाके में वर्षा की कमी के कारण अक्सर देखने में आया है कि पिछले कई सालों का अगर आप लेखा-जोखा लें तो लगातार वहां पर सूखे की स्थिति रहती है। इस भीषण गर्मी के बाद राजस्थान की जनता की यह हमेशा इच्छा रहती है कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी वर्षा हो और जब राजस्थान में बरसात होती है तो सुख और प्रसन्नता को लाने वाली होती है लेकिन इस साल मानसून प्रारम्भ हुआ वह सुख और प्रसन्नता को लाने वाला नहीं था लेकिन इससे पहले विनाशलीला की शुरुआत हुई, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान में मानसून से जो बरसात हुई वह जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई। सबसे पहले जुलाई के प्रथम सप्ताह में अजमेर में जो बरसात हुई उससे बड़ी क्षति जन-धन को हुई और उसके बाद ब्यावर, सवाई माधोपुर, खंडारा, सपोटरा आदि क्षेत्रों में ११ और १२ जुलाई को जो बरसात हुई उसके कारण काफी क्षति वहां पर हुई। इसी तरह से १२ और १३ जुलाई को नावां, साम्भर, लाडनूं और १३-१४ जुलाई को डूंगरपुर, खेतड़ी आदि क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ आई।

इस बाढ़ का मुख्य कारण था ६ इन्च से लेकर १७ इन्च तक बरसात, २४, ३० व ४८ घण्टों के बीच में इतनी बरसात थोड़े से समय में होने से छोटे-मोटे जो बांध थे, कई जगह टूट गये। इसके कारण कई जिलों के अन्दर नदियों में जो नेचुरल-कोर्स थे वह बदल गए और उसके कारण जहां पर जनता को इस प्रकार बाढ़ से चपेट में आने की संभावना नहीं थी वहां ऐसी स्थिति राजस्थान के कुछ जिलों में खड़ी हुई। इस तरह एक तालाब के टूटने के बाद उसका कोर्स बदला, दूसरे तालाब में पानी उमड़ा गया और फिर तीसरे सिंचाई के तालाब में गया और फिर चौथे पानी पीने के तालाब में गया। इस तरह से लिंक टूटतो चलती गई और बाढ़ का स्वरूप लिया जिसके कारण राजस्थान में

(श्री परसराम मदेरणा)

काफी क्षति हुई। बाढ़ के दो दौर हुए-एक ९ जुलाई से लेकर १९ जुलाई तक और उसके बाद में ३० जुलाई से लेकर ४ अगस्त तक। दो दौर बाढ़ के आये, इस कारण राजस्थान के दस जिलों में ६९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कई लोग पानी में बह गये, कुछ व्यक्तियों के मकान ढह गये और जमीन में धंस गये, कई लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, कई लोग सामान बचाने की कोशिश करने लगे उस समय ७ मकानों के गिरने की वजह से ६९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। राजस्थान सरकार को इन मृतकों के परिवारों के साथ में सहानुभूति है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ सद्भावनायें प्रकट करता हूं।

इस तरह केवल ६९ व्यक्तियों की ही मृत्यु नहीं हुई लेकिन अचानक मूसलाधार वर्षा से जो बाढ़ हुई और नदियों ने कोर्स चेंज किया, तालाब टूटने की वजह से और कई बांध टूटने की वजह से राजस्थान में हजारों की संख्या में पशु भी बाढ़ में बह गये और इस प्रकार राजस्थान में बाढ़ से दो हजार के आस-पास गांव बाढ़ग्रस्त हुए और २ हजार गांवों में रहने वाले करीबन ९८ हजार फेमिलीज को बाढ़ की चपेट में आना पड़ा और उनको क्षति पहुँची। इसके साथ-साथ कई मकान धंस गए और पारशियली डेमेज हो गए। इतना ही नहीं जितने पब्लिक वर्क्स थे, सड़कें थीं, कई जगह सड़कें और पुलियां टूट गईं। कल्वर्ट्स बह गए और साथ ही साथ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को क्षति पहुँची। वाटर इन्स्टालेशन मशीनरी को क्षति पहुँची। पंचायत समिति के पंचायतघर और स्कूल भवनों और साथ ही साथ ग्राम सेवकों के क्वार्टर्स थे, काफी बड़ी तादाद में उनका भी डैमेज हुआ। उसके साथ-साथ राजस्थान में सिंचाई विभाग के जो बांध थे, उनमें से १० बंधे टूट गये और करीबन १२५ के आस-पास बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। इस प्रकार की क्षति के बाद पानी की जो खेतों में नहरें थीं उनको भी बड़ी भारी क्षति पहुँची है। इस तरह से राजस्थान में बड़ी विनाश-लीला इस प्रकृति के प्रकोप से हुई है इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है।

राजस्थान सरकार ने क्षतिग्रस्त हुए इलाकों में सहायता के लिये तत्परता के साथ कदम उठाया। सबसे पहले राज्य सरकार ने १३ जुलाई को जिन जिलों में बरसात ज्यादा हुई और बाढ़ की वजह से भारी नुकसान का अन्देशा हुआ उसके लिये पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी थी। उसके बाद केबीनेट ने इमरजेन्सी मीटिंग काल करके २० तारीख को १ करोड़ और ९ लाख रुपये की सहायता जिलों में भिजवाने के लिये स्वीकृत की। इसके बाद फिर ४८ हजार रुपया बाढ़ सहायता के लिये स्वीकृत किया गया। इस तरह से कुल मिला कर एक करोड़ उनसठ लाख पचास हजार रुपया स्वीकृत करके अलग-अलग जिलों के लिये यह रकम दी गई।

बाढ़ के विषय में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार ने बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति पर काबू पाने के लिये, उससे जो नुकसान लोगों को हुआ उसको कुछ अंश तक पूर्ण करने के लिए जो भी कदम उठाने आवश्यक थे वे उठाये हैं। मैं स्वयं भी बाढ़ग्रस्त जिले में गया था। उन जिलों के अन्दर जो काम इसके लिये शुरू किया गया है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत काम हो

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा है और इस तरह से हमने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को अलग-अलग केटेगरीज में बांटा है।

सबसे पहले जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गये पहली तो उनकी केटेगरी। दूसरी केटेगरी जिनके मकान कम्पलीट कोलेप्स हो गये, और तीसरी केटेगरी फसलों का जिनका डैमेज हुआ। इस सबमें राज्य सरकार द्वारा तुरन्त इस बात का इन्तजाम किया गया कि पहले केटेगरी के लोगों को ३०० रुपये का अनुदान दिया जाता है। या उनको सात से लेकर दस तक टीन शीट दिये जाते हैं। इसके साथ-साथ दूसरी केटेगरी के लिये सौ रुपये देने की व्यवस्था की है। उसके साथ-साथ टीन चद्दर भी वे खरीदना चाहें तो उनको कन्ट्रोल रेट पर उपलब्ध सरकार करायेगी।

तीसरी केटेगरी के लिये उनकी क्षति की सीमा को देखते हुए दस रुपये से पचास रुपये तक मुफ्त सहायता दी गई। इस तरह से तीस हजार के आस-पास टीन की चद्दरें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वितरित की हैं।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक वर्क्स में बिल्डिंग एण्ड रोड्स को क्षति पहुँची है। पंचायत समिति क्षेत्र से जिन बिल्डिंग एवं रोड्स को क्षति पहुँची है उनकी रिपेयर के लिये हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट को तीस लाख की धनराशि देना मन्जूर किया है। मुझे इत्तला मिली है कि उन्होंने इसका तखमीना भी बना लिया है। जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दिया जायगा और कुछ तो शुरू भी कर दिया है।

इस बाढ़ की वजह से कई क्षेत्र में तो आवागमन भी रुक गया था, वहां पर टेम्परेरी अरेंजमेन्ट करके उस क्षेत्र को लिंक किया गया। अब उस पर परमानेन्ट व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है। इसी तरह से बन्धों को नुकसान हुआ, नहरों को नुकसान हुआ इसके लिये राजस्थान सरकार ने इरिगेशन विभाग को २५ लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। यह रुपया उनके डिसपोजल पर रखा है। तकनीकी एस्टीमेट बन करके उस पर भी काम शुरू कर दिया जायगा।

इसी प्रकार हमने जो किसानों के कुए थे, इरिगेशन के कुए थे और वे ढह गये उन गांवों को जहां पीने के पानी के कुओं को नुकसान पहुँचा है उस नुकसान की पूर्ति के लिये खर्चा देने की व्यवस्था की है। इसके लिये अलग-अलग जिलाधीशों के डिस्पोजल पर रकम रख दी गई है। इसी प्रकार जो बाढ़-पीड़ित लोग हैं जो रबी की खेती से वंचित रह जाते हैं उनको सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने अपनी ओर से कार्यवाही की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बाढ़ के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इत्तला होने के बाद में कई स्थान ऐसे थे जहां पर संचार के साधन टूट गये थे, कई स्थानों पर तो हम तीन-चार रोज तक भी कान्टेक्ट नहीं कर सके। हम नहीं कर सके, जिलाधीश नहीं कर सके। कई स्थान तो ऐसे थे जो बिल्कुल जलमग्न हो गये थे। नावां के अन्दर सांवतगढ़ और भूणी ये दो ऐसे स्थान थे जहां पर चारों ओर पानी भरा हुआ था, इस वजह से तीन-चार दिन तक वहां कोई आ-जा नहीं सके। इन दिनों में हमने भूणी वगैरह स्थान पर

(श्री परसराम मदेरणा)

हैलीकोप्टर से खाद्य सामग्री गिराने की व्यवस्था की। जितनी तत्परता से और जितनी जल्दी रिलीफ दी जा सकती थी राज्य सरकार ने देने का प्रयत्न किया और हमने समय पर रिलीफ देने का यत्न किया। उसके बाद भी कई स्थानों के बारे में शिकायत आयी उन जगहों पर भी तत्परता के साथ रिलीफ देने का यत्न किया है। हमने इस कार्य को युद्धस्तर पर लिया था। हमने सारी रैवेन्यू मशीनरी को इस कार्य के लिये लगाया और जितनी सतर्कता रिलीफ कामों में हम बरत सकते थे उतनी बरती गई। उसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत रही हो तो वे हमसे कहें हम उसको भी ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। हमने इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद देकर वहां की स्थिति को सामान्य लाने में भरसक प्रयत्न किया है और कारगर कदम उठाये हैं।

जहां हमने टीन की चद्दरों का वितरण किया है उसके लिये हमने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से मांग की थी। लेकिन उनके पास टीन की चद्दरें नहीं थीं। उन्होंने हमको सुझाव दिया कि इस बारे में भारत सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट से निवेदन किया जाय कि हमारे प्रांत में असाधारण स्थिति पैदा हो गई है आप अपने कोटे में से कुछ टीन की चद्दरें हमें देने की आज्ञा दें ताकि हम बाढ़ग्रस्त इलाकों में उनका वितरण कर सकें। सुरक्षा मन्त्रालय ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमें समय पर टीन की चद्दरों का कोटा दिया और हमारी मदद की, हम उसके लिये उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, बाढ़ के कारण कई इलाकों में १५-१५ फीट पानी भर गया था, घर तक पानी में डूब गये थे। उस स्थिति में भूणी ग्राम के अन्दर एक व्यक्ति आधा मील दूर से मकान की छत पर चढ़े हुए व्यक्तियों को अपनी पीठ पर बिठा कर उस इलाके से बाहर निकाल लाया, उसने जो इस काम में बहादुरी का परिचय दिया उसकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता।

इसी तरह से खंडेला के अन्दर जब बाजार में १८ फीट पानी बह रहा था तो सैंकड़ों लोग अपनी दुकानों की छत पर चढ़ गये थे। ऐसी हालत में वहां के डॉक्टर ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर २० आदमियों को छत फोड़कर निकाला, उसकी भी मैं तारीफ किये बगैर नहीं रहूंगा।

बाढ़ के सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक टीम २४-२५ अगस्त को यहां भेजी गई थी। तीन जिलों का दौरा करने के बाद में उस टीम ने भारत सरकार को अभी रिपोर्ट नहीं दी है। फिर भी भारत सरकार ने हमारी सहायता के लिये राज्य सरकार को लम्प-सम के रूप में १ करोड़ रुपया दिया, जिसमें ५० लाख अनुदान के रूप में और ५० लाख ऋण के रूप में दिया है। इसके अलावा हमें आशा है जब रिपोर्ट पेश हो जायगी तो हमें ज्यादा धनराशि मिलेगी और उससे हम बचा खुचा जो भी कार्य है वह भी पूरा कर सकेंगे।

जहां तक बाढ़ का प्रश्न है उसके कारण जो क्षति हुई है उसको हम तत्परता से पूरा करने में जुटे हुए थे, उसको भी हम पूरा नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

कर पाये फिर भी हमने उस क्षति को हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार पूरा किया है, इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर विधि की विडम्बना है, एक तरफ तो बाढ़ ने भयंकर विनाश किया है दूसरी तरफ राजस्थान के ऐसे कई इलाके हैं जहां एक बून्द भी पानी की नहीं गिरी। जिसमें जैसलमेर का कुछ भाग है। पूरे जिले के ५१२ गांवों में से थोड़े गांवों में ही बरसात हुई है। आगे बरसात न होने से खड़ी फसल भी जल गई। नतीजा उसका यह हुआ कि पूरा का पूरा जैसलमेर जिला अकाल ग्रसित हो गया है, खड़ी फसलें नष्ट होती जा रही हैं और वहां की स्थिति विषम होती जा रही है। इसी प्रकार बीकानेर जिला है। इसमें पिछले साल भी अकाल की स्थिति थी। इसके ६८० में से आधे गांव पिछले साल भी प्रभावग्रस्त थे। इस साल भी ९७ गांवों में बरसात बिल्कुल नहीं हुई। १९० में एक-दो इंच के आसपास हुई जो अब तक सूख चुकी है। ४०० गांवों में ऐसी हालत है कि उनमें आज ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर भी अकाल की छाया है और अगर दो-चार दिनों में या हफ्ते भर में बरसात नहीं हुई तो पूरे का पूरा जिला अकाल की चपेट में आ सकता है।

इसी तरह से बाड़मेर में हाल है। ७८ गांवों में बरसात बिल्कुल नहीं हुई। १५५ में जरूर हुई पर ८-८-६८ के बाद बिल्कुल नहीं हुई इससे काश्त जल गई है। ८५ गांवों में सोइल ऑपरेशन हुआ ही नहीं। जिनमें हुआ उनमें भी फसल करीब-करीब जल चुकी है। १४३ गांव ऐसे हैं जहां ऐसी स्थिति बन गई है कि आशा नजर नहीं आती कि फसल पक सकेगी। सिवाय सिवाणा तहसील को छोड़कर बाकी चार तहसीलें अकाल के प्रकोप में आती नजर आती हैं।

जालोर में १२९ गांवों में काश्त पोली हो चुकी है। सांचौर, भीनमाल तहसीलों में कुल मिलाकर ११० गांवों में सोइल ऑपरेशन नहीं हुआ। २४९ गांवों में फसल जलती जा रही है। हफ्ते भर में बरसात नहीं हुई तो हालत खराब हो जावेगी।

इसी प्रकार जोधपुर जिले में शेरगढ़ तहसील में, ओसियों में और कालाउणा में ३४ गांव में बरसात बिल्कुल नहीं हुई। ६१५ गांव ऐसे हैं जिनमें बरसात हुई पर महीने भर से बरसात फिर नहीं होने से फसल जलती नजर आ रही है। १५० गांव ऐसे हैं जिनमें ऊंचा बाजरा है, हरा भी दिखता है पर १५ दिनों में बरसात नहीं हुई तो यह फसल पकने के आसार नजर नहीं आते।

इस तरह से राजस्थान के पांच जिलों में यह स्थिति पैदा होती जा रही है कि सम्भव है हमें अकाल की स्थिति का सामना करना पड़े।

जैसा माननीय सदस्य जानते हैं पिछले वर्षों में राजस्थान में अकाल लगातार रहा है। राजस्थान में ६३-६४ में ८७१५ गांव अकालग्रस्त थे, ६५-६६ में १०८८० और ६६-६७ में ९७१५ और ६७-६८ और ६८-६९ में २४०८ गांव अकालग्रस्त हैं। यह स्थिति ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में ही थी इसलिये पिछले वर्ष में जो कुछ भी हमने कदम उठाये थे वे भिन्न परिस्थितियों में थे क्योंकि उन इलाकों में पहले बाढ़

(श्री परसराम मदेरणा)

अकाल की स्थिति नहीं थी। दूसरे साल हुई। उसका सामना करने के लिये राजस्थान सरकार ने कदम उठाये और वे कारगर साबित हुई।

आज जैसलमेर जिला पूरा का पूरा अभावग्रस्त हो गया है। नतीजा यह हुआ ५१२ गांवों में अकाल की स्थिति आज से नहीं, कई गांवों में तो आज पांचवां साल है, कइयों में छटा और कइयों में सातवां साल है। हबकोर के कुछ गांवों में नवमां साल है। कुल मिला १/४ गांवों में चौथा साल अकाल का है। जोधपुर में कई गांवों में पाचवां साल, बाड़मेर में कई गांवों में तीसरा साल लगातार अकाल का चल रहा है।

अकाल के इस मीनेस को मीट आउट करने के लिये क्या किया जावे, सरकार इस बारे में गहराई से सोच रही है और सतर्क है। १२ तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के कलेक्टरों की मीटिंग की और पूछा कि बरसात नहीं होने से इन जिलों में करीब-करीब अकाल की स्थिति पैदा हो गई है इसके लिये वे क्या राय देते हैं। १५ अगस्त के बाद १६ अगस्त की रिपोर्ट लेकर ३१ अगस्त तक अकाल राहत कार्य चालू करने के आदेश दिये। इसके बाद उनको ये भी आदेश दिये कि हर हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट भेजते रहें कि जिले में क्या स्थिति है।

इन पांच जिलों में जो स्थिति बन गई है उसमें सबसे भीषण समस्या हमारे सामने कैटल को प्रोजर्व करने की है। इन मवेशियों के संरक्षण के लिये कुछ प्रयत्न भी किये हैं, चारा भी भेजा था पहले। पर अब ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गई है कि न कहीं हरा घास पैदा हुआ है न पहले का अधिक बचा है। बाड़मेर में हिन्दुस्तान की अच्छी नस्ल की गायें हैं। थारपारकर और राठी ब्रीड है बीकानेर में इन नस्लों को संरक्षण देना हमारा पहला कर्त्तव्य बन गया है। इसके लिये राज्य सरकार ने सबसे पहले यह आदेश दिया है कि जितने भी राजस्थान में बीड़ हैं फोरेस्ट विभाग और पंचायत समितियों के पास और जितने चरागाह हैं उनको नीलाम नहीं किये जायं। उनकी विभाग के द्वारा ही कटाई की जावे और इसके लिये धनराशि भी सरकार ने स्वीकृत कर दी है ताकि आने वाले समय में घास मिल सके। देर होने से नहीं मिलने वाला है। यह फिर भी दो लाख मण मिलने वाली है, फिर भी हम और प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दूसरे प्रदेशों के प्रोपोरशन में मवेशी ज्यादा हैं। पूरे देश का १.१४ का प्रोपोरशन होगा तो जैसलमेर का १.१९ का होगा। बाड़मेर का १.१६ का है। इस तरह मवेशी ज्यादा है। हमने दूसरे इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं, पंच, सरपंचों को अलग-अलग पंचायतों में माइग्रेट करने के टारगेट मुकर्रर किये हैं। बरसात नहीं हुई तो इन इलाकों में भी अगले सात-आठ दिनों में स्थिति बिगड़ने वाली है। फिर तो चारे की कमी का संकट भी सामने आवेगा। उसको कैसे मीट किया जावे इस सम्बन्ध में हम सबके सुझाव आमन्त्रित करेंगे।

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की सरकार को हमने लिखा है कि वे जितना चारा हमें उपलब्ध करा सके करावें। रेलवे के भी हम संपर्क में हैं कि वे हमें कन्सेशनल रेट पर चारा लाने के लिये

Page No. 111

(श्री परसराम मदेरणा)

वेगन उपलब्ध करावें और एडोक्वेट नम्बर पर टॉप प्रायरिटी बेसिस पर दे ताकि इस चारे के मीनेस को मीट आउट कर सकें।

इसी तरह भारत सरकार को लिखा है कि वह जहां कहीं से भी उपलब्ध हो सके चारा उपलब्ध कराए और इसके लिये अपने गुड ऑफिस यूज करें।

इसी तरह माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्राइम मिनिस्टर से भी सम्पर्क स्थापित किया है कि वे राजस्थान के उन इलाकों को खास तौर से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के गांवों की प्रभावग्रस्त स्थिति का स्वयं निरीक्षण करें। इसका अध्ययन करें। प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है। उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तारीख तय नहीं हुई है पर उम्मीद है अगले पन्द्रह दिनों में प्राइम मिनिस्टर राजस्थान के उन अकालग्रस्त इलाकों का स्वयं अध्ययन करने आवेंगी।

इस अकाल को मीट आउट करने के लिये बहुत बड़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी।

मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान के किसी जिले में नहीं है लेकिन आज मैं अजमेर जिले को स्थिति पर कह सकता हूं उसमें स्थिति आज ऐसी है कि अगले कुछ दिनों में बरसात नहीं हुई तो वहां मैं समझता हूं कि सारा का सारा जिला ही अकाल की चपेट में आ जायेगा। यही स्थिति जयपुर जिले की है और यही स्थिति झुंझुनूं जिले की है और दूसरे जिलों की भी है। इसलिये इस समस्या के बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मानवीय काम है और बहुत बड़ा ह्यूमन कॉज है जिसके लिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि पार्टी एफिलियेशन से ऊपर उठ कर राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिये राजस्थान के लाखों लोग जो कि इससे बेकार होने वाले हैं उनको राहत देने के लिये और राजस्थान के हजारों गांवों में जो पीने के पानी की समस्या खड़ी होने वाली है उसको लेकर और राजस्थान के पशुओं को अलग-अलग इलाकों में ले जाकर बचाने को जो स्थिति है उसमें मैं माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करता हूं।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने अकाल के बारे में एडजर्नमेन्ट मोशन इस सदन में रखे थे। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं और स्वयं राज्य सरकार इसको रियेलाइज कर रही है कि फैमिन को स्थिति बहुत भयंकर है और जो बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है वह राजस्थान के सभी लोगों को साथ बैठ कर हल करना है तभी हम इस संकट से पार हो सकते हैं।

इसी प्रकार से बाढ़ के सम्बन्ध में सवाई-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे। मैं उनकी भावनाओं की भी कद्र करता हूं और जो भी इस ओर किया जा सकता है और आपके सुझाव होंगे उनके ऊपर विचार करके राज्य सरकार अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेगी और दूसरे माननीय सदस्यों का सहयोग इस बाढ़ के सम्बन्ध में और आने वाले संकट का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार लेगी।

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान में इतना बड़ा अकाल इतने बड़े पैमाने पर, इतनी ज्यादा जनसंख्या और पशुओं की संख्या अकाल के चपेट में आने वाली है शायद पहले कभी नहीं आई होगी और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमें सबको युद्ध स्तर पर आना पड़ेगा। लेकिन तो भी राज्य सरकार कितना भी करे उसमें कमियां रह सकती हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि हमेशा सदन में यह प्रोसीजर रहा है कि किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति हो उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से जब वक्तव्य दिया जाये तो उसके बारे में हमेशा और पिछली विधान-सभा में पूरे सत्र में मैंने जो देखा वह यही प्रोसीजर देखा कि जो भी प्रस्ताव कार्य सूची में दिया है, सिर्फ उसी को पढ़ कर फिर वास्तव में हाउस के अन्दर इसका विचार किया जाता है और सब तरफ से सुझाव आने के बाद राज्य सरकार का बाद में जवाब होता है। लेकिन आज पहले राज्य सरकार का जवाब हो गया है ऐसा लगता है और क्या हम माननीय मन्त्री महोदय के जवाब देने के बाद अपनी स्थिति रख सकेंगे और फिर बाद में मन्त्री महोदय जवाब देंगे? मैं यह जानकारी चाहता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और दे दें कि कुल इफेक्टेड गांव अकाल से कितने हैं?

श्री उपाध्यक्ष : करीब-करीब पूरे राजस्थान को बताया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मोशन मूव किया है ..

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कहें।

श्री परसराम मदेरणा : कि अकाल और बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाये तो जो भी आज की वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति से सदस्यों को जानकारी कराने के लिये मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। ऐसी सदन में भी परम्परा रही है ....

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य तो यह कह रहे हैं कि आप सब ही कह देंगे तो उनको क्या कहने देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जो मुद्दे यहां उठायेंगे उनका जवाब देने का अवसर तो मुझे चेयर की तरफ से मिलेगा ही ऐसी मैं आशा करता हूं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए इस मोशन को मैं मूव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं कि जो मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है उसमें केवल एक बात और बता दें कि आपने बाढ़ के सम्बन्ध में भारत सरकार से कितनी सहायता मांगी थी और कितनी सहायता आपको मिली ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। यह बात मैंने सदन में बताई थी। अच्छा होता कि माननीय सदस्य यहां उपस्थित रहते। कितनी सहायता मांगी है यह तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया दिया है जब कि स्टेडी टीम की रिपोर्ट भारत सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं हुई है। यहां की स्थिति को देखते हुए १ करोड़ में से ५० लाख तो ऋण के और ५० लाख अनुदान

(श्री परसराम मदेरणा)

के रूप में राज्य सरकार को दिये हैं और हमें आशा है कि स्टडी टीम की रिपोर्ट भारत सरकार को पहुँचने के बाद और उस पर विचार होने के बाद में वह धनराशि हमें उपलब्ध होगी।

श्री भैरोंसिंह : सुनने वाली बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह था कि भारत सरकार को आपने कितनी धनराशि देने के लिये लिखा है ? कितना नुकसान आपने एस्टीमेट किया है और आप भारत सरकार से कितनी सहायता लेना चाहते हैं ? क्वेश्चन यह है।

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग विभाग की तरफ से जितनी भी रोड्स को क्षति हुई या ब्रीचेज हुए, रोड्स में और ब्रिजेज में और कल्वर्ट्स में, नहरों का हुआ, सरकारी बिल्डिंगों का हुआ, पंचायत समितियों की बिल्डिंग का नुकसान हुआ और इसके साथ ही साथ काश्तकारों को व्यक्तिशः नुकसान हुआ और पशुधन की क्षति हुई, मकान टूट गये, पक्के मकान टूट गये इस प्रकार का तखमीना बना कर हमने भारत सरकार को दिया है। इस समय मेरे पास अलग-अलग विभाग के आंकड़े नहीं हैं और वह करोड़ों रुपयों में हैं। मैं कल जिस समय जवाब दूंगा उस समय बता दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें जो स्टेटमेन्ट आपने रिलीज किया है उसमें प्रभावग्रस्त गांवों के आंकड़े दिये हैं लेकिन मौजूदा सूरत में जो अकाल की स्थिति है अतिवृष्टि के कारण, राज्य सरकार बताये कि उससे कितने गांव प्रभावित हुए हैं ? यह जब तक इत्तला नहीं आती तब तक कैसे विचार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है। भाषणों की समय-सीमा १५ से ३० मिनट। अगर कल बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी तो कम समय बढ़ा दिया जायेगा।

श्री किशनलाल शाह !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है। सारी बहस हो गई और माननीय मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट अभी भिजवाया है। इस पर बहस कैसे होगी ? हम उसे पढ़ नहीं सके। यह क्या जिस समय सदन में आये उस समय दे दिया और उसे पढ़ लें ? यह कैसे पढ़ लें ? इसमें बहुतसी जानकारी कम्परेटिव लेनी थी वह नहीं ले पाये हैं। केवल आपके स्टेटमेन्ट को प्रामाणिक मान लें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कल ५-३० बजे एक माननीय सदस्य ने यह चाहा था कि मैं एक नोट सर्कुलेट करूं। मैंने कल भी निवेदन किया था कि यदि हम इस स्थिति में हुए तो जरूर नोट सर्कुलेट कर देंगे। यह सम्भव नहीं था सचिवालय के द्वारा कि सुबह वितरित कर देते। इसलिये मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन किया था कि अगर मैं क्वेश्चन आवर के आसपास सर्कुलेट कर दूं तो एतराज तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि कोई एतराज नहीं है। लेकिन नोट सर्कुलेट होना चाहिये। मैं भरतपुर (बैर) से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप अपने विचार कल प्रस्तुत कर लें, रात को पढ़ लें और जो दूसरी सूचनायें आपको लेनी हैं वह भी ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है अकाल का सम्बन्ध, बाढ़ का सम्बन्ध देखने से है, पढ़ने से नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : देखने का मौका है इनके पास, आज रात को देख लेंगे।

श्री किशनलाल शाह (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ की घटना का चित्र प्रस्तुत करूं और माननीय राहत मंत्री के वक्तव्य की शल्य चिकित्सा करूं उससे पूर्व मेरे क्षेत्र की एक भौगोलिक स्थिति का एक सीधा-सादा और संक्षेप में वर्णन कर देना उपयुक्त समझता हूं।

नावां क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थान की अरावली पहाड़ी की श्रेणियां यत्र-तत्र फैली हुई हैं। पुराने जमाने के अन्दर डाकू और चोरों से सुरक्षा, और जो आपस की सीमा बन्दियां थीं उनको दृष्टिगत रखते हुए गांवों की बनावट पहाड़ों की तलहटी में हुआ करती थी, पहाड़ियों के बीच की घाटी में हुआ करती थी, और यह स्थिति आज भी है। नावां के इर्दगिर्द पांचवा, मारोत, खुशिया, पांचोता, घाटवा, उडीन, राजलिया यह हलके हैं, जहां सब जगह पहाड़ियां आई हुई हैं और पहाड़ियों के दोनों ओर गांव बसे हुए हैं। भौगोलिक आधार पर नावां क्षेत्र जो है उसका ढाल सीकर की तरफ, सीधा जिले की तरफ है और पश्चिम की तरफ जो पानी का बहाव है वह नावां क्षेत्र में जाता है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा अन्दाज लगाइये, तो यह एक ऐसी भूमि का क्षेत्र है जिसका पश्चिमी और उत्तरी हलका पहाड़ों से घिरा हुआ है और पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा पहाड़ों के समकक्ष रेत के टीबों से घिरा हुआ है। उसकी भौगोलिक स्थिति कटोरे के माफिक है। कटोरे की स्थिति जैसी होती है, वैसी ही कुछ स्थिति नावां की है। नावां की स्थिति ऐसी है कि सीकर की ओर का, चारों दिशाओं की ओर का जितना बहाव का पानी आता है वह दक्षिण की ओर होकर नावां क्षेत्र की ओर गुजरता है। नावां क्षेत्र का पश्चिमी हलका है, जहां पहाड़ हैं व पूर्वी हलका सीकर की तरफ से आने वाले जल प्रवाह के ढाल के बीच में पड़ता है। यह भौगोलिक स्थिति है पांचवा की, इसके तीनों तरफ पहाड़ है और नाला गांव के दोनों तरफ है। मारोत में पहाड़ी है और नाला गांव के बीच होकर निकलता है। दोनों तरफ ऐसी स्थिति है। ऐसी ही स्थिति राजलिया और पांचोता गांव की है। इसके विपरीत दूसरे तथ्य हैं कि नावां क्षेत्र में वर्षा की औसत है वह हमेशा से साल भर

(३. ४३. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

में दस इंच, ग्यारह इंच रही है। कुछ इन पांच-दस सालों से इस औसत में कुछ बढ़ावा आया है और गत वर्ष तक साल भर की बरसात की औसत थी वह चौदह इंच के बराबर थी। एक समय था जब कि सन् १६२६ की बात है, सात रोज बराबर बरसात के गिरने से समस्या उत्पन्न हुई थी लेकिन वह ऐसी बरसात थी जैसे रिमझिम-रिमझिम होती है, सात रोज तक कुल मिला कर ग्यारह इंच बरसात हुई थी। उस वक्त हमारे नावां के बीच में होकर जो नदी निकलती है वह चालीस वर्ष पूर्व आई थी। उस वक्त ग्यारह इंच बरसात हुई थी और नदी नालों की आज स्थिति है वह

(श्री किशनलाल शाह)

स्थिति आज से चालीस वर्ष पूर्व आई थी। इसकी पृष्ठभूमि पर इस बाढ़ का मूल्यांकन करें, तो सभानेत्री महोदया, ११ तारीख को बरसात हुई। उस दिन का अन्दाज चार इंच का था। ११ तारीख शाम को चार बजे मूसलाधार बरसात हुई और रात के ११ बजे नदी के पाट में जो हजारों मवेशी बैठे थे, ऊंट वगैरह जानवर बैठे थे उस दिन रात को ११ बजे इतना-इतना, चवालीस फीट पानी आ गया। उसके बाद भी जब उसको निकलने की जगह नहीं मिली तो पांच बजे उस बाढ़ का रूप भयंकर हुआ और १२ तारीख की सुबह ८ बजे तक बरसात का औसत २४ इंच तक पहुँच गया और २८ घन्टे मे साढ़े उन्नीस इंच बरसात हुई। और फिर १२ को सारे दिन बरसात हुई और १३ को बरसात हुई। इस तरह कुल मिला कर ३१ इंच बरसात अब तक रिकार्ड की गई है। सभानेत्री महोदया, यह बात सही है कि हमारा हलका रेगिस्तानी है। बाढ़ जैसी मुसीबतों को सहने का अभ्यस्त नहीं है। अचानक रात को सोते हुओं को चपेट में ले लिया गया तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। वैसे १२ तारीख को ७ बजे जब बाढ़ का प्रकोप इतना भयंकर था, जल प्रवाह इतना क्रोधातुर, प्रलयंकारी और तूफानी रूप में था कि तीन-तीन सौ मन के दरख्त रबड़ की गेंद की तरह घूमते हुए जल में समा गये, ऊंट इस तरह से जिस तरह रबड़ की गेंद तैरती हुई जाती है उसी तरह जल की गोद में समा गये। छकड़े समा गये। सभानेत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकेंगी कि आठ-आठ फीट गहरी नींव वाले पक्के मकान उनकी जगह से बीस-बीस फीट रेत हट कर पत्थर, पट्टियां और बड़े-बड़े दरख्त इस तरह बह गये कि चार-चार फर्लांग तक उनका पता नहीं था, इतना सा पत्थर भी नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में क्या औकात थी, किसी मिलिट्रीमैन की, या किसी नौजवान की कि उसकी चपेट में आये हुए इन्सान को या माल असबाब को रोक सके। सुबह ८ बजे तो १२ तारीख को टेलीफोन का कनेक्शन था और हमारे माननीय मंत्रीजी ने जो तत्परता दिखाई उसका थोड़ा नमूना आप देखियेगा। १२ तारीख की सुबह ८ बजे हमने फोन करवाया है, जयपुर सेक्रेटेरियट को मुख्य मंत्री को करवाया, मुख्य सचिव को करवाया, जयपुर कलेक्टर को करवाया परन्तु चूंकि हम विरोधी दल वाले थे, हम हमारे मन में जानते थे, शायद हमारे टेलीफोन का असर नहीं होगा। तो इनके प्रतिनिधि, जो एकमात्र तहसीलदार था उस तहसीलदार के बारे मे कहूं कि सिवाय शराबखोरी और रिश्वतखोरी के वह कुछ नहीं करता। वह बाहर तक नहीं निकला और जब किसी तरह बाहर निकला तो हमने कहा कमबख्त, टेलीफोन तो करते तो वह इस तरह लड़खड़ाता हुआ टेलीफोन पर गया और वहीं पर जम गया। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, वह कुछ कह नहीं सकता था। इसके बाद रेडियो प्रचार प्रारम्भ हुआ : "नावां चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जलमग्न है, डूब रहा है, सैनिक किश्तियां पहुँच गयी हैं, नौकाओं से आदमी निकाले जा रहे हैं, बचाये जा रहे हैं, नावां खाली किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा है।" हमने सोचा यह हेलीकॉप्टर और राशन जो आये वे कहां गये ११ तारीख को इन्तजार की, कुछ नहीं हुआ। फिर वही रेडियो से

(श्री किशनलाल शाह)

प्रचार। १४ तारीख को भी प्रतीक्षा की, वही रेडियो से प्रचार कि हेलीकॉप्टर से राशन डाला जा रहा है। प्रचार जारी रहा। १४ तारीख को पांच बजे जिलाधीश नागौर पहुँचे—मि० इन्दु गोपाल सक्सैना और वे पहुँचते ही थाने में पहुँचे। हम लोग भी वहां पहुँचे। हमने उनको कहा कि नावां की हालत देखें। राशन की व्यवस्था करें, तो कहा कि बाद में सुनेंगे। परसों आऊंगा तब सुनूंगा। इस वक्त यह काम नहीं है। मिलिटरी आ गयी है कुचामन रोड से। नावां से मिलिटरी के आने के लिये रास्ता साफ कराइये तब मिलिटरी आ सकेगी। हमने सोचा मिलिटरी के लिये सिविलियन रास्ता साफ करें और वह भी बाढ़ग्रस्त लोग करें। बाढ़ग्रस्त लोगों को बचाने के लिये सैनिक ट्रक्स वाले यह अपेक्षा करें कि सिविलियन उनके आगमन के लिये रास्ता साफ करें! जिन लोगों के पास में शक्तिमान ट्रक्स हैं, मिलिटरी की स्वयम् की अपनी शक्ति है उसके लिये बाढ़-पीड़ित रास्ता साफ करें! हमने माथा ठोका यह कहां की बात है? तो उन महाशय ने कहा कि यदि आपको सैनिक सहायता लेना है तो आप यह करिये वरना आपको सैनिक सहायता नहीं मिल सकती। तो साथ मे एक कांग्रेस नेता महोदय बैठे थे जिनको वित्त मन्त्रीजी के चारण भाट समझ लीजिये या पिछलग्गू—अनुयायी समझ लीजिये। कलेक्टर महोदय ने कहा कि नेताजी महोदय, आप रास्ता साफ करवा देंगे। तो उन नेताजी महोदय ने भौंहें सिकोड़ीं और कहा कि यह हमसे नहीं हो सकता। कलेक्टर महोदय रात को चले गये। हमने उनसे कहा कि रास्ता साफ कर दें तो? उन्होंने कहा कि कल शाम तक आप करवा दीजिये हम मिलिटरी भेज देंगे। मजबूरन सौ मजदूर जो स्वयम् बाढ़ग्रस्त थे वे इतने दुखी थे फिर भी दस मील तक पचास-पचास फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए थे उनको पाटते हुए सौ आदमियों ने जाकर दस मील के रास्ते को ठीक किया। उन्होंने कहा था कि मजदूरों को भूंगड़े, चाय, पानी, नाश्ता हम दे देंगे। अफसोस की बात है कि चाय तो क्या एक दाना भूंगड़े का भी उन लोगों को नहीं मिला। और नावां में आकर उन्होंने अपनी व्यवस्था की। और खाना खाया। १५ तारीख को रिपोर्ट की गई। १६ तारीख को ११ बजे मिलिटरी के ६ ट्रक और कुछ जवान आकर सामने नगरपालिका में ठहर गये। आते ही पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले चाय पीयेंगे। जो सिविलियन थे, बाढ़ग्रस्त लोग, जो सहायता करने वाले थे उन्होंने उनकी चाय की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि यह क्या? हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं, राशन नहीं, कोई खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है। १६ तारीख को फिर कहा कि भूणी का रास्ता साफ कराओ, फिर जावेंगे। सिविलियन गये और जीप, ट्रक निकलने का रास्ता तय किया। उसके बाद में चार बजे मिलिटरी रवाना हुई और पीछे-पीछे कलेक्टर महोदय भी ६ बजे पहुँच गये। उनको कहा गया कि आप गांव की हालत तो देखिये। उन्होंने कहा कि क्या देखना है, होना था सो तो हो गया। किसी के पास ट्रान्जिस्टर है क्या उन्होंने पूछा? एक आदमी ने कहा कि है। तो कहा गया कि तुम लाओ। जिलाधीश महोदय, एस० पी० महोदय, एस० डी० ओ० महोदय, तहसीलदार महोदय, सरकारी अधिकारी कुर्सियों पर बैठ गये और एक नावां का आदमी जो नौकरी करता है वह खड़ा रहा और उसने उनको

(श्री किशनलाल शाह)

ट्रान्जिस्टर सुनाया। ट्रान्जिस्टर में वही बात कि हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा है, सैनिक ट्रक पहुँच गये हैं, किश्तियों से लोगों को बचाया जा रहा है और जिलाधीश महोदय बाढ़ग्रस्तों की सहायता में लगे हुए हैं और फावड़े चला रहे हैं जब कि उनकी शक्ल भी नहीं थी। जब दूसरी जगह के समाचार आने लगे तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि अच्छा २ ठीक है, सुन लिया। बन्द करो। उन्हें अपना प्रमाण पत्र लेना था। मुख्य मंत्री महोदय यहां नहीं हैं मैं उनसे ही प्रश्न पूछता क्योंकि खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री तो नोटंकी है। मैं उनसे पूछता कि यह आई० ए० एस० का केलिबर है? जो ऑल इण्डिया रेडियो से प्रचार हुआ है वर्ल्ड वाइड कि बाढ़ग्रस्त लोगों के लिये यह हो रहा है, वह हो रहा है, राशन गिराया जा रहा है हेलीकॉप्टर से जब कि एक दाना भी नसीब नहीं था। बिल्कुल इनका थोथा और झूठा प्रचार था और यह मिथ्या प्रचार कलेक्टर की केलिबर के आदर्मा द्वारा कराया जा रहा है। यह केवल नमक लगाना नहीं है? किसको रोयें रोना? जब यह कहा गया कि आप क्या करते हैं तो आप मोटर में बैठ गये, कहने लगे सोचेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! १५ मिनिट हो गये।

श्री मदनसिंह (दांता) : बड़ा गम्भीर विषय है। नमक तो लग गया।

श्री किशनलाल शाह : समय के अभाव में मुझे कहने की जरूरत नहीं है तो मुझे भी यहां कहने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सुनती नहीं है और आप अवसर नहीं देते हैं तो सदन में बैठना ही फिजूल है।

श्री मदनसिंह (दांता) : यह तो शासन की आदत पड़ी हुई है।

श्री किशनलाल शाह : और जब उनसे कहा गया कि सोचेंगे कब? तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट सोचेगी तब करेंगे। सभानेत्री महोदया, मुझे क्षमा करना, हम भी उस जगह से आये हैं। कलेक्टर को झटका देकर मोटर से उतारा गया। उनसे कहा गया कि आपको सहायता करनी है। आपका थोथा और झूठा प्रचार, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपका राशन और हेली॰ कॉप्टर कहां गये? देवता तो नहीं खा गया? पब्लिक वालों ने घेराव कर लिया और उनको निकलने नहीं दिया एस० पी० और कलेक्टर को, डर से तब कहा गया कि नावों में जाकर व्यवस्था करूंगा। ९ बजे रात्रि को वायरलेस से मुख्य मंत्रीजी से बात की। यह १९ तारीख की बात है। ११ तारीख को बाढ़ आयी। १ तारीख से लेकर १५ तारीख तक प्रत्येक गांव एक-दूसरे से कटा हुआ था और गांव वाले अपनी आपस की मदद से ही चार रोज निकाल

(४ म० प०)

सके। इसलिये माननीय मंत्री महोदय आपका यह कहना कि बाढ़ पीड़ितों को हमने सहायता दी है, १५ तारीख से इसका श्रेय लेना आपका मूर्खतापूर्ण होगा। इसका श्रेय गांव वालों को है। आप राजनैतिक दल के तौर पर इसका श्रेय लेने के हकदार नहीं हैं। १९ तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर में खेतसिंहजी को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो राजनैतिक अस्तित्व ही

(श्री किशनलाल शाह)

जा रहा है। विरोधी दल लोगों को सहायता कर रहे हैं। पीने, खाने का प्रबंध कर रहे हैं। अपना राजनैतिक अस्तित्व खतरे में समझकर घण्टी बजाई। उसका नतीजा यह हुआ कि १७ तारीख को कुछ नहीं हुआ। १८ तारीख को हेलीकॉप्टर का प्रबन्ध करके वित्त मंत्रीजी अपने मुसाहिबों के साथ कठपूतली का नाटक करने वहां पहुंच गये। वहां उन्होंने फख से नारा दिया, तुम भी चिल्लाओ, भारत सरकार को यह बताने के लिये कि कितनी मुसीबत है। उन्होंने वहां पर लोगों से कहा "एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें ७००० का माल है।" उसमें से क्या निकला ? दो बोरी, दो मन पूड़ी, चार पीपे आचार के और चालीस पीपे तेल के। यह ७००० का माल निकला। यह तथ्य आपके सामने है। १२, १३ तारीख को हेलीकॉप्टर से खाना गिराने का प्रचार रेडियो से किया गया।

श्रीमती सभानेत्री (सदस्यों द्वारा व्यवधान करने पर) : माननीय सदस्य ! आप इनको बोलने दीजिये।

श्री किशनलाल शाह : किन्तु वह दिन नहीं आया। जहां लोग सात दिन से आधे भूखे, एक-एक मुट्ठी चना खाकर जो लोग रह रहे थे, उनके बीच में बैठकर वित्त मंत्रीजी ने उत्साह से लम्बी-लम्बी बातें कहीं। वे हेलीकॉप्टर से आये, आम खाये और वहां कोकाकोला पीया। आम खा पीकर कुचामन में जाकर बैठ गये। वहां जाकर एक कमेटी बना दी। एलान हुआ कि इस कमेटी के द्वारा ७ रोज का राशन फ्री, निःशुल्क दिया जायेगा। आप दीजिये लेकिन दूसरी बात शुरू होती है। उस मीटिंग में वित्त मन्त्रीजी के और प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष के चेले-चट्टे नहीं थे, राजनैतिक जाजम पूरी तौर पर नहीं बिछी थी। इसलिये उन्होंने एक नाटक रचना शुरू कर दिया। ७ रोज तक राशन निःशुल्क देने की बात अभी मन्त्री महोदय ने भी कही है। लेकिन वहां की राजहवेली में तय हुआ। इसके लिये एक परन्तुक-प्रोवीजो लगा दिया गया। वह यह कि किसी भी परिवार को ढाई किलो से ज्यादा राशन नहीं दिया है। किसी के परिवार में दस आदमी हों, तो भी वह २॥ किलो में ही सब्र करें। इसका आधार रखा आधा किलो प्रति यूनिट और वह एक हफ्ते के लिये। और यह एक हफ्ता नावां, कुचामन और भूणी इन तीनों स्थानों में ही राशन दिया गया। पार्टीबाजी हुई, बदमाशी हुई। पूर्वी हिस्से में जहां नदी बह रही थी, उस नदी ने वहां २६ तारीख तक रास्ता नहीं दिया। वहां यह राशन नहीं दिया गया। वे लोग २६ तारीख के बाद पहुँचते हैं, नदी पार करके। किसी गांव से २०, किसी गांव से ३०। तहसीलदार से मिले। तहसीलदार ने कह दिया, एक हफ्ते का ही था, वह बन्द हो गया। नावां, कुचामन, भूणी में देने के बाद भी नहीं दिया गया। २६ तारीख के बाद पूर्वी हिस्से की तरफ आवागमन शुरू हुआ और इतने में राशन देने का समय समाप्त हो गया। २३ तारीख के पहले, १८ तारीख को जो कमेटी बनाई गई, उसमें मैं भी एक मेम्बर था। सेवा समिति का सदस्य था। २१ तारीख को मुख्य मन्त्रीजी वहां पहुँचे। उनके साथ वित्त मन्त्रीजी पहुँचे, चीफ सेक्रेटरी, पूरी केबिनेट का अमला वहां पहुँचा, ऐसा लगा मुख्य मन्त्री मानो तोरण मारने जा रहे हों। उनके साथ २८ मोटर गाड़ियां थीं,

(श्री किशनलाल शाह)

न मालूम क्या-क्या अमला उनके साथ था। उनके बाद एक मिनिस्टर और आये। उनके बाद दूसरे मिनिस्टर तीसरे मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के दौरे पर दौरे हो गये। उनके बाप का क्या बिगड़ा ? जनता का धन था। पेट्रोल का अनापशनाप खर्चा किया। दौरे पर जितना पैसा खर्च हुआ, अगर सरकार वह पैसा गरीबों को दे देती तो उनको दो-दो टैम का खाना मिल सकता था। इसके बाद इस कमेटी को भंग कर दिया। हेलीकॉप्टर से चन्द्रलोक के देवता उतरे २१ तारीख को और उन्होंने इस कमेटी को भंग करके माणकचन्दजी कोठारी जो वित्त मन्त्रीजी के खासमखास हैं, श्री बृजमोहनजी धूत जो वित्त मन्त्रीजी के चरण में बैठते हैं और श्री हनुमानसिंह चौधरी...इनको कमेटी में रखा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय गायब हैं, यह स्थिति है। मक्खियां उड़ा रहे हैं।

श्री मदनसिंह : सदन में राजस्थान के बाढ़ से ग्रस्त पीड़ितों के बारे में चर्चा हो, और मन्त्री लोग यहां नहीं हों, यह लज्जा की बात है।

श्री दौलतराम सारण : यह मानवीय दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है। ये मंत्री लोग मानवीय दृष्टिकोण का उपहास करते हैं। राजस्थान अकाल में जल रहा है, राजस्थान अकाल से नष्ट हो रहा है किन्तु इनको इसकी परवाह नहीं है। अन्दर बैठे-बैठे माल खा रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार को पैसे का अभाव है किन्तु इनके पास समय का अभाव है।

श्री मदनसिंह : सम्बन्धित मन्त्री इस स्थिति पर स्टेटमेंट देंगे। वे भाषण नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे। उन्हें तो यहां होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मन्त्रीजी, पानी पीने गये हैं। अभी गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : जनता भूखी बैठी है। वे थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते। जनता इसको बरदाश्त नहीं कर सकती।

एक माननीय सदस्य : मन्त्रियों की कारें इनके लड़के सड़कों पर लेकर घुमते रहते हैं। ये मिनिस्टर की कारें हैं। उनके पास होनी चाहियें। हवाखोरी के लिये नहीं दी हैं। यह शर्म की बात है। उनको यहां पर होना चाहिये। बाढ़ से लोगों की जो क्षति हुई उसको सुनना चाहिये। ढोल पीटते हैं कि हमने यह किया, यह किया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी-सु०) : मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं। आसन क्या उनको आज्ञा देगा कि ऐसी बहसों के अन्दर, जब कि यहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पर बहस हो, मैं प्रार्थना करूंगा कि आसन उनको यहां रहने के लिये आज्ञा दे। इस बात के लिये मेरी मांग है। आसन इस पर गौर करके आज्ञा देगा ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री किशनलाल शाह : सभानेत्री महोदया, २१ तारीख के बाद में कमेटी को भंग कर दिया गया। कलेक्टर और दूसरे नेताओं को

(श्री किशनलाल शाह)

उतार दिया और दूसरा आधार तय किया गया। अब उधर का थोड़ा सा नक्शा बता दूं। १९ तारीख को मिलिटरी आई और भूणी में गई। तो वह कटोरी की तरह जलमग्न था। उनको कहा गया कि एक तरफ से काट कर पानी का निकास किया जाय। मिलिटरी ने जवाब दिया, हम तो पानी में डूबने वालों को बचाने के लिये आये हैं। फावड़ा चलाने का हमारा काम नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ ? यह खर्चा बेकार गया। लोग जल में बैठे रहे। १५ ता० को ही अधिकारियों को बता दिया गया था कि इस सैनिक टुकड़ी का कोई उपयोग नहीं था। १२ तारीख से १३ तारीख और १४, १५ व १६ तारीखों तक सैनिक टुकड़ियां नावों से बचा रही थी इसलिये उसका सबूत क्रियेट करने के लिये २२ ता० से २६ ता० तक मिलिटरी वालों ने उस झील में बढ़ कर फोटो ली। एक हेलीकॉप्टर वित्त मन्त्रीजी का गया उस समय उस एक ही हेलीकॉप्टर की ४० फोटुएं लीं यह दिखाने के लिये कि कितना काम किया है। एक हेलीकॉप्टर की ४०-८० फोटुएं लेना यह एक विडम्बना है और अपने आदमियों को, अपने सरपंचों को, अपने कार्यकर्त्ताओं को सामग्री वितरित की गई। गरीब आदमी भूखों मर गये और उसके बाद असली सहायता ३ तारीख को की गई। अभी माननीय राहत मन्त्रीजी ने कहा है कि श्रेणीबद्ध किया है। श्रेणीबद्ध में पानी में जो जलमग्न है और जहां हेवी-रेन फॉल से कोलेप्स हो गई है उनकी अलग-अलग श्रेणी बनाई है। नावों में नदी की चपेट में नहीं निकल सके उनको भी १० चद्दर। उनके कई पिछलग्गू थे जिनका बाल भी बांका नहीं हुआ था, उनको भी चद्दरें दी गई क्या यह आपकी इन्सानियत और मानवीयता की दृष्टि है ? समाजवाद का ढोंग पीटने वालों, क्या यही समाजवाद है ? भूखे आदमी को तरसा कर भरे हुये पेट वालों को देना क्या समाजवाद की श्रेणी में आता है ? अपने फर्जी वोटरों को सहायता दी जाती है। भूखे आदमियों पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है और बिना वजह मोटर का पेट्रोल खर्च किया जाता है तो सभानेत्री महोदया, मेरी आत्मा कहती है कि इन मोटी तूंद वालों का कभी भला न हो। ये मोटी तूंद वाले अपनी तोंद और बढ़ाने में लगे हुये हैं। सबसे बड़ा घोटाला तो इन चद्दरों के वितरण करने में हुआ है। इसमें चार पार्टियां बन गईं और मेम्बरों के हिसाब से वितरित की जाती हैं। इसमें पहले प्रधान को, फिर उनके चट्टे-बट्टों को और फिर उनके चाटुकारों को। इस प्रकार धांधली मचाते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आज प्रोग्राम कहां का है तो कहने लगे वार्ड नं० १२ का है। अब हम वार्ड न० १२ में ७ बजे पहुंचे तो कहने लगे वार्ड नं. ११ में गये और जब हम वार्ड नं. ११ में पहुंचे तो पता चला कि अहाड़पुर की तरफ प्रोग्राम था वहां चले गये। सभानेत्री महोदया, ये अपना सही प्रोग्राम नहीं बता करके धोखा देते हैं। इसी प्रकार मनमाने तौर से किसी को १० चद्दरें किसी को २० चद्दरें, किसी को २५ चद्दरें बांट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उसके बाद सभानेत्री महोदया, एक नेता की दाल नहीं गली, क्योंकि वे फाल्ट सिल के खिलाड़ी थे उनको फाल्ट सिल पर नहीं बुलाया।

ये कांग्रेसी नेता पूंजीपतियों को सहायता देते हैं, न तो खुद करते हैं, न

(श्री किशनलाल शाह)

सरकारी गांठ से निकलवा कर देना चाहते हैं। ये तो पूंजीपतियों से ले लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पूंजीपतियों से तो लेते हैं ..

श्री किशनलाल शाह : आपके नेताओं ने चोरियां करके जो रुपया इकट्ठा कर रखा है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : धन्य हो ।

श्री किशनलाल शाह : चुनाव में आप लाखों रुपया लगा सकते हो और आपने पूंजीपतियों को सहायता दी है। उनके पैसे से आप चुनाव लड़ते हो, सरकारी गाड़ियों पर दौड़ लगाते हो । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप यह कह कर चले कि हम देते हैं हमारा माल है। राहत मंत्रीजी को चुनाव जिताने के लिये फर्जी आदमियों को दिया जा रहा है और सही आदमियों को छोड़ा जा रहा है। हमने शिकायत की कि अगर राहत मंत्रीजी में हिम्मत है तो इस सदन के ५ आदमियों को मनोनीत करके जांच करालें जांच कराने की बात आयेगी भी तो आप कहेंगे कि हम जांच करवा लेंगे, हमारी मशीनरी के द्वारा जांच करवा लेंगे । भला हो आपकी इन सरकारी मशीनरी का, इससे आप क्या जांच करवायेंगे ? कोई जांच का परिणाम इससे नहीं निकलता है।

केन्द्र से राहत कार्यों के लिये आप एक करोड़ रुपया ले लें और उस सारे रुपये को आप पेट्रोल और टी० ए०, डी० ए० पर खर्च करते हैं। गरीब लोगों की पुकार यूं की यूं ही रह जाती है। आज भी उन गांवों में राशन की कोई व्यवस्था नहीं, चद्दरों की कोई व्यवस्था नहीं। सभापति महोदया, आज ये स्कूल मुंह बांधे खड़े हैं आज आंसू आते हैं कहने में लेकिन इनको कोई शर्म नहीं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आती है सारे स्कूल नष्ट हो रहे हैं। मैं इतना पूछूंगा, सभापति महोदया, कि राहत मंत्रीजी अपने आंकड़ों के जाल जंजाल में न फंसाये। अजमेर, नागौर, झूंझुनूं, सीकर में अति वर्षा हुई। परबतसर सब डिविजन पूरा है। इनको कुछ नहीं दिया। आपने कह दिया कि मकानात की सहायता दे रहे हैं। उप-मन्त्री महोदय कान खोलकर सुन लें कोई मकानात की सहायता नहीं दी जा रही है। आप तहसील में ढिंढोरा पीटकर लोगों को गुमराह करते हैं कि मकानात की सहायता के लिये २० हजार रुपये दिये हैं। आप एक हजार रुपया एक को दे दीजिये....मैं कहता हूं १५० मकान कुचामन में हैं, १५० मकान भूणी में हैं। आप २० हजार की बात करते हैं। आज मैं स्पष्ट कह कर चलूंगा कि आपकी योजना स्कूलों के लिये तो क्या है ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेजर फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदया हमारी पार्टी में से समय काट लिया जाय लेकिन इनको समय दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आधा घन्टा निर्धारित किया हुआ है कोई भी मेम्बर ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री किशनलाल शाह : सभापति महोदया, ये रोज बोलते हैं। मैं तो कोई आज साल डेढ़ साल में बोल रहा हूं फिर भी मुझे नहीं बोलने दिया जाता है। इनको डर लगता है क्या मेरे बोलने से?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें तो डर नहीं लगता भले ही आप ४-५ घंटे बोलें लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है। आधा घंटा बोलते हो गया है आपको।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इनको तो (श्री गिरधारीलालजी व्यास) पुरानी आदत है। ये तो कभी-कभी बोलते हैं। सुनने की थोड़ी हिम्मत रखें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : टाइम लिमिट जो फिक्स किया गया है, उसकी पालना करें।

श्री किशनलाल शाह : मैं ५ मिनिट में समाप्त करता हूं। मुख्य मन्त्री महोदय जब नावां में गये थे वहां की स्थिति को देखकर उनके दिल में भी दया उठी थी। उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग बेघर हो गये हैं उनको सहायता दी जायगी। उस घोषणा के बाद ऑर्डर कर दिया लेकिन जमीनों का पता नहीं। ३०० रुपये मेटीरियल की सहायता के लिये थे। क्या राजस्थान सरकार जिनकी जमीन खरीदी है उनको उनकी कीमत के पैसे दे देगी? घोषणा के अनुसार कोई ३०० रु० मेटीरियल देने के लिये कहा था और उसके बाद में एक हजार रुपये प्रति मकान और कन्ट्रोल रेट्स पर दिये जाने वाले मेटीरियल का कोई पता नहीं कि कब तक देंगे, स्कूल कब तक खुलेंगे, मंदिरों की व्यवस्था क्या होगी। आपने कुओं की तकावी के लिये कहा था तो आपके पास २० या ३० हजार होंगे। आप देते दो को हो, ढिंढोरा पीटते हो कि सबको दे दिया। नावां और परबतसर में कुओं की तकावी के लिए, भवन निर्माण के लिए कितना दिया है? आपने वायदा किया था कि स्कूलों का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करेंगे, उसके लिए क्या योजना है और जिन्होंने बदमाशियां की हैं, उनकी छानबीन के लिए आपके पास क्या उत्तर है? और जिनको पार्टीबाजी के कारण छोड़ दिया गया है उसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदया, आज एक ऐसा गंभीर विषय है जिसके संबंध में मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चाहे वे किसी भी पार्टी के हों अगर तथ्यों को तोड़ कर बहस पर आ गए तो मोटा हल निकलने वाला नहीं है। जब चीन ने आक्रमण किया था और पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तो सरकार ने मांग की तो राजस्थान की जनता ने घरों से जेवर निकाले, बरतन निकाले, गरीबों के पास कुछ भी था एक चांदी का भी टुकड़ा था तो वह दे दिया। जब कभी देश पर आपत्ति आई तो राजस्थान की जनता ने त्याग का परिचय दिया। जब भी आप लोगों ने या हम प्रतिनिधियों ने मांग की तो उस समय उन्होंने त्याग और तपस्या का परिचय दिया।

(४.२३ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

क्या उसका एवज हम चुका पाए? हजारों वर्ष के बाद राजस्थान की जनता पर प्रहार हुआ प्रकृति का, मैं समझता हूं कि चीन की लड़ाई में इतना नहीं हुआ, चीन का हमला हुआ, हमारी फौजों ने मुकाबला किया, जनता पर उस हमले का इतना प्रभाव

Page No. 123

(श्री मदनसिंह दांता)

नहीं पड़ा जितना आज जनता इस प्रकृति के कोप के कारण दुखी हुई। मेरे गांव में एक १०५ वर्ष का पंडित रहता है उसने कहा, ऐसी भयंकर बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी जो उन्होंने ४८ घंटे के अंदर देखी। यह प्रकृति का आक्रमण था, मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं समझता, परंतु सरकार का क्या फर्ज हो जाता है ? आज वर्षों बाद राजस्थान की जनता पर इस तरह प्रकृति का कोप हुआ, उसमें किसी को ७ टिन दे दिए, मूंगफली दे दी, यह कोई राहत नहीं है। आपने तीन प्रकार के मापदन्ड रखे-जिसका घर ढह गया, जिसका घर धँस गया और जिसके घर में से नदी निकली। आपका मापदंड सही नहीं है। अगर नुकसान के हिसाब से आप मापदंड रखते तो राहत मिलती। जैसे एक आदमी है उसके पास काम की शक्ति है, एक आदमी है उसके पास पैसा है और एक ही घर है वह ढह गया है उसको ३८०) रु० मिल रहे हैं, उसको १० टिन फ्री मिल रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब है पांच घर ऊपर से गिर गये हैं, इसमें ५ आदमियों के घर ढह गए हैं इनका नुकसान ज्यादा हुआ है उसको १०० रु० मिल रहे है और एक आदमी जिसकी झोंपड़ी ढह गई है और साधन संपन्न भी है लेकिन थोड़ा बहुत पक्षपात के कारण उसको ३००) रु० फ्री देते हैं। जिसके १० घर ढह गए उनका आपने क्या मापदन्ड रखा ? उसी पानी में वह धंसा है, उसी पानी में वह बहा है, उसमें आपने फर्क रखा, यह सही नहीं है।

वहां मन्त्री भी आए, मन्त्रियों ने वायदा किया लेकिन वह पोलिटिकल वायदा रह गया। मन्त्रियों ने खुद कहा था कि इन क्षेत्रों को बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान के संबंध में लिस्ट बनी लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि जब तहसील लेविल पर लोगों को बुलाया गया तो दांतारामगढ़ में मंदिरों और मस्जिदों पर चढ़ा कर उनसे सौगंध दिलाई कि यह तुम्हारा घर है या नहीं। इस तरह का व्यवहार तो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के साथ भी नहीं हुआ। जहां मंत्रियों ने जाकर निरीक्षण कर लिया उसके बाद में इस तरह की उनकी जांच हो रही है। भगवान करे यह दिन मंत्री देखें तो उस दिन हम भी मंत्रियों को मंदिर व मस्जिद पर चढ़ाकर पूछेंगे। आपने भूमिहीनों के लिए एलान किया था भूमि का आवंटन निःशुल्क, लेकिन दांतारामगढ़ के अंदर ऐसा नहीं किया। जो किसान बाढ़ पीड़ित हैं उनसे पैसा लिया गया। मंत्रीजी आप सुन रहे हैं-न ? आपने एलान किया है कि जिन बाढ़ पीड़ितों को जमीन पर बसाया गया है उनको निःशुल्क जमीन दी है। दांतारामगढ़ में हर नागरिक को तहसीलदार के जरिए पैसे के आधार पर भूमि बसने के लिए आबंटित हुई है। वहां जिन हरिजनों को जो आबादी की भूमि घोषित करके कलेक्टर के जरिए बसाया गया था, पुलिस और एस० डी० ओ० के द्वारा उनको वहां से निकाल रहे हैं। कहते हैं कि उनकी प्रैस्टिज का कारण है। हम जानते हैं कि रामायण और गीता के अंदर अच्छी व्याख्याएं हैं लेकिन जब तक खुद रामायण और गीता का पाठ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री ने तीन हरिजनों के सम्बन्ध में वहां कलेक्टर और एस० डी० ओ०, सीकर को लिख दिया है, वे हरिजन वापस आए हैं और कहते हैं कि

(श्री मदनसिंह दांता)

मंत्री कुछ भी लिख दें वहां के अधिकारी तो अपनी जिद् पर हैं। जाति के आधार पर सब कुछ होता है। एक जाट है उसके घर के आगे यदि हरिजन बसा हुआ है गोचर भूमि पर तो उस पर जाट का कब्जा हो सकता है। तीन-तीन आॅर्डर्स राजस्व मंत्री के जाते हैं सीकर के एस० डी० ओ० को। हरिजनों को पुलिस के द्वारा हटाया गया। जिनके कुए बाढ़ से खराब हो गए, जिनकी मशीनें और इंजन आज भी पानी के अन्दर हैं, जिन पर आज भी २०-२० फीट पानी चढ़ा हुआ है वहां तहसील दांतारामगढ़ में उनकी कुर्कियां जो घर बैठे हुई हैं, उनके गहने, थाली, बरतन नीलाम किए जा रहे हैं। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि कम से कम बाढ़-पीड़ित होने के साथ ऐसा व्यवहार, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रजातन्त्र में ऐसा कानून नहीं होगा कि जिसकी जमीन नष्ट हो गई है, घर नष्ट हो गए हैं और कुए नष्ट हो गए हैं और उनकी मशीनें और जितने भी साधन थे, वे आज भी जल के अंदर हैं। उनके बीच जो बसे हुए घर हैं उनको दांतारामगढ़ तहसीलदार ने वहां जाकर पटवारी के जरिये नीलाम करवा दिया। आप हिन्दुस्तान में ऐसी कहीं नजीर नहीं पायेंगे। आप कहते हैं हमने बहुत एलान कर दिये लेकिन आपने देखा है उसको कार्य रूप में कहां तक परिणत हुआ है? अगर आपके इतना एलान करने के बाद भी उसकी कार्य रूप में परिणति नहीं होती है तो यह विरोधी दल का दोष नहीं है। यह दोष राज्य सरकार का होगा। आपने रुपये बांटे हैं आखिर उनका हुआ क्या, रुपया गया कहां, उसकी क्या हालत हुई, कभी आपने इस ओर भी ध्यान दिया है?

हाल ही में यह ढिंढोरा पीटा गया हाई-ब्रीड बाजरा बोया जाय, उसमें लम्बे-लम्बे पौधे खड़े होंगे। ढिंढोरा हाई-ब्रीड बाजरे का पीटा गया लेकिन उनको गलत बीज दिया गया। आज वहां की स्थिति यह है कि वहां पानी देने के लिये लोग तैयार हो गये। जब उसके लिये इलेक्ट्रिक देने की बात आई तो बड़े-बड़े इलेक्ट्रिक इन्जीनियर वहां पहुंचते हैं उनको बिजली के लिये जब कहा जाता है तो उनके कागज फाड़ दिये जाते हैं। उन किसानों को कहा जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। कोई मंत्री दे सकता हो तो उनसे मांगिये। तो बताइये आखिर उनके पास इसके अलावा और क्या साधन हैं?

मोलागा एक गांव है, वहां पर आपके वोट गिरे हैं, वहां पर सहायता पहुंची है। इसके अलावा आज तो ज्यादा आवश्यकता इस बात की है जिनकी जमीन बाढ़ से खराब हो गई अगर उनको सहायता नहीं दी गई तो उनकी बीस साल तक भी हालत ठीक नहीं हो सकती। दांतारामगढ़ और सीकर में काश्त बरबाद हुई है। जो लोग साधन-सम्पन्न थे उनके घरों पर टिन की चद्दरें चढ़ा दीं इससे क्या एहसान हो गया? आपने गरीब काश्तकारों को क्या राहत दी है और दे रहे हैं? यह देखने की बात है। मुझे मालूम है कि जहां गांव में चार घर गिर गये थे उनको दस टिन की चद्दरें दे दीं इससे क्या हुआ? काश्तकारों के लिये आपने क्या किया? जिस भूमि पर किसान का जीवन निर्वाह होता है उसकी भूमि नष्ट हो गई वह

Page No. 125

(श्री मदनसिंह दांता)

पर कम मिनिस्टर पूगे हैं। ऐसे कई गांव हैं, आप अगर ईमानदारी से जांच करवायें तो आपको पता चलेगा कई गांवों में काश्तकारों के कुए तक नष्ट हो गये, उनकी चाही जमीन नष्ट हो गई, जिस जमीन को बड़ी मेहनत से उन्होंने ठीक किया था उनके लिये आज तक कोई एलान नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके लिये अब भी कुछ एलान करें। मेरा सुझाव यह है कि अगर राजस्थान सरकार वास्तव में काश्तकार की मदद करना चाहती है तो एक बीघा के ऊपर उनको सौ रुपया दिया जाय इससे वे अपनी जमीन ठीक करा सकते हैं। यह आपको ज्ञात होना चाहिये किसी किसान के पास दस-पन्द्रह बीघा से अधिक चाही भूमि नहीं है। यही उनके जीवन का साधन था। इसलिये जब तक राजस्थान सरकार उनके लिये कुछ राहत का एलान नहीं करती धन्यवाद की पात्र नहीं कही जा सकती। आज बाढ़ से जिनकी भूमि नष्ट हो गई है वह दस साल तक भी उस पर काश्त नहीं कर पायेंगे। अतः उनकी सहायता अवश्य की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, लोगों की झोंपड़ियां धंस गई। ऐसे गांव हैं, ऐसे लोगों को भी कोई मदद नहीं दी गई। माननीय मंत्री यदि चाहें तो मैं ऐसी लिस्ट दे सकता हूं। आज हो क्या रहा है. जहां आपने सहायता दी है वे वे ही गांव हैं जहां पर आपको वोट मिले हैं। आज तहसीलदार और कलेक्टर भी उन्हीं गांवों तक उस सहायता को सीमित कर रहे हैं जहां आपको वोट मिले हैं। आज भी नेता लोग पहुँच जाते हैं और जिस तरह से वे चाहते हैं उसी प्रकार खर्च करवाते हैं। लेकिन दांतारामगढ़ में मैं उनकी दाल नहीं गलने देता। आपको मैं बता दूं। हम लोग वहां रात-रात जगे हैं, हमने किसी नेता को घुसने नहीं दिया, हमने अपने आप वहां की स्थिति को संभाला। लेकिन उसके पास के गांवों में बड़ा जुल्म हुआ है, वहां के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। वहां पर जिन लोगों को सहायता देनी थी उनको नहीं दी गई। बदनामी आपकी हो रही है। आप जांच करें तो आपको मालूम हो सकता है ऐसे कौनसे गांव हैं ...

श्री परसराम मदेरणा : आप कोई कोन्क्रीट बात बताइये। आप जिनके सम्बन्ध में कह रहे है अन्याय हुआ है। मुझे आप एक बात बता दीजिये किस व्यक्ति को राहत मिलनी चाहिये थी और नहीं मिली ?

श्री मदनसिंह : मैं आपका पर्दाफाश नहीं करना चाहता था लेकिन आप जब इस बात के लिये तैयार हैं तो आप लिखते जाइये।

मैं आपको दांतारामगढ़ की कहता हूं। आप वहां कहते हैं कि वहां वर्षा ज्यादा हुई लेकिन आपकी सहायता वहां डेढ़ महीने के बाद में पूगी है। ५१५ रुपये की सहायता पंचायत समिति ने दी, लेकिन वहां के निकम्मे तहसीलदार ने उसको भी वापिस ले लिया है। कोई सहायता के रूप में दी हुई राशि वापिस ले ले यह पहली नजीर है। इसके अलावा मोहल्ला खतरवास में जो लोगों को बसाया गया उनको फ्री लैण्ड नहीं दी गई। लोसल के पास बारण गांव में पंचायत द्वारा दी हुई जमीन पर जहां पर हरिजन बसे हुए थे वहां से उनको भी एस० डी० ओ०, सीकर ने रोंद कर निकाल दिया।

(श्री मदनसिंह)

इसी प्रकार नागौर के अन्दर ओहिल जागावार के जो गरीब थे जिनके मकान धंस गये थे उनके पास कोई सहायता नहीं पहुँची। पंच सरपंचों को दिया है जो साधन सम्पन्न हैं, जिनका कोई मकान धंसा नहीं है।

गांव कुचेरा से एस० डी० ओ० आये, उन्होंने आकर कहा वोट की टाइम तो आपने वोट दिया नहीं, हम आपको किसी प्रकार की मदद देने को तैयार नहीं। दांता-रामगढ़ में कट्टेरा जहां पर डेढ़ हजार की आबादी है वहां सहायता नहीं दी गई।

दांतारामगढ़ में बलाइयों को कोई सहायता नहीं पहुँची। दांतारामगढ़ के तहसीलदार ने लोगों को धक्के मार-मार कर घर से निकाला। और क्या पूछना चाहते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपाध्यक्ष): माननीय अध्यक्षजी, आज अकाल और बाढ़ के ऊपर सदन में चर्चा चल रही है। उसमें मैं अपने आपको कुछ अकालग्रस्त क्षेत्रों तक ही सीमित रखूंगा। खास तौर से बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं इन जिलों के लिये मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय को देना पसन्द करूंगा।

जब कभी अकाल पड़ता है तो सरकार करोड़ों रुपया 'अकाल सहायता' के रूप में खर्च करती है। पर फिर भी वे काम स्थायी प्रकृति के नहीं होते। अस्थायी रूप से लोगों को रोजगार मिल जाता है और वह समय उनका निकल जाता है। अगली फसल अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं तो शहरों की ओर मुंह देखना पड़ता है।

सही माने में कहा जावे तो स्वतन्त्रता के बाद में मरुस्थल के ये जो क्षेत्र हैं उनका विकास किस तरह से होना चाहिये इसके बारे में सरकार ने कतई तौर से विचार ही नहीं किया। सरकार ने अगर ध्यान दिया है तो कुछ लद्दाख में दिया पंजाब में दिया, राजस्थान में दिया, कच्छ की तरफ या आन्ध्र के छोटे-मोटे ऐसे इल के हैं उनकी तरफ दिया। पर अधिक कुछ नहीं किया। उन्होंने एक तो मरु-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जो दुनियां भर में जाकर मरुस्थल में कौन से उपयोगी घास और पौधे होते हैं उनका पता लगाये और उनका यहां विस्तार किया जाय, इस उद्देश्य के लिये जोधपुर में एक केन्द्र स्थापित किया गया। इसके अलावा और छुट-पुट सुझाव दिये। पर मरुस्थल अपने आप में एक बड़ी समस्या है उस पर कभी गौर नहीं नहीं किया। बाढ़ को सरकार ने बहुत बड़ी समस्या माना और इसके लिये बड़ी-बड़ी योजनाएं बिहार और राजस्थान में, पंजाब में सब जगह बनाई। जैसे बाढ़ को एक अलग समस्या मान कर इसके हल के लिये सरकार ने प्रयत्न किया, वैसा प्रयत्न इस मरुस्थल की समस्या को भी एक बड़ी समस्या मानकर इसका हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिये था। इसको एक अलग पूरा विषय मान कर चलना चाहिये था पर यह कभी नहीं किया गया।

नतीजा यह हुआ कि छोटी स्कूलों का मसला हो, पंचायत स्कूलों का मसला हो, पशु-पालन का हो, एक ही तरीका बंगाल के लिये और राजस्थान के लिये बना कर चले। राजस्थान के लिये इतनी भिन्नता जरूर बरती है कि कुछ क्षेत्रों को पशु-पालन के दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ कर कुछ विशेष अधिकारी, पशु-पालन अधिकारी नियुक्त किये।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पर जहां एक हजार की जनसंख्या बंगाल में एक वर्गमील में है वहां राजस्थान में शायद दस या बीस मील में भी न हो। जितनी सड़कें होनी चाहिये उस क्षेत्र के लिये जितने स्कूल होने चाहिये अनुपात में उस दृष्टि से राजस्थान सरकार ने सोचा नहीं। नतीजा यह हो रहा है कि हमारा मरुस्थल का इलाका जिस पर अकाल की काली छाया छायी रहती है दिनों दिन तरक्की करने के बजाय पिछड़ता जा रहा है।

बहुत से जिम्मेदार अधिकारियों से बात करता हूं. राज्य स्तर पर भी बात करता हूं तो निराशा का वातावरण पाता हूं। कुछ तो यह कह देते हैं कि उन इलाकों को लोग खाली क्यों नहीं कर देते। पर मैं समझता हूं कि मरुस्थल का वह हिस्सा इतना खतरनाक और निराशाजनक नहीं है, जितना ऊपर से या बाहर से लोग समझते हैं। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिये कि मरुस्थल के क्षेत्रों में बसने वाले किसान मजदूरों की स्थिति दो फसली इलाकों में रहने वाले किसान-मजदूरों से ज्यादा अच्छी है। उनके रहन सहन का स्तर उनसे अच्छा है। पहनने को अच्छे कपड़े हैं, रहने को अच्छा सा मकान है, खाने का अच्छा खाते हैं। एक बार मैं गया था मुख्य मंत्रीजी के साथ उन इलाकों में राहत कार्यों को देखने के लिये। साथ में पत्रकारों का भी दल था। हमने देखा कि उधर औरतों ने सोने और चांदी के जेवर पहने हुए थे। पत्रकार तो कहने भी लगे बाड़मेर क्षेत्र में कि यहां क्या अकाल कार्य होगा। यहां तो औरतें गहने पहने हुए हैं मानो चांदी के औ अच्छे कपड़े पहने है। वास्तव में यह स्थिति सही भी है। मकान हैं उनके पास, ओढ़ने-पहनने के अच्छे कपड़े हैं, रीति-रिवाज विवाह-शादी सब देखें उनके तो वे औरों से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं दूसरे क्षेत्रों के उसी तबके के लोगों से।

इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मरुस्थल की जो स्थिति है आर्थिक दृष्टि से बुरी नहीं है। वहां के लोगों के लिये वह बहुत अंशों में फेवरेबल है और इस कारण उनकी हालत बमुकाबले दूसरों के अच्छी है। मालानी में या जोधपुर, जैसलमेर जिलों में हरेक गांवों में पक्के और बड़े बड़े आसरे मिलेंगे जिनको हम गेस्ट हाउस कह सकते हैं। उसमें बीस-पच्चीस खाटें पड़ी रहती है, ओढ़ने और बिछाने के बिस्तर रहते हैं। तम्बाखू रहती है और आजकल तो चाय का सामान तक मिल जाता है और बीस-तीस आदमी एक साथ यकायक वहां पहुंच भी जावें तो खाना भी उनको खिलाया जाता है। पर फिर भी आखिर यह अकाल को परिस्थिति वहां क्यों है. और वे कैसे इस स्थिति में रहते हुए भी ठीक तरह से जीवन-यापन कर ले जाते हैं। इसका कारण वहां की जमीन और पशु धन है। इसका गहराई से अध्ययन भारत सरकार के विशेषज्ञों ने भी नहीं किया, न राजस्थान सरकार की ओर से इसके वैज्ञानिक अध्ययन की तरफ कभी ध्यान दिया गया, न यह जानने का प्रयत्न किया कि आर्थिक समस्या उनकी क्या है? फेवर में और अगेन्स्ट में क्या तथ्य है? कौनसी कठिनाई दूर होने से मरुस्थल से अकाल की छाया दूर हो सकती है? इस पर बारीकी से और वैज्ञानिक अध्ययन और छानबीन नहीं की गई। अकाल पड़ने पर राहत और टेम्परेरी राहत पहुँचाने की दृष्टि से जरूर किया गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दुनिया के और भारत के भी प्रदेशों में ऐसा क्षेत्र कहीं नहीं होगा जहां पैदा हुआ घास और पौधे सबके सब शत प्रतिशत इडेबल हों। कहीं कुछ घास तक खाने लायक होती है, तो कुछ घास केवल जलाने और दूसरे काम में आ सकती है, खाने के काम नहीं आ सकती, यही हाल पौधों का है। पर यहां के इलाके में पैदा हुई शत प्रतिशत घास और पौधे खाने में काम आते हैं पशु मवेशियों के। सहारा, अरेबिया, गौबी, या आस्ट्रेलिया के मरुस्थल से यह मरुस्थल का क्षेत्र बिलकुल भिन्न है। दो चार इन्च बरसात बरसने पर ही जहां की जमीन का चप्पा चप्पा पेड़ पौधों और घास से हरा भरा हो जाता है। सिर्फ ज्यादा चराई-कटाई की वजह से वह बरबाद जरूर हो गया है पर फिर भी जब बरसात मामूली सी भी हो जाती है तो पूरा क्षेत्र घास पौधों से लहलहा उठता है।

मरुस्थल अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों से मुझे ज्ञात करने का अवसर मिला है। मैंने उनसे बात की, और यह आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि सेवण, बुरट, कुरी और धामण किस्म के घास और पौधे वहां पांच इन्च भी बरसात हो जावे तो ये तीन से लेकर चार फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और सारे क्षेत्र में फैल सकते हैं। ऐसा उदाहरण दुनियां के किसी हिस्से में नहीं मिल सकता। अपने यहां पर पेड़-पौधे भी इसी तरह से हैं। कूंजड़, कैर, बबूल कुमट, फोग जो भी हैं सब का फल-फूल खाने के काम आते हैं। पत्ते जानवरों के काम आते हैं। जयपुर के ही इलाके में होने वाले पेड़-पौधों को देखलें। आधे से ज्यादा खाने के काम नहीं आते।

तो मरुस्थल के पक्ष में यह सबसे बड़ी चीज है। यह कुदरत की वहां देन है। वहां के घास पेड़-पौधे बहुत ही उम्दा किस्म के है और कितना भी अकाल है इनके कारण लोग वहां निभ जाते हैं। यह कारण है। तो हमको इस दृष्टि से इस मरुस्थल को विकसित करने के लिये एक लम्बी योजना बनानी चाहिये।

लम्बी योजना क्या हो सकती है? लम्बी योजना यह हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें वहां बनाई जावें वे आप इस हिसाब से बनावें कि इस गांव से उस गांव को तो दिक्कत में पड़िये मत। दस बीस मील का एरिया आप चुन लीजिये और उसमें लोंगीट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से एक लम्बी सड़क निकाल दें। इसके बाद इसी सड़क के सहारे सहारे पड़ने वाले एरिया में पानी की व्यवस्था कर दें। पानी पीने की भी वहां समस्या है।

सरकार द्वारा जल योजना लागू की जा रही है। पर क्षमा करिये, आपके विभाग के अनभिज्ञ अधिकारी योरप के पैटर्न पर घर घर जाकर टूंटी लगाने की बात करते हैं। यह वहां की स्थिति को देखते हुए मोस्टली लोग गांवों में बसते हैं, ढाणियों में रहते हैं, वहां तक आप कैसे नल पहुंचा सकते हैं सब जगह? इसके लिये आप ऐसा करिये कि वहां कहीं भी नल-कूप निकले पांच-दस मील पर एक इलाके की लाइन की सीध में कर दीजिये। हर तीन मील, चार मील या पांच मील के फासले पर सड़क के सहारे वाटर पॉइन्ट बना

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दीजिये। वही वाटर पॉइन्ट बन जावेगा और वही सड़क बन जायेगी। वहां के निवासी अपने और अपने जानवरों के लिये पिलाने के लिये पानी बहुत दूर-दूर से लाने के आदी हैं। वे चार-चार-पांच-पांच मील से उस पॉइन्ट से आसानी से अपना गुजारा कर लेंगे और आराम के साथ कर लेंगे। इसके लिये आपको आधा पौन या एक इन्च पाइप लगाने की ओर इतना खर्च करने की भी जरूरत नहीं। छोटे कस्बे के लिये बीस-तीस मील भी लोग आते हैं। इसमें पांच-पांच मील के फासले पर वाटर पॉइन्ट रखें तो इतनी दूरी तक आसानी से लोग आ जावेंगे और आपका खर्चा भी अधिक नहीं होगा। ६ रुपया फीट के हिसाब से इस पाइप पर आपका खर्चा पड़ेगा। तो इस तरह योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यह पेयजल कष्ट का निवारण भी आप कर सकेंगे। सवाल है फीस का वह कैसे वसूल होगी? इसका किसी ने वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन नहीं किया। वहां के हरेक घर को मोस्टली अपनी आमदनी का करीब तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा पानी लाने करने में, अपने जानवरों को पिलाने करने में खर्च करना पड़ता है और वह उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। घर के एक-दो आदमी अपने मवेशियों को पानी पिलाने में ही बारह मास लगे रहते हैं। तो अगर इसके लिये आप उन पर वाटर टैक्स लगावेंगे तो वाटर टैक्स के लिये वहां की जनता तैयार होगी। अगर पांच मील पर, हर पांच मील पर उनको पानी मिल जाता है तो।

आपके बहुत से नल-कूप खोदे गये हैं। रिपोर्ट देखी। कइयों में चालीस-पचास हजार गैलन प्रति घंटे की क्षमता है। वहां पांच इन्च वर्षा से और ज्यादा से ज्यादा सात इन्च सेवण, जई घासो को आसानी से बढ़ा सकती है। अब अगर ४५ हजार गैलन पानी देने वाले नल कूप का आंकड़ा निकालें तो ५०० एकड़ एरिया को वह आसानी से सिंचित कर सकता है और उस ५०० एकड़ में घास के बीड़ लगाये जा सकते हैं। उस ५०० एकड़ एरिया के घास को आप इकट्ठा करिये। उसी को सड़क के पॉइन्ट से मिला दीजिये, वहीं पानी का भी पॉइन्ट रखिये।

अब जो आपको फिक्र लगती है कि घास कहां से लाई जावे तो ऐसे अवसर पर वह घास आपको आसानी से उसी क्षेत्र में उपलब्ध हो जायगी। वह उस इलाके के पशु के लिये अनुकूल भी होगी, बाहर की दूसरी जगह की घास खराब भी मिलेगी, कोई खायगा, कोई नहीं खायगा, खाते-खाते मर भी सकेगा। तो इस तरह से लाखों एकड़ में आप बीड़ बना कर वहां घास पैदा कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मेरी तहसील जो फलर्दी है उसमें जितने ट्रैक्टर्स हैं उतने संसार में कहीं नहीं हैं। एक गुडा-बिश्नोई गांव है, गोरून्दा का गांव है उनमें १२५ ट्रैक्टर्स हैं जहां की जनसंख्या ७ हजार है। वहां से नहर निकली है, मवेशियों को पिलाने के लिए पानी है, सड़क है वहां पर लोगों का दूध का धन्धा है और दुध धंधा करते करते वहां पर हर घर में ट्रैक्टर ले लिया गया है। वहां लोगों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। आप इन्डस्ट्रीज की बात करते हैं। इन्डस्ट्रीज सार्वजनिक क्षेत्र में लगती हैं, आप दस-बीस मील दूरी पर ऐसी सरकार की तरफ से प्रासेसिंग इन्डस्ट्री

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लगायें। मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हड्डियों की है, चमड़े की है, ऊन की है, गुड़ की है– इनको इन्डस्ट्री वहां पर लगायें।

इसके अलावा जो बकरियों का खाद है या दूसरा खाद है उसको भी खाद इकट्ठी करके गांवों की आर्थिक हालत सुधारी जा सकती है। बकरी का खाद एक ट्रक चार-सौ और पांच-सौ रुपयों में जाता है। अगर पशुओं के मालिक खाद भी इकट्ठी करने लग जायें तो काफी खुशहाली आ सकती है। लेकिन देखते क्या हैं कि वहां खाद के ढेर के ढेर पड़े हैं और वह उपयोग में आते नहीं हैं। कोई भी रेवड़ वाला आदमी कम से कम साल में चार गाड़ी तो इकट्ठी कर ही लेगा और उससे उसको २ हजार रुपये की आमदनी हो जायगी। तो इन चीजों की तरफ जब तक हमारा ध्यान नहीं जायगा तब तक मरुस्थल की समस्या का सही माने में हल निकल नहीं सकेगा।

फिर सवाल आता है चरागाहों का। बहुत ही अचम्भे की बात माननीय सदस्यों को लगेगी। मैं कह सकता हूं कि पीने के पानी के तालाब जितने अच्छे मरुस्थल के क्षेत्र में हैं उतने भरतपुर और जयपुर में पीने के पानी के नहीं होंगे। सिंचाई के तालाब भले ही उन क्षेत्रों में हो लेकिन पीने के पानी के तालाब-मरुस्थल क्षेत्र में पड़ने वाले तालाबों से ज्यादा बड़े और अच्छे तालाब नहीं होंगे। वहां पर एक साल पानी आने के बाद दस साल पानी चलता है। ऐसे तालाब मरुस्थल में हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? उन तालाबों को यह कहकर बन्द कर दिया गया था कि उनका पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। इसलिए इन तालाबों के ऊपर खर्चा नहीं किया जाये। इनके खुदवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज उनके पैंदे इतने पक्के हैं कि सीमेण्ट भी क्या पक्की होगी और उनके अन्दर आज पानी की आमद नहीं है और इस तरह के तालाब हर दस-बारह मील पर हैं। तालाबों के आस पास इतने झाड़ थे कि आसानी से कोई निकल नहीं सकता था। लेकिन आज उन सब झाड़ों को काट दिया गया इसलिए मवेशी वहां पर चल नहीं सकते, वहां पर ओवरग्रेजिंग होता है। उनके लिए एक निश्चित योजना बने कि ५-४ मील का एरिया है उसकी तारबन्दी करें और वहां पर घास उगायें।

पेड़-पौधों के बारे में कहा जाता है कि मरुस्थल में पक्के दरख्त बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं। मेरे खयाल से यह बात गलत है। हां, वहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर कोई पेड़ या पौधा बीज से लगाया जाता है या बीज रोपते हैं तो वह धीरे-धीरे बढ़ता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पर जो पेड़ हैं उनको काटा जाता है। अगर आप उनको ही संरक्षण दे दें कि यहां पर दरख्त नहीं काटे जायेंगे तो मैं कहता हूं कि जितने अच्छे जंगल वहां पर हैं उतने कहीं नहीं हो सकते हैं। मेरे खयाल से वहां पर काफी अच्छी वनस्पति और पेड़ तैयार हो सकते हैं। अच्छे तालाब हैं उनको खुदवाया जाय और अच्छे ओरन हैं उनको बसाया जाये। जहां कहीं भी नत कूं। उनको वह किया जाये।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि एक होड़ लगी हुई है, जितने भी नदी और नाले हैं उन सब पर बांध बना दिये जायें।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और उन सबको बांध दिया जाये। नतीजा यह हो रहा है कि लूनी के बांधने से जितने गांव हैं उनके कुएं सूख गये हैं। सारे मुल्क का पानी बांधा गया और उससे सिंचाई कितनी होती है ४ हजार बीघा में। होता क्या है, कि वह एरिया इतना स्प्रेड-ओवर है कि आधे से ज्यादा पानी जमीन ही सोख लेती है और फिर उस पानी को नहरों द्वारा कच्चे में ले जाया जाता है जहां पानी देखा ही नहीं धरती ने कभी और वह पानी जाते-जाते ही सूख जाता है। २०० गांव लूनी के सबके सब सूख रहे हैं और लूनी की सहायक नदियों पर होड़ लग रही है उन पर बांध बनाये जायें। यह बहुत खतरनाक चीज है। इससे सैंकड़ों गांव सूख रहे हैं और हजारों बीघा जमीन गैर-आबाद होती जा रही है। उसमें दो फसलें नहीं हो सकतीं। हमारे वहां बिराई का बांध बना है उससे सौ-दो सौ एकड़ से ज्यादा भूमि सिंचित नहीं होगी और उससे नतीजा यह होगा कि ५० गांवों में पानी नहीं मिलेगा और सूख जायेंगे और वह पानी आखिर जमीन में सूख गया और खतम हो गया। तो मरुस्थल को हमें इस दृष्टि से देखना है। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। यह बढ़िया से बढ़िया गाय, बढ़िया से बढ़िया ऊंट, बढ़िया से बढ़िया घोड़े और बढ़िया से बढ़िया आदमी पैदा करने वाला देश मरुस्थल है। अगर उसमें ऐसी खराब स्थिति होती तो सैंकड़ों वर्षों तक कैसे वहां लोग रहते ? लेकिन आदमियों की पापुलेशन के बढ़ने से और कैटल पापुलेशन ज्यादा होने की वजह से उसकी समस्याएं दूसरी हो गयी हैं। तो मैं राज्य सरकार से खास तौर से निवेदन करूंगा कि पानी के हिसाब से, सड़कों के हिसाब से, इन्डस्ट्रीज के हिसाब से लम्बे समय की योजना बनाये और छोटे-मोटे काम तो राहत के लिए करने हैं, मैं आशा करके चलता हूं कि सरकार उनको करने में हमेशा तत्पर रहेगी। लेकिन साथ में हमें इन कामों को भी नहीं भुलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे दिनांक ५-९-६८ के ११ म. पू. तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या १९० की सूची)

सूची (अ)

गांधी नगर में कार्य कर रहे स्टाफ, मजदूरों की सूची

क्रमांक			
१.	अधिदर्शक	१	१
२.	मिस्त्री	५	५
३.	स्टोर मुन्शी	२	२
४.	मुन्शी	४	४
५.	जमादार		१४
६.	कारीगर	६	६
७.	फिटर	३	३
८.	विद्युत् हैल्पर	२	२
९.	सैनेट्री हैल्पर	३	३
१०.	पेन्टर	३	३
११.	पेन्टर हैल्पर	१	१
१२.	बेलदार	४५	४५
१३.	कुली	४	४
१४.	चौकीदार	३	३
१५.	हरिजन	३	३
१६.	लुहार	२	२
१७.	गोदामी	१	१
१८.	कार्डनर	१	१

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या १९३ की सूची)

पुलिस द्वारा छापा मार कर बरामद की गई गाड़ियों की सूची

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	बरामदगी	रिमार्क्स
१.	३-७-६८	श्री जगदीशसिंह मैकेनिक के यहां जयपुर	एक फियेट कार नं० एम० आर० ए० ६२२४	यह कार श्री पूरनचन्द एक्स सिविल जज द्वारा श्री भगतसिंह सिख उर्फ तारासिंह से ७०००) रु. में खरीद की गई थी, जो जगदीशसिंह के यहां मरम्मत के लिए आई थी।
२.	६-७ ६८	जयपुर जल महल के पास	जीप गाड़ी बिना नम्बर	श्री प्रभूसिंह राजपूत ड्राइवर तारासिंह साकिन डागरवाड़ी के कब्जे से प्राप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।
३.	६-७-६८	गाँव चन्दवाजी (जयपुर-दिल्ली रोड पर)	जीप गाड़ी बिना नम्बर	श्री प्रभूसिंह के बताने पर बरामद किया।
४.	१०-७-६८	रामबाग चौराये के पास, जयपुर।	जीप गाड़ी बिना नम्बर	श्री तारासिंह, निवासी डांगरवाड़ा के कब्जे से बरामद की।
५.		सी. स्कीम श्री जगदीशसिंह राजपूत के मकान से	एक फियेट कार एम० आर० जे० ५८८१	यह कार श्री जगदीशसिंह को रामदयाल निवासी फूटासा द्वारा बेची गई बताई।

नोटः—उक्त गाड़ियों की जप्त के साथ-साथ सर्वश्री प्रभूसिंह, तारासिंह, रामदयाल व जगदीशसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध मुक़दमा संख्या ६४ धारा ४११ भा० द० स० थाना अशोकनगर, जयपुर में दर्ज कर अनुसंधान किया गया है। श्री दीपक उर्फ काशीनाथ उर्फ हरिश्चन्द्र व रमेश द्वारा इन कारों को बम्बई से चुराकर लाना मालूम पड़ा है। श्री दीपक को पुलिस ने १०-७-६८ को गिरफ्तार कर लिया है।

उपरोक्त मोटर गाड़ियां अनुसंधान से बम्बई के जिन मुकदमात से सम्बधित पाई गई, उसकी सूची

१.	मु० नं०	३४७/६८	द्वारा	३७६/आई० पी० सी०	थानागायदेवी बम्बई-।
२.	,,	५१५/६८	,,	,,	,,	आजाद मैदान ,,
३.	,,	४४५/६८	,,	,,	,,	गाम.देवी ,,
४.	,,	५७६/६८	,,	,,	,,	थाना आजाद मैदान-बम्बई।
५.	,,	३८३/६८	,,	,,	,,	थाना रामदेवी ,,

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्क्रेप पाइप का बेचान

१९४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मई, सन् १९६३ में अमानीशाह वाटर वर्क्स स्टोर्स, जयपुर से जयपुर आईरन फाउन्ड्री, जयपुर एवं एम. बी. इन्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा को लगभग २०० मैट्रिक टन कास्ट आइरन स्क्रेप पाइप १०० रु. प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बेचा गया ?

(२) क्या यह सही है कि इसी मई १९६३ में इसी स्टोर द्वारा ऐसा ही स्क्रेप पाइप १२ रु. मन अर्थात् ३२१ रु. प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से नीलाम द्वारा बेचा गया था ?

(३) यदि हां, तो जयपुर आइरन फाउन्ड्री, जयपुर और एम.बी. इन्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा को बिना नीलाम किये यह माल इतने सस्ते दर पर क्यों बेचा गया ?

(४) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा स्क्रेप पाइप को बेचने के स्टेन्डर्ड दर २५० रु. प्रति मैट्रिक टन मुकर्रर की हुई है और उसके लिये भी चीफ इन्जीनियर से पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है ?

(५) क्या यह सही है कि इस स्क्रेप पाइप को १०० रु. प्रति मैट्रिक टन बेचने के लिये चीफ इन्जीनियर से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी ?

(६) यदि हां, तो इस अनधिकृत बेचान करने और राज्य को नुकसान पहुँचाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां दोनों फर्मों को मिलाकर कुल १२६.५३६ मैट्रिक टन ११२) रु० प्रति टन के हिसाब से पाइप स्क्रेप बेचा गया।

(२) जी नहीं।

(३) सस्ते दर पर बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं, स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदारपुरा उच्च माध्यमिक कन्या पाठशाला एवं महिला बाग उच्च माध्यमिक शाला की आर्थिक स्थिति

१६५. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जोधपुर नगर की सरदारपुरा उच्च माध्यमिक कन्या पाठशाला व महिला बाग उच्च माध्यमिक शाला को सरकार ने आर्थिक कठिनाई के कारण हायर सेकेन्डरी से सेकेन्डरी में अवनत करने का नोटिस दिया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त शालाओं के वर्तमान स्तर को कायम रखने हेतु सम्बन्धित मुख्याध्यापकों से नागरिकों से आर्थिक साधन जुटाने का आग्रह किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सत्य है कि एक ओर राज्य सरकार कुछ शालाओं के स्तर को उन्नत कर रही है तथा दूसरी ओर कुछ शालाओं के स्तर को नीचा कर रही है ? अगर हां, तो किस आधार पर ऐसा किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) सरकार द्वारा किसी शाला का स्तर नीचा नहीं किया गया है।

गोपनीय सेवाओं के लिये निर्धारित धनराशि

१९६. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गोपनीय सेवाओं (इन्टेलीजेन्स शाखा) के लिये कितनी धनराशि निर्धारित है ?

(२) क्या इसके खर्चे का ऑडिट किया जाता है ?

(३) प्रत्येक जिले स्तर पर उक्त धनराशियों में से कितना रुपया दिया जाता है और उसको खर्च करने का किसको अधिकार है और किस आधार पर ?

(४) प्रत्येक जिले पर इस धनराशि में से इस वर्ष जुलाई तक कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(१) गोपनीय सेवाओं के लिये १,७०,००० रु. की धनराशि निर्धारित है।

(२) जी हां। इसके खर्च का ऑडिट किया जाता है।

(३-४) प्रश्न ३ व ४ का उत्तर देना जनहित में नहीं पाया जाता।

हरिजन छात्रावासों पर व्यय

१६७. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन छात्रावास कितने हैं ? प्रत्येक जिले की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करें।

(२) प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र रहते हैं और प्रत्येक छात्रावास का वार्षिक अलग-अलग खर्चा कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) किस जिले में कितने छात्रावास हों, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाता है ?

(४) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इन छात्रावासों से ग्रामीण हरिजनों को लाभ नहीं पहुँच रहा है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिये ४४ राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत छात्रों की संख्या की उपरोक्त जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक छात्रावास का अलग खर्चा नहीं रखा जाता है। जिले के समाज-कल्याण अधिकारी के कार्यक्षेत्र में समस्त छात्रावासों के लिये धनराशि का प्रावधान सम्मिलित है। ५० छात्रों के छात्रावास पर लगभग ३६,००० रुपये एक वर्ष में खर्च होते हैं।

(३) छात्रावास अमुक जिले की जनसंख्या और अमुक स्थान पर प्राप्त शिक्षण सुविधाओं और मांग के आधार पर खोला जाता है।

(४) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकलेरा में गुण्डागर्दी

१९८. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) दिनांक १३ फरवरी, ६८ को अकलेरा कस्बे में तारज से कोई लड़की भगा कर लाई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त लड़की को अकलेरा मेले से कुछ गुण्डे सिनेमा से उठा भागे ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त लड़की के साथ पच्चीस-तीस गुण्डों ने बलात्कार, व्यभिचार किया ?

(४) क्या उक्त गुण्डागर्दी के खिलाफ पुलिस ने कोई सक्रियता दिखाई है और क्या उस काण्ड से सम्बन्धित बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है ?

(५) किन-किन व्यक्तियों का इस सम्बन्ध में चालान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(६) क्या यह सही है कि अकलेरा कस्बे में इस प्रकार का गुण्डा-दल पिछले कई सालों से सक्रिय है, किन्तु उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई। दिनांक १३ व १४-२-६८ की दर्मियान रात को सोहनलाल कॉन्स्टेबल ने एक लड़की पुत्री शंकर चमार, निवासी ग्राम बनवारी, थाना अकलेरा को लाकर उसे गोपाल कण्डक्टर और शफी नामक व्यक्ति द्वारा सिनेमा से जबरन पकड़ कर पास में किसी स्थान में ले जाने और बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर मुकदमा नं० ११/६८ धारा ३७६/३६६ भारतीय दंड संहिता दिनांक १४-२-६८ को फौरन दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई और मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे को बाद तफतीश मुन्सिफ कोर्ट, अकलेरा में दिनांक १६-५-६८ को चालान किया जा चुका है।

(२) स्थिति प्रश्न संख्या १ के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

(३) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं थी ।

(४) जी हां, मुल्जिमान गोपाल और शफी को फौरन गिरफ्तार किया गया था।

(५) गोपाल व शफी नाम के व्यक्तियों का चालान अदालत में किया जा चुका है।

(६) यह सही नहीं। पिछले ३ सालों में कस्बा अकलेरा में इस किस्म के केवल ३ अपराध दर्ज हुए थे। उनमें से २ में चालान हो चुका है और १ झूठा पाया गया।

पोकरण में नमक के प्लॉटों का वितरण

१९९. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पोकरण के पास जो नमक का क्षेत्र है उसकी सीमा अंकित करने के लिये पोकरण की जनता से प्रति व्यक्ति १५ रु० का शुल्क ली थी और यह आश्वासन दिया था कि उन्हें नमक के प्लॉट दिये जावेंगे ?

(२) क्या यह सच है कि पोकरण के लोगों को न तो नमक के प्लॉट ही दिये और न वह १५ रु० के हिसाब से वसूली की गई रकम लौटाई है ?

(३) इस क्षेत्र में नमक के प्लॉटों को किस सिद्धान्त पर वितरित किया गया और कितने लोगों को और कहां-कहां के लोगों में वितरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) २१९ व्यक्तियों ने १५ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से सीमा अंकित करने हेतु राशि उप-जिलाधीश के पास जमा कराई थी मगर प्लॉट देने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(२) जिनको प्लॉट नहीं दिये गये हैं उनको रकम लौटा देने के आदेश दे दिये गये हैं।

(३) १९६३ में इस क्षेत्र में नमक के प्लॉटों का आवन्टन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सप्लाई एरिया एलॉटमेन्ट) रूल्स, १९६२ के अन्तर्गत किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत है। जिन व्यक्तियों को नमक के प्लॉटों का आवन्टन किया गया है उनकी सूची मय पतों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामनिवास बाग में निकाली गई गटर से गन्दगी

२००. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि श्री देवीशंकर तिवाड़ी के बंगले से आने वाली गटर लाइन रामनिवास बाग में निकाली गई है तथा गटर में से पानी अक्सर उबल कर बाहर

आता है तथा बाग की सड़कों पर बदबू फैलाता हुआ बहता रहता है ? यदि हां, तो क्या इसका कोई प्रबन्ध हो सकता है ? यदि हो सकता है तो प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया, तथा अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

सरकार को यह विदित है कि एक गटर लाइन श्री देवीशंकर तिवाड़ी के बंगले की ओर से म्यूजियम के पिछले हिस्से की बिल्डिंग के नीचे होती हुई महाराजा कॉलेज के पीछे स्थित पम्प हाउस के पास २१ इन्च की लाइन में जाकर गिरती है।

श्री देवीशंकर तिवाड़ी के बंगले के बिल्कुल सामने सड़क बहुत नीची है तथा बरसात का सारा पानी एवं सलेज वगैरह इसी जगह इकट्ठा होकर एक नाल में गिरता है जो कि चिड़ियाघर के अन्दर होकर जा रहा है। यहां हमेशा कीचड़ व गंदगी रहती है तथा यह गंदगी ही बदबू का मुख्य कारण है।

शहर की लाइनों का प्रबन्ध नगरपालिका के हाथ में है। अतः इसका प्रबन्ध नगरपालिका द्वारा ही हो सकता है।

चित्तौड़-कपासन रोड पर खर्चा

२०१. **श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ से कपासन रोड़ पर सैनिक स्कूल के निर्माण होने के समय से लेकर अब तक यह रोड़ बैड़च नदी से लेकर डगलों का खेड़ा तक कितनी बार कितनी धनराशि खर्च करके परिवर्तित की गई है और बार-बार परिवर्तन किये जाने और परिवर्तन पर अनावश्यक खर्च किये जाने के क्या कारण हैं और यह किसकी जवाबदारी है ?

(२) क्या यह सही है कि अब तक जो खर्च इस रोड़ पर किया गया है वह सैनिक स्कूल के मद से खर्च किया गया है ? यदि हां, तो कितना खर्च किया है, और उसकी स्वीकृति दिये जाने का क्या आधार है ? यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद से खर्च किया है तो बार-बार खर्च करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है ?

(३) भविष्य में सड़क में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी इसकी गारन्टी क्या है ?

उत्तर

(१) सड़क परिवर्तन एक बार हुआ है जिस पर १०,०००) रु० खर्च हुआ है।

(२) इस सड़क का जो भाग सैनिक स्कूल क्षेत्र में आया है उस पर सैनिक स्कूल की धनराशि से खर्च किया है जिस पर १०,०००) रु० खर्च हुआ है।

(३) सड़क परिवर्तन रेल्वे विभाग की लैविल क्रोसिंग की अनुमति पर निर्भर है।

पुलिस थाना सांचोर में नाजायज कब्जे से संबंधित दर्ज मामला

२०२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर के एक धनाढ्य पुरुष ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा एवं पंचायत समिति के एक हौज को गुप्त रूप से अपने कब्जे में कर उस पर अपना नाजायज कब्जा कर लिया था ? अगर हां, तो किसने, कब ?

(२) उसने पंचायत समिति की कितनी सम्पत्ति को अपने कब्जे में कर पंचायत समिति को नुकसान पहुँचाया ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस मामले में पुलिस थाना, सांचोर में एक फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ था ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) क्या उपरोक्त मामले में पंचायत समिति के हौज को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सत्य है कि अभियुक्त एक मालदार एवं असरदार आदमी होने से उपरोक्त मामले में अभी तक सही छानबीन नहीं हो पाई है ? अगर हां, तो अब इस मामले की मर्जीद जांच कब तक एवं किसके द्वारा कराई जा रही है ? कब तक इसकी जांच पूरी की जाकर अन्तिम नतीजा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं पाया जाता। स्थिति इस प्रकार पाई जाती है कि श्री भीमजी बाचेरजी ने ८५० वर्गगज जमीन पंचायत से खरीदी थी। इसी जमीन में एक टूटा हुआ टांका भी था।

(२) पंचायत समिति को नुकसान पहुँचाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पंचायत समिति ने तो उक्त जमीन को श्री भीमजी को बेचान किया है।

(३) जी हां। एक केस ह० द० ३७६/४२७/४४७ ता० हि० तफतीशदार की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था। इस केस में फाइनल रिपोर्ट अदम वकूआ दी गई है।

(४) वहां (हौज नहीं) टांका था। टांका बरसात के कारण भीमजी द्वारा कब्जा कर लेने के पूर्व टूट जाना बताया जाता है। सम्बन्धित मुकदमे की तफतीश के दौरान टांके का कोई मलबा वहां से बरामद नहीं किया गया है, क्योंकि वहां मलबा नहीं था।

(५) यह सत्य नहीं है। यद्यपि भीमजी बाघेरजी मालदार आदमी हैं परन्तु उनका कोई असर तफतीशकुनिन्दा अफसर पर नहीं हुआ था। इस मामले की छानबीन सही तौर पर हो चुकी है। इस अभियोग की तफतीश वृत्त अधिकारी एवं अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, जालौर द्वारा की गई थी। अब मजीद जांच की आवश्यकता नहीं है।

कोल्ड स्टोरेज, जिला बूंदी

२०३. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बूंदी में कोल्ड स्टोरेज किसने लगाया और इसकी स्वीकृति कब हुई ?

(२) सरकार ने यह उद्योग बूंदी शहर के पास न खोल कर गोविन्दपुर बावड़ी के पास खोलना क्यों मुनासिब समझा ?

(३) जिस स्थान पर यह कोल्ड स्टोरेज खोला गया है वह स्थान कोटा से कितने माइल दूर है ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस कोल्ड स्टोरेज के लगाने की कोटा में स्वीकृति नहीं मिल सकी, इसीलिये कोटा जिला की सरहद जहां पर खत्म होती है वहीं यह कोल्ड स्टोरेज लगा दिया गया ?

उत्तर

(१) जिला बूंदी में एक कोल्ड स्टोरेज कोटा कोल्ड स्टोरेज के नाम से मेरठ निवासी श्री बी० के० गुप्ता ने लगाया है।

एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, केन्द्रीय सरकार, नागपुर ने यह स्वीकृति कब दी इसकी तारीख उपलब्ध नहीं है।

(२) सरकार ने तो इस कोल्ड स्टोरेज के लिये कोटा में जमीन का आवंटन किया था, मगर इस पार्टी ने वहां न लगा कर इसको गोविन्दगढ़ बावड़ी के पास लगाया। इस स्थान पर कोल्ड स्टोरेज लगाने के निर्णय की जिम्मेदारी पार्टी की है।

(३) ६ मील दूर है।

(४) जी नहीं।

लक्ष्मणगढ़ में हायर सेकेन्डरी स्कूल

२०४. श्री गोकुलचन्द (खैरथल-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर जिले में कुल कितने हाई स्कूल हैं और कितने हायर सेकेन्डरी हैं ?

(२) अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ हाई स्कूल कौनसे सन् में रेज हुआ था ? अभी तक उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि लक्ष्मणगढ़ कस्बा तहसील एवं पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और यह सबसे बड़ी तहसील अलवर जिले में है ?

(४) लक्ष्मणगढ़ हाई स्कूल को कब तक हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया जायगा ?

उत्तर

	हाई स्कूल	हायर सेकेन्डरी
(१)	३२	१५ राजकीय
	३	१ सहायता प्राप्त ।

(२) सन् १९५१ में क्रमोन्नत हुआ। राज्य सरकार हायर सेकेण्डरी शालाएं बहुत कम संख्या में खोल रही है। केवल अभी उन शालाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो सन् १९४७ या इससे पहले हाई स्कूल चल रहे थे। यह स्कूल इस केटेगरी में नहीं आता है।

(३) जी हां। अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील अलवर तहसील के बाद दूसरे नम्बर पर है।

(४) नम्बर २ में दर्शायी स्थिति के अनुसार फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

रामगढ़ में पानी के बिलों का भुगतान

२०५. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रामगढ़ (अलवर) में प्रत्येक माह की २२ तारीख तक पानी के बिलों की रकम न जमा कराये जाने पर २५% पेनल्टी चार्ज की जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ में ऐसी भी कई घटनायें हो चुकी हैं जब नलों में पानी १५-१५ दिन तक नहीं आया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। बिलों में दी गई नियत अवधि में भुगतान करने पर छूट (रिबेट) दी जाती है। उक्त अवधि बीतने पर वह नहीं दी जाती है। भुगतान न करने पर विभाग कोई पेनल्टी नहीं लगाता।

(२) जी नहीं। एक या दो दिन से ज्यादा जल-वितरण बन्द नहीं हुआ।

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या १७८ की सूची)

राजस्थान में चल रहे कन्या छात्रावासों की जिलेवार सूची

क्रमांक	जिला	स्थान	स्कीम	छात्रा संख्या
			राजकीय कन्या छात्रावास	
१.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	अनुसूचित जन-जाति	४०
२.	उदयपुर	खेरवाड़ा	,,	५०
३.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,	३५
४.	कोटा	कोटा	अनुसूचित जाति	४०
५.	जयपुर	जयपुर	,,	४०
६.	बीकानेर	बीकानेर	,,	४०
७.	जोधपुर	जोधपुर	,,	३०
			(आयोजना भिन्न व्यय)	
			अनुदानित कन्या छात्रावास	
८.	डूंगरपुर	सीमलवाड़ा	आदिवासी	३०
		डूंगरपुर	,,	२५
९.	उदयपुर	उदयपुर	आदिवासी	२५
		उदयपुर	,,	७५
		उदयपुर	अनुसूचित जाति	२५
१०.	अजमेर	हुरड़ा	अनुसूचित जाति	४०
११.	झुंझुनूं	नवलगढ़	,,	२८
१२.	झुंझुनूं	अड़वाना	,,	५०
१३.	भरतपुर	भूसावर	,,	५५

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ की सूची)

सूची (अ)

—वर्ष	बजट प्रावधान जिला सवाईमाधोपुर	बजट प्रावधान जिला टोंक	खर्चा सवाईमाधोपुर	टोंक
१९५८-५९	१,००,०००	—	७९,६५५	—
१९५९-६०	१,००,०००	—	५९,८३७	—
१९६०-६१	२५,०००	—	२६,६२५	—
१९६१-६२	४०,०००	—	४१,८१२	—
१९६२-६३	१०,०००	—	१०,५२४	—
१९६३-६४	१४,०००	२०,०००	५,३६६	४०,६६५
१९६४-६५	९,०००	१०,०००	१२,०२२	१९,२२२
१९६५-६६	३३,०००	७८,२००	३७,६०५	७५,५३५
१९६६-६७	३३,०००	४४,०००	१६,११३	४९,९७०
१९६७-६८	१९,०००	१३,०००	१८,९९५	१३,४९३
१९६८-६९ जुलाई, ६८	६,०००	६,०००	३,६०४	२५

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ की सूची)

सं०	जिला का नाम	तहसील का नाम	सड़कों व पुलियों के निर्माण व मरम्मत पर दि० १-४-६७ से ७-६८ तक निम्नलिखित व्यय हुआ
१.	अलवर जिला	अलवर तहसील	२,०४,६१८
२.	,,	राजगढ़ ,,	१,८६,४०४
३.	,,	लक्ष्मणगढ़ ,,	१,२२,१४३
४.	,,	मण्डावर ,,	८७,५७६
५.	,,	तिजारा ,,	४,५२,५२४
६.	,,	बानसूर ,,	१,१०,६३६
७.	,,	बहरोड़ ,,	१,५२,८७०
८.	,,	थानागाजी ,,	१,०८,०७४
९.	,,	किशनगढ़ ,,	८६,६४३
		योग....	१५,१५,०६४

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या २११ की सूची)

जिलानुसार सड़कें ३१-३-६७ तक (राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई सहित) अंक कि. मी. में

क्रम सं०	जिला	सीमेन्ट-कंकरीट सड़कें	डामर की सड़कें	योग
१.	अजमेर	—	१०८६	१०८६
२.	अलवर	६	७४२	७४८
३.	बांसवाड़ा	—	१४३	१४३
४.	बाड़मेर	—	२११	२११
५.	भरतपुर	८	८७१	८७९
६.	भीलवाड़ा	—	२६१	२६१
७.	बीकानेर	२	३५२	३५४
८.	बून्दी	३	२४१	२४४
९.	चित्तौड़गढ़	—	२५४	२५४
१०.	चूरू	—	४६०	४६०
११.	डूंगरपुर	—	१४०	१४०
१२.	गंगानगर राजस्थान नहर सड़कें सहित	—	१००७	१००७
१३.	जयपुर	२	६६२	६६४
१४.	जैसलमेर	२	१७६	१८१
१५.	जालौर	—	८४	८४
१६.	झालावाड़	—	२७८	२७८
१७.	झुन्झुनू	—	३४३	३४३
१८.	जोधपुर	—	६६२	६६२
१९.	कोटा	१७	४७२	४८९
२०.	नागौर	—	४१०	४१०
२१.	पाली	—	४६७	४६७
२२.	सवाईमाधोपुर	—	३४८	३४८
२३.	सीकर	—	३२३	३२३
२४.	सिरोही	२	३०४	३०६
२५.	टोंक	—	३३५	३३५
२६.	उदयपुर	—	८५६	८५६
	योग···	४२	११,८५१	११,८९३

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या २१९ की सूची)

क्रम संख्या	समय	रिपोर्ट हुये	भूंठ							जेर तफवीश									कीमत माल मसरूका	कीमत माल बरामदाना		
			अमपन भूंठ	अदम दस्त	दीवानी	योग ए. बी. सी.	१५७/बी मटकी	अदम पता	अदम सबूत	अन्दर तीन माह	जायद ३ माह	चाकमन ५१२ जा. फौ.	चाकमन	सभा	रिहावटी	राजीनामा	अन्दर ३ माह	जायद ३ माह		पुलिस द्वारा	द्वारा	योग १८-१९ का
१	२	३	४A	४B	४C	४D	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	१ ११	८ ६ /१६						१											८८९०/–			
२	१– १/७ से ३१	९ /६८ /७/ ६८ तक	१					२		५									७०८०/–	१८०/—		१८०/—

शुद्धि–पत्र

(बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
21	10	क ई	कोई
28	अंतिम से 8	श्री अव्यक्ष:अगल से	श्री अध्यक्ष: अलग से
34	15	श्री अंद क्ष:	श्री अध्यक्ष:
42	अंतिम	श्री कृष्ण मार	श्री कृष्ण कुमार
45	4	23-3-57	26-3-57
,,	22	ततह	तहत
48	4	No	Now
55	4	किन किन के	किन किन के खिलाफ ?
,,	16	नियमा र	नियमानुसार
58	11	पाय	पाये
59	7	सम्बन्ध	सम्बन्धी
62	11	का	
65	1	पर लेख' के से ? यदि हां तो उसकी	——
,,	अंतिम से 5	वषय	विषय
77	,, 5	ाई स्कूल	हाई स्कूल
80	17	नह	नहीं
81	19	यदि	--
,,	अंतिम से 3	ब	कब
89	2	हसीलदार	तहसीलदार
,,	7	अ देश	आदेश
91	अंतिम से 2	शार.	आर०
95	शीर्ष	(——	(श्री गृहमंत्री)
96	अंतिम से 2	ए	हुए
97	7	स्थनीय	स्थानीय
,,	11	स्वगय	स्वर्गीय
,,	19	७ – – ७	७-६-६७
,,	अंतिम से 4	य	यह
98	,, 8	नगपालिका	नगरपालिका

1	2	3	4
101	अंतिम से 3	श यतों	शिकायतों
102	2	ठेक	ठेका
103	2	प्र कर	प्रकार
110	11	मिट्टा	मिट्टी
112	11	मुश्र जा	मुश्रावजा
114	21	अध्यापक	अध्यापकों
117	16	की	—
123	अंतिम से 4	सह नुभूति	सहानुभूति
131	,, 11	चाहता हूं	चाहता
137	,, 13	पूछा	पूछना
140	6	का	की
145	ऊपर से 5	जोवन	जीविका
148	,, 20	टी	कमेटी
149	,, 16	देश	देश
165	, 14	समाधा	समाधान
171	,, 9	बर्ड	बड
173	,, 18	चीच	चीज
177	अंतिम से 6	सदन की की	सदन की
186	,, 17	लकवाणो	लोकवार्णा
193	7	वौंसिल	कौंसिल
,,	अंतिम से 13	थ्य	तथ्य
196	,, 9	वेन्द्रोय	केन्द्रीय
197	,, 3	वैसा	पैसा
199	,, 9	हा	हो
200	,, 8	इन्डपेंडेन्ट	इन्डीपेंन्डेन्ट
202	,, 6	व त	बात
203	4	दोन	दोनों
,,	अंतिम से 11	इप्लीकेशन्स	इम्पलीकेशन्स
,,	,, 9	कार्य ाही	कार्यवाही
205	शीर्षक	श्य	थ्य
,,	8	द्वा ।	द्वारा
206	अंतिम से 13	अराट्रीय	अराष्ट्रीय
209	12	अ श्य	अवश्य
214	6	नुक ान	नुकसान
216	15	स्था ाय	स्थानीय

1	2	3	4
220	5	कत्तव्य	कर्त्तव्य
224	अंतिम से 14	कवल	केवल
228	,, 8	f रने	गिरने
229	शीर्ष	(श्री शनलाल शाह)	(श्री किशनलाल शाह)
236	अंतिम से 10	हुशा	हुआ
241	,, 6	द्वरा	द्वारा
242	,, 2	कि ा	किया
243	4	घंढा	घंटा
244	अंतिम से 2	मुक बला	मुकाबला
246	6	इ ।	इस
,,	15	दांत रामगढ़	दांता रामगढ़
247	अंतिम से 13	मशी ँ	मशीनें
,,	,, 5	आके	आपके
248	18	आ के	आपके
251	शीर्षक	, सितम्बर	4 सितम्बर
,,	9	आने	आपने
252	8	इल के	इलाके
,,	अंतिम से 2	क	की
253	,, 2	औ	और
254	1	हनने	पहनने
255	शीर्ष	श्री पूनम चन्द विश्नोई)	(श्री पूनम चन्द विश्नोई)
,,	18	भा	भी
254	शीर्षक	1 68	1968
265	,,	——	परिशष्ट 4 सितम्बर, 1968- परिशिष्ट
269	5	कृ ा	कृपा
274	अंतिम से 10	जात	जाता
281	3	रि ोर्ट	रिपोर्ट